

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित

“वन धन भवन”, सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

(पंजीयन क्रमांक 225 दिनांक 31.10.2000)



चौबीसवीं वार्षिक साधारण सभा

दिनांक : 06 अक्टूबर 2023

समय : अपरान्ह 3.00 बजे

स्थान : कान्फेन्स हॉल, तृतीय तल, वन धन भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर



कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
“वन धन भवन”

सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

E-mail: mfpfed.cg@nic.in

☎ (0771) 2513100

Website: www.egmfpfed.org

क्रमांक/MFP08/01-01-AGM/24/2023 | 12753
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 22/09/2023

1.	श्री शिव राम, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, वीजापुर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम बोदली, पोस्ट नेलासनार, तहसील गीदम, जिला दत्तेवाड़ा (छ.ग.)
2.	श्री हुंगाराम बेको, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम नागारास, पोस्ट गादीरास, तहसील सुकमा, जिला सुकमा (छ.ग.)
3.	श्री नकुल, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जगदलपुर, संघ प्रतिनिधि पता- ग्राम माड़पाल, तहसील जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)
4.	श्री सुख लाल, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोण्डागांव, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम व पोस्ट बयानार, तहसील कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ.ग.)
5.	श्री रूपसाय सलाम, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पोस्ट रेमावंड, तहसील नारायणपुर, जिला नारायणपुर (छ.ग.)
6.	श्री नितिन पोटाई, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कांकेर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम सिलतरा, पोस्ट मरकाटोला, तहसील कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
7.	श्री गोपीचंद बढाई, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम सरण्डी, पोस्ट सरण्डी, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
8.	श्री असीम राय, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पी.व्ही.36, पोस्ट हरनगढ़, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
9.	श्री विजय लाल, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़, संघ प्रतिनिधि पता ग्राम पाटा, पोस्ट छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
10.	श्री टुमन सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम जामुनपानी, पोस्ट चिल्फी, विकासखण्ड वोडला, जिला कवर्धा (छ.ग.)
11.	श्रीमती बासन बाई धुव, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पोस्ट फरसियां, तहसील नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.)
12.	श्री रविशंकर कश्यप, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुन्द, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम डोंगरीपाली, पोस्ट छोटेलोरम, तहसील पिथौरा, जिला महासमुन्द (छ.ग.)
13.	श्री मनी राम, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलौदा-बाजार, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम बया, पोस्ट बया, तहसील कसडोल, जिला बलौदा-बाजार भाटापारा (छ.ग.)
14.	श्री देव सिंह रात्रे, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, गरियाबंद, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम डुमरडीह, पोस्ट दुल्ला धाना एवं तहसील छुरा, जिला गरियाबंद (छ.ग.)

कृ.पृ.उ. ..2

15.	श्री मनोहर सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पोस्ट छतौना, ढाया बेलगहना, तहसील कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
16.	कु.समीरा पैकरा, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मरवाही, संघ प्रतिनिधि, पता - ग्राम पोस्ट नयापारा (उमरखोई) ढाया खोडरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
17.	श्री जागेश्वर सिंह राज, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर-चांपा, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम देवरमाल, पोस्ट देवरी, तहसील सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
18.	श्री सुरेन्द्र कुमार सिदार, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पोस्ट आमगांव, विकासखण्ड तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
19.	श्री हृदय राम राठिया, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम कुर्रा, पोस्ट राजपुर, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
20.	श्री भुवन सिंह कंवर, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम दोन्द्रो, पोस्ट बालको, तहसील बालको, जिला कोरबा (छ.ग.)
21.	श्री बेद प्रताप सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम धजाक, पोस्ट पाली, तहसील पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा (छ.ग.)
22.	श्री हिरू राम निकुंज, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जशपुर नगर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम नीमगाँव, पोस्ट पैकू, तहसील व जिला जशपुर (छ.ग.)
23.	श्री प्रदीप कुमार सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरिया, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम व पोस्ट चिरमी, थाना खड़गवा, पोस्ट चिरमी, तहसील पौड़ी, जिला कोरिया
24.	श्री सुरेन्द्र कुमार, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम अमराडंडी (हरई), पोस्ट सिंगरौली, तहसील भरतपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)
25.	श्री देव नारायण, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलरामपुर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम व पोस्ट महेवा, जिला बलरामपुर (छ.ग.)
26.	श्री भवल साय, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सूरजपुर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम नरोला, पोस्ट गोविन्दपुर, विकासखण्ड प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)
27.	श्री मोहम्मद शाहिद, भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
28.	श्री राजू अगासिमनी, भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी यूनियन, केशकाल (छ.ग.)
29.	श्री बी.पी.सिंह, भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव एवं बालोद (छ.ग.)
30.	श्री नावेद शुजाउद्दीन, भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सरगुजा, (छ.ग.)

31.	कार्यकारी संचालक, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 3 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016
32.	संचालक, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रूम नं. एफ-280, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110016
33.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
34.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
35.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर
36.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर, अटल नगर
37.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
38.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) वन विभाग, छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर
39.	विशेष सचिव, छ.ग.शासन, आदिमजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
40.	पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की चौबीसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 06.10.2023 को आयोजित किये जाने के संबंध में सूचना।

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की चौबीसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 06.10.2023 दिन शुक्रवार को समय अपराह्न 3.00 बजे "कान्फेन्स हॉल, तृतीय तल, वन धन भवन, सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर" में आयोजित की गई है। कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का अनुरोध है। बैठक हेतु विषय सूची एवं संक्षेपिका संलग्न है।

संलग्न:- विषय सूची।

सही/-

(किरण गुप्ता)

संयुक्त पंजीयक एवं सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

विषय सूची

अनु.क्र.	विषय	पृष्ठ क्र.
1	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की तेईसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 23.12.2022 के कार्य-वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।	01-08
2	वित्तीय वर्ष 2023-24 में किये गये कार्यों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजनायें, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।	09-42
3	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रस्तावित क्रिया-कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।	43-49
4	वित्तीय वर्ष 2021-22 के पारित अंकेक्षण उपरांत पूंजी पर अर्जित ब्याज (लाभ) का विभाजन।	50
5	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये पुनरीक्षित एवं वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित बजट की स्वीकृति।	51-77
6	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत।	78
7	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।	79-113
8	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में लागू प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम के उपनियम-8 एवं 11 में संशोधन।	114-118
9	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित अंतर्गत संचालित परियोजना एवं परियोजना अंतर्गत स्वीकृत पदों की अवधि में पाँच वर्ष की वृद्धि किये जाने बाबत।	119-124
10	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित अंतर्गत पदस्थ संविदा कर्मचारियों को शासन के वित्त निर्देश 22/2023 दिनांक 02.08.2023 के अनुसार वेतन दिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	125
11	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के कर्मचारियों को बोनस प्रदान करने बाबत।	126-128

कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

सही/-

संयुक्त पंजीयक एवं सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं
विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

उद्बोधन

सम्माननीय प्रतिनिधिगण तथा संचालकगण

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की चौबीसवीं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय संघ प्रतिनिधियों का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ।

सहकारिता में त्रिस्तरीय संरचना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) शीर्ष सहकारी संस्था है। जिसका कार्यक्षेत्र समस्त छत्तीसगढ़ राज्य है एवं इसके अंतर्गत 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां एवं 31 जिला वनोपज सहकारी संघ कार्यरत है। छत्तीसगढ़ राज्य में 44 प्रतिशत क्षेत्र वनभूमि होने के कारण यहां पर लघु वनोपज का बाहुल्य है। लगभग 12.50 लाख परिवार लघु वनोपज के संग्रहण से आय प्राप्त करते हैं, जिसमें से अधिकांश गरीब एवं आदिवासी है। राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ इन्हीं गरीब व आदिवासी संग्रहणकर्ताओं के आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लक्ष्य की पूर्ति में अग्रसर है।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2023 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रुपये 4000/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई। तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2023 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 902 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 954 लाट बनाये गये हैं, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.720 लाख मानक बोरा में से 915 लाटों की 16.048 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रु. 1004.36 करोड़ में किया गया। इस प्रकार औसत विक्रय दर रु. 6259/- प्रति मानक बोरा है। शेष अविक्रित 39 लाटों की अधिसूचित मात्रा 0.672 लाख मानक बोरा अग्रिम विक्रय नहीं हो सका।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2023 में जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 915 लाटों में से 11 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ। शेष 904 लाटों में 12.451 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु. 783.43 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 6252/- प्रति मानक बोरा रहा।

अग्रिम में अविक्रित 39 लाटों में 0.490 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का विभागीय संग्रहण कर 0.488 लाख मानक बोरा भण्डारण किया गया। अविक्रित 39 लाटों की 48768.829 मानक बोरा में से 22 लाटों की 21491.459 मानक बोरा का विक्रय राशि रु.11.48 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 5343/- प्रति मानक बोरा रहा। 02 लाटों के क्रेता द्वारा निविदा सूचना की शर्तों के अनुसार लाट छोड़ दिया गया है। अविक्रित 17 लाटों की 27277.370 मानक बोरा तेन्दू पत्ते के विक्रय की कार्यवाही की जा रही है।

संघ द्वारा संचालित शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना- तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के समन्वय से यह योजना दिनांक 05.08.2020 से संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रु. 2.00 लाख की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। साथ ही दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि रु. 2.00 लाख अतिरिक्त रूप से प्रदाय किया जाता है इसके अतिरिक्त दुर्घटना से पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में राशि रु. 2.00 लाख तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में राशि रु.1.00 लाख की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाएगी।

साथ ही तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 पूर्ण से 59 वर्ष के बीच हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रु.30,000/- एवं दुर्घटना से मृत्यु होने पर रु.75,000/- की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। साथ ही दुर्घटना में पूर्ण निःशक्त्ता की स्थिति में रु.75,000/- तथा आंशिक निःशक्त्ता की स्थिति में रु.37,500/- की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदाय की जायेगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि में से 50 प्रतिशत की राशि छ.ग. शासन, वन विभाग द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन किया जा रहा है। इस योजना में योजना लागू होने की तिथि से जून-2023 तक 6460 प्रकरणों में राशि रु. 97,73,80,000/- की संग्राहक परिवार के दावेदारों को सहायता अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है।

छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के सदस्यों के जीवन की सुरक्षा हेतु सामूहिक सामाजिक सुरक्षा योजना का संचालन दिनांक 01.04.2020 से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत संग्राहक परिवार के सदस्य जिसकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष से अधिक न हो, की मृत्यु होने पर संग्राहक परिवार के पंजीकृत मुखिया (दावेदार) को रु.12,000/- की सुरक्षा सहयोग राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना में योजना लागू तिथि से जून-2023 तक 5520 प्रकरणों में राशि रु. 6,62,40,000/- की सुरक्षा सहयोग राशि का भुगतान किया जा चुका है।

छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संघ के अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के संग्राहक परिवार के बच्चों के लिए मेघावी छात्र/छात्राओं हेतु पुरस्कार योजना, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति योजना, गैर व्यवसायिक स्नातक शिक्षा हेतु अनुदान योजना एवं प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना छात्रवृत्ति योजना संचालित है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में मेघावी छात्र/छात्राओं हेतु पुरस्कार योजना अंतर्गत 2788 छात्र/छात्राओं को राशि रु. 76,34,000/-, प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 4619 छात्र/छात्राओं को राशि रु. 8,15,05,000/-, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 258 छात्र/छात्राओं को राशि रु. 21,03,000/- एवं गैर-व्यवसायिक स्नातक शिक्षा हेतु अनुदान योजना अंतर्गत 1500 छात्र/छात्राओं को राशि रु. 67,58,000/- का भुगतान किया गया है।

सीजन 2021 एवं सीजन 2022 के तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरान्त प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) राशि रूपये क्रमशः 163.59 एवं 264.68 करोड़, प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को वितरण की अनुमति शासन से प्राप्त हो चुकी है, जिसका वितरण शीघ्र प्रारंभ कर पूर्ण किया जावेगा।

माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित के प्रबंधको को तीन स्तरीय वेतन देने की घोषणा के पालन में प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधको हेतु लागू प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम में तीन स्तरीय वेतन दिये जाने संबंधी प्रावधान कार्यकारी संचालक सह पंजीयक के आदेश क्रमांक/वनो/संघ/सह/पंजी/94/2023/01 दिनांक 27.09.2023 द्वारा प्रतिस्थापित किये गये है।

पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा केवल 07 लघु वनोपज का ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही क्रय किया जाता था जिसे बढ़ाकर 38 वनोपज किया गया। साथ ही संघ द्वारा निर्धारित दर पर 29 वनोपज की खरीदी की जा रही है। इस प्रकार महिला स्व सहायता समूहों द्वारा 67 वनोपज की खरीदी की जा रही है। इससे एक ओर जहां संग्राहकों को उनके वनोपज को उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है, वहीं दूसरी ओर समूहों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

संघ द्वारा संग्रहित वनोपज को प्राथमिक प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये राज्य में 139 वन-धन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से 145 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार कर "छत्तीसगढ़ हर्बल्स" नाम पर संजीवनी केंद्रों द्वारा विक्रय किये जा रहे हैं। लघु वनोपज के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने तथा संग्राहकों की आय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का कार्य ग्राम जामगाँव (एम.), विकासखण्ड पाटन, जिला दुर्ग में किया जा रहा है, जिसमें छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा आयुर्वेदिक इकाई की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।

जिला गरियाबंद के देवभोग में PMFME के अंतर्गत इन्क्यूबेशन सेंटर एवं ग्रामीण फूड पार्क की स्थापना की कार्यवाही प्रगति पर है जिसमें विभिन्न प्रकार के वनोपज एवं कृषि उपज आधारित प्रसंस्करण उद्योग जैसे- लाख, दाल, मसाला, चिरौजी, खाद्य तेल (फल्ली तेल) एवं तैलीय बीज प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से संचालित किये जायेंगे।

छ.ग. शासन द्वारा देश में पहली बार लाख पालन की खेती को बढ़ावा दिये जाने हेतु "लाख उत्पादक कृषकों/कृषक समूहों को लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण वितरण कराने हेतु योजना वर्ष 2021" लागू किया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत संचालित स्व सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकरो, कुम्भकारों अथवा अन्य पारम्परिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का समुचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु, इसकी व्यवसायिक ढंग से मार्केटिंग किये जाने तथा उत्पादक समूहों को अधिकतम लाभ प्रदाय किये जाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा सी-मार्ट योजना आरम्भ की गई है। राज्य स्तरीय सी-मार्ट में अंतर्गत कलेक्टर सेक्टर एवं अन्य विभाग के कुल 85 से अधिक स्व-सहायता समूह लाभान्वित हैं।

छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की उपलब्धता देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय भण्डार के 100 से भी अधिक आउटलेट्स में सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, केन्द्रीय भण्डार एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), रायपुर के मध्य दिनांक 04.08.2023 को त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित किया गया है। वर्तमान में केन्द्रीय भण्डार से 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' ब्रांड के उत्पादों हेतु प्रथम ऑर्डर भी प्राप्त हो चुका है।

अन्त में मैं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से पुनः उपस्थित सभी सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपके प्रयासों से छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, जिलो में कार्यरत जिला यूनियन सहकारी संघ तथा 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश के लघु वनोपज संग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में सफल हो सका है। आशा है भविष्य में भी आप इसी प्रकार लघु वनोपज संग्राहकों जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, की सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में कार्य करते रहेंगे।

धन्यवाद!

प्रस्ताव क्रमांक - 1

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की तेईसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 23.12.2022 के कार्य-वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की तेईसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 23.12.2022 दिन शुक्रवार को अपरान्ह 3.00 बजे कान्फ्रेंस हॉल, तृतीय तल, वन धन भवन, सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर में आयोजित की गयी।

बैठक के प्रारंभ में संघ के कार्यकारी संचालक-सह-पंजीयक द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों / सदस्यों का अभिनन्दन किया गया। संघ के संचालक मण्डल के कार्यकाल अवसान होने के कारण, संघ की उपविधि की कण्डिका 14(3) के प्रावधान अनुसार कार्यकारी संचालक-सह-पंजीयक द्वारा श्री मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय को सभा की अध्यक्षता हेतु आमंत्रित अधिकृत किया गया। अध्यक्षीय उद्बोधन उपरान्त, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री एस.एस.बजाज, विशेष प्रबंध संचालक द्वारा आमसभा की बैठक का संचालन किया गया।

आम सभा में निम्नानुसार संघ प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे:-

1	श्री शिव राम, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम बोदली, पोस्ट नेलासनार, तहसील गीदम, जिला दतेवाड़ा (छ.ग.)
2	श्री हुंगाराम बेको, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम नागारास, पोस्ट गादीरास, तहसील सुकमा, जिला सुकमा (छ.ग.)
3	श्री नकुल, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जगदलपुर, संघ प्रतिनिधि पता- ग्राम माड़पाल, तहसील जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)
4	श्री सुख लाल, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोण्डागांव, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम व पोस्ट बयानार, तहसील कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ.ग.)
5	श्री नितिन पोटाई, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कांकेर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम सिलतरा, पोस्ट मरकाटोला, तहसील कांकेर जिला उ.ब.कांकेर (छ.ग.)
6	श्री गोपीचंद बड़ाई, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम गोड़पाल, पोस्ट कराकी, तहसील दुर्गुकोंदल, जिला उ.ब.कांकेर (छ.ग.)
7	श्री टुमन सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम जामुनपानी, पोस्ट चिल्फी, विकासखण्ड बोडला, जिला कवर्धा (छ.ग.)
8	श्रीमती बासन बाई ध्रुव, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पोस्ट फरसियां, तहसील नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.)
9	श्री रविशंकर कश्यप, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुन्द, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम डोंगरीपाली, पोस्ट छोटेलोरम, तहसील पिथौरा, जिला महासमुन्द (छ.ग.)

10	श्री मनी राम, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलौदा-बाजार, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम बया, पोस्ट बया, तहसील कसडोल, जिला बलौदा-बाजार भाटापारा (छ.ग.)
11	श्री देव सिंह रात्रे, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, गरियाबंद, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम डुमरडीह, पोस्ट दुल्ला थाना एवं तहसील छुरा, जिला गरियाबंद (छ.ग.)
12	श्री मनोहर सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पोस्ट छतौना, व्हाया बेलगहना, तहसील कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
13	कु.समीरा पैकरा, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मरवाही, संघ प्रतिनिधि, पता - ग्राम पोस्ट नयापारा (उमरखोई) व्हाया खोडरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
14	श्री जागेश्वर सिंह राज, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर-चांपा, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम देवरमाल, पोस्ट देवरी, तहसील सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
15	श्री सुरेन्द्र कुमार सिदार, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पोस्ट आमगांव, विकासखण्ड तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
16	श्री हृदय राम राठिया, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम कुर्रा, पोस्ट राजपुर, तहसील लैलुंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
17	श्री भुवन सिंह कंवर, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम दोन्द्रो, पोस्ट बालको, तहसील बालको, जिला कोरबा (छ.ग.)
18	श्री बेद प्रताप सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम धजाक, पोस्ट पाली, तहसील पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा (छ.ग.)
19	श्री हिरू राम निकुंज, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जशपुर नगर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम नीमगाँव, पोस्ट पैकू, तहसील व जिला जशपुर (छ.ग.)
20	श्री सुरेन्द्र कुमार, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम अमराडंडी (हरई), पोस्ट सिंगरौली, तहसील भरतपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)
21	श्री देव नारायण, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलरामपुर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम व पोस्ट महेवा, जिला बलरामपुर (छ.ग.)
22	श्री भवल साय, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सूरजपुर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम नरोला, पोस्ट गोविन्दपुर, विकासखण्ड प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)
23	श्री मोहम्मद शाहिद, भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
24	श्री नावेद शुजाउद्दीन, भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सरगुजा, (छ.ग.)
25	श्री मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
26	श्री संजय शुक्ला, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर
27	श्री संजय शुक्ला, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर, अटल नगर

28	सुश्री शिल्पा अग्रवाल, प्रतिनिधि - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
29	श्रीमती प्रियंका पाण्डेय, प्रतिनिधि - अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) वन विभाग, छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर
30	श्री एस.के.दुबे, विशेष सचिव, छ.ग.शासन, आदिमजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
31	श्रीमती शीतल शाश्वत, विशेष सचिव, प्रतिनिधि - प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

तेईसवीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक में श्री एस.एस.बजाज, विशेष प्रबंध संचालक, श्री अनिल कुमार राय, अतिरिक्त प्रबंध संचालक, श्री बी.आनंद बाबू, अपर प्रबंध संचालक (विकास), श्री अमरनाथ प्रसाद, कार्यकारी संचालक, श्री आर.सी.दुग्गा, महा प्रबंधक एवं सुश्री किरन गुप्ता सचिव, श्री जी.आर.देवांगन, प्रबंधक (वित्त), श्री एस.के.दत्ता, उप महा प्रबंधक (प्रणाली), श्री शशांक साहू, प्रबंधक (लेखा) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर भी उपस्थित रहे।

आम सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी अनुपस्थित रहे:-	
1	श्री रूपसाय सलाम, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पोस्ट रेमावंड, तहसील नारायणपुर, जिला नारायणपुर (छ.ग.)
2	श्री असीम राय, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पी.व्ही.36, पोस्ट हरनगढ़, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
3	श्री विजय लाल, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़, संघ प्रतिनिधि पता ग्राम पाटा, पोस्ट छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
4	श्री प्रदीप कुमार सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरिया, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम व पोस्ट चिरमी, थाना खड़गवा, पोस्ट चिरमी, तहसील पौड़ी, जिला कोरिया
5	श्री राजू अगासिमनी, भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी यूनियन, केशकाल (छ.ग.)
6	श्री बी.पी.सिंह, भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव एवं बालोद (छ.ग.)
7	कार्यकारी संचालक, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई.बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 3 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016
8	संचालक, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रूम नं. एफ-280, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम्लेक्स, नई दिल्ली-110016
9	पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

सभा में विषयवार विचार-विमर्श करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

विषय क्रमांक	विषय	संकल्प / निर्णय	की गई कार्यवाही
1	बाईसवीं वार्षिक आम सभा दिनांक 30.10.2021 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदना	तेईसवीं वार्षिक साधारण सभा द्वारा बाईसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.10.2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
2	वित्तीय वर्ष 2022-23 में किये गये कार्यों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजनायें, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।	वार्षिक साधारण सभा में विशेष प्रबंध संचालक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में संघ द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनायें यथा तेन्दूपत्ता बोनस वितरण, शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, वन धन योजना, छात्रवृत्ति वितरण योजना, लाख विकास आदि के अन्तर्गत किये गये कार्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति से संबंधित विस्तृत विवरण आमसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
3	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित क्रिया-कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।	वार्षिक साधारण सभा में विशेष प्रबंध संचालक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित क्रिया-कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की कार्ययोजना तथा निर्धारित लक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन आमसभा द्वारा किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अद्यतन जानकारी का विस्तृत विवरण पुस्तिका में अंकित है।

4	वित्तीय वर्ष 2020-21 के पारित अंकेक्षण उपरांत पूंजी पर अर्जित ब्याज (लाभ) का विभाजन।	वित्तीय वर्ष 2020-21 के पारित अंकेक्षण टीप उपरांत पूंजी पर अर्जित ब्याज (लाभ) का विभाजन प्रस्ताव (संचालक मण्डल से अनुमोदन उपरान्त) वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन साधारण सभा द्वारा किया गया।	अनुमोदन उपरान्त संघ के लेखा पुस्तकों में मदवार प्रविष्टि की गयी।
5	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये पुनरीक्षित एवं वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित बजट की स्वीकृति।	वार्षिक साधारण सभा में लघु वनोपज संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये पुनरीक्षित एवं वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित बजट का वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
6	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत।	लघु वनोपज संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु मेसर्स अजय सिंधवानी एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, गोकुलपुरम, कचना रोड़, रायपुर द्वारा दिनांक 13.09.2022 को प्राप्त प्रस्ताव अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु राशि रु. 85,000/- की अंकेक्षण शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ राशि रु. 93,500/- (समस्त कर सहित) की दर से वर्ष 2022-23 का अंकेक्षण किये जाने हेतु अंकेक्षण अजय सिंधवानी एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, गोकुलपुरम, कचना रोड़, रायपुर को संपरीक्षक नियुक्ति के प्रस्ताव का साधारण सभा द्वारा अनुमोदन किया गया।	कार्यालयीन आदेश क्रमांक 33 दिनांक 19.01.2023 से मेसर्स अजय सिंधवानी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये अंकेक्षक नियुक्त किया गया है।
7	वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।	वित्तीय वर्ष 2021-22 का अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का वार्षिक साधारण सभा में सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

8	वित्तीय वर्ष 2022-23 से जिला यूनियनों एवं समिति स्तर पर किये जाने वाले लेखांकन कार्य हेतु सी.ए. फर्म की नियुक्ति बाबत।	वित्तीय वर्ष 2022-23 से जिला यूनियनों एवं समिति स्तर पर किये जाने वाले लेखांकन कार्य के लिए Support Staff for Accounting in District Union and Primary Socceity हेतु सी.ए. फर्म की नियुक्ति तथा अनुमानित व्यय 1 से 1.5 करोड़ प्रतिवर्ष संघ की लेखा पुस्तकों में Consultancy Services मद में भारित किये जाने के प्रस्ताव का आमसभा द्वारा अवलोकन/ अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

संचालक सदस्यों/प्रतिनिधियों के द्वारा निम्नानुसार सुझाव एवं मांग किया गया।

1	श्री हृदय राम राठिया, प्रतिनिधि जिला वनोपज सहकारी यूनियन धरमजयगढ़ द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक नियुक्ति का अधिकार समिति को दिये जाने तथा प्रतिनिधियों के बैठक भत्ते में वृद्धि करने का सुझाव दिया गया।	<ul style="list-style-type: none"> ● प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम की कण्डिका 6(iv) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार प्रबंधक नियुक्ति हेतु चयन समिति में संबंधित संस्था के अध्यक्ष भी सदस्य के रूप में सम्मिलित रहते है तथा प्रबंधक नियुक्ति का आदेश भी संबंधित संस्था के अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार प्रबंधक नियुक्ति / बर्खास्तगी के अधिकार संस्था के संचालक मण्डल / अध्यक्ष में ही निहित है। ● कार्यालयीन आदेश क्रमांक /वनो/संघ/सह/पंजी/94 /2023/3 दिनांक 27.09.2023 द्वारा संघ के निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्यों तथा संघ हेतु निर्वाचित अन्य प्रतिनिधियों के बैठक भत्ते में वृद्धि
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>करते हुये संचालक मण्डल की बैठक हेतु राशि रुपये 400/- तथा आमसभा की बैठक हेतु राशि रुपये 750/- प्रति बैठक दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।</p>
<p>2</p>	<p>श्री नितिन पोटाई, प्रतिनिधि, जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित कांकेर द्वारा फड़मुंशियों के मानदेय में वृद्धि, फड़ अभिरक्षक की नियुक्ति संचालक मण्डल / समिति के सदस्यों में से करने, प्रबंधक के नियमितकरण तथा सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि प्रदान करने, संचालक सदस्यों के बैठक भत्ते में वृद्धि तथा प्राथमिक समिति में प्रबंधक के सहायक के रूप में कम्प्यूटर ऑपरेटर रखने आदि का सुझाव दिया गया। इस संबंध में 11 बिन्दुओं पर सुझाव के साथ पत्र प्रस्तुत किया गया।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उत्पा/MFP-16/14/2015 /7426 दि.16-07-2021 के द्वारा फड़मुंशियों को 7200/- रु. मानदेय राशि दिया जा रहा है। फड़ अभिरक्षक की नियुक्ति जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा किया जाता है। ● प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक अपनी संस्था में नियमित कर्मचारी होते हैं, जिन पर “प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित, प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम” लागू है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यकारी संचालक सह पंजीयक के आदेश क्रमांक/वनो/संघ/सह/पंजी/94/2023/01 दिनांक 27.09.2023 द्वारा तीन स्तरीय वेतन दिये जाने हेतु प्रावधान प्रति स्थापित किये गये है। <p>शेष अन्य बिन्दु वित्तीय प्रकृति के होने के कारण सभी समितियों एवं जिला यूनियन का</p>

		<p>अंकेक्षण पूर्ण होने के उपरान्त संघ मुख्यालय के साथ के Final Account reconciliation के उपरान्त ही निर्णय लिया जाना वैधानिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित होगा। इस हेतु सभी जिला यूनियन तथा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को तत्काल अंकेक्षण पूर्ण कराने हेतु प्रशासनिक तथा वैधानिक निर्देश जारी किये गये है।</p>
3	<p>श्री गोपीचंद बढाई, प्रतिनिधि, जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, पूर्व भानुप्रतापपुर द्वारा बस्तर में महुआ प्रोसेसिंग संयंत्र लगाने का सुझाव दिया गया।</p>	<p>बस्तर में महुआ तेल प्रसंस्करण इकाई हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।</p>
4	<p>श्री प्रदीप कुमार सिंह, प्रतिनिधि, जिला वनोपज सहकारी यूनियन कोरिया द्वारा वन धन मंत्रालय एवं वनोपज शोध संस्थान की स्थापना, प्रतिनिधियों हेतु मासिक मानदेय एवं वाहन व्यवस्था, राज्य स्तर पर आवास व्यवस्था तथा प्रतिनिधियों को राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान करने आदि का सुझाव दिया गया। इसके साथ ही 08 बिन्दुओं का सुझाव प्रस्तुत किया गया।</p>	<p>वन धन मंत्रालय शोध संस्थान की स्थापना तथा प्रतिनिधियों को राज्यमंत्री का दर्जा दिये जाने का संबंध शासन स्तर से है। राज्य स्तर पर संघ का निर्माणाधीन आवास भवन पूर्ण होने पर आवास की व्यवस्था उपलब्ध करायी जावेगी। वित्त पोषित सुझाव पर अंकेक्षण उपरान्त वित्तीय स्थिति स्पष्ट होने पर कार्यवाही किया जाना उचित होगा।</p>

विषय क्रमांक - 2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में किये गये कार्यो - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुशियों हेतु बीमा योजनायें, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की पद संरचना

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के नियमित पद संरचना की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा दी गई है। दिनांक 31.07.2023 की स्थिति में संघ मुख्यालय, मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक कार्यालय तथा जिला वनोपज यूनियन में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-क पर दर्शित है।

(ii) तेंदूपत्ता संग्राहकों हेतु बीमा योजनायें:-

- शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना:- तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के समन्वय से यह योजना दिनांक 05.08.2020 से संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति / उत्तराधिकारी को राशि रु. 2.00 लाख की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि रु. 2.00 लाख अतिरिक्त रूप से प्रदाय किया जा रहा है। दुर्घटना से पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में राशि रु. 2.00 लाख तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में राशि रु. 1.00 लाख की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाएगी।
- तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 पूर्ण से 59 वर्ष के बीच हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रु. 30,000/- तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर रु.75,000/- की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना में पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में रु.75,000/- तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में रु. 37,500/- की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदाय करने का प्रावधान है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि में से 50 प्रतिशत की राशि छ.ग. शासन वन विभाग तथा शेष 50 प्रतिशत छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित द्वारा वहन किया जावेगा।

इस योजना अंतर्गत माह जून-2023 तक की स्थिति में 31 जिला यूनियनों के कुल 6460 हितग्राहियों को राशि रु. 97,73,80,000/- का भुगतान किया जा चुका है।

- **सामूहिक सुरक्षा योजना (संघ द्वारा संचालित)** - वर्ष 2023-24 हेतु सामूहिक सुरक्षा योजना का संचालन छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के द्वारा दिनांक 01.04.2020 से किया जा रहा है। संघ संचालित सामूहिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत मृतक तेंदूपत्ता संग्राहक के परिवार के मुखिया (दावेदार) को रूपये 12,000/- भुगतान किया जाता है। माह जून-2023 तक की स्थिति में 31 जिला यूनियनों के 5520 हितग्राहियों को राशि रूपये 6,64,40,000/- का भुगतान किया जा चुका है।
- **संघ द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं :-**
तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसे - मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू हैं।
- **मेधावी छात्र/छात्राओं हेतु :-** मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार के तहत प्रत्येक प्राथमिक वनोपज समिति क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 2500/- तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 3000/- पुरस्कार राशि दी जाती है। यह पुरस्कार समिति क्षेत्र के अंतर्गत एक छात्र तथा एक छात्रा को प्रदान की जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 2788 छात्र/छात्राओं को राशि रु. 76,34,000/- वितरित किया गया है।
- **प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं हेतु :-** तेंदूपत्ता संग्राहकों के प्रतिभाशाली बच्चों जिन्होंने 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं, उनको कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रूपये 15,000/- तथा कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रु.25,000/- शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिया जाता है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 4619 छात्र/छात्राओं को राशि रु. 8,15,05,000/- वितरित किया गया है।
- **व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति योजना :-** इस योजना अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति स्तर पर प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी का चयन किया जायेगा जिसने कि किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यवसायिक स्नातक कोर्स जैसे इंजीनियर, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. आदि स्नातक कोर्स में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स में प्रवेश की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो। विद्यार्थी को प्रथम वर्ष में राशि रु. 10,000/- एवं द्वितीय तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों में राशि रु. 5,000/- प्रतिवर्ष अधिकतम कुल चार वर्षों में राशि प्रदाय की जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 258 छात्र/छात्राओं को राशि रु. 21,03,000/- वितरित किया गया है।
- **गैर-व्यवसायिक स्नातक शिक्षा हेतु अनुदान योजना :-** इस योजना अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष एक छात्र व एक छात्रा जिसने किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स जैसे बी.ए./बी.कॉम/बी.एस.सी. आदि स्नातक कोर्स में प्रवेश लिया हो को कोर्स के प्रथम वर्ष में राशि रु. 5,000/-, द्वितीय वर्ष में रु. 4,000/- एवं तृतीय वर्ष में रु. 3,000/- अर्थात् तीन वर्षों में कुल रु.12,000/- की अनुदान राशि प्रदाय की जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 1500 छात्र/छात्राओं को राशि रु.67,58,000/- वितरित किया गया है।

प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रबंधकों एवं फंडमुंशियों का समूह बीमा :-

- प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों समूह बीमा:- प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 से बीमा कराया गया है। वर्ष 2023-24 में बीमित प्रबंधकों की संख्या 764 है, जिसका प्रीमियम भुगतान रु. 8.11 लाख किया गया है। प्रबंधकों की मृत्यु होने पर उनके दावेदार को बीमा राशि रु. 1,00,000/- का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2023-24 में पॉलिसी के नवीनीकरण के बाद 04 प्रबंधकों के मृत्यु दावा प्रकरण इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसे भुगतान हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय रायपुर को भेजा गया था। जिसमें से 01 प्रकरणों का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा चुका है।
- प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के फंडमुंशियों का समूह बीमा:- प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तेंदूपत्ता फंडमुंशियों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 से बीमा कराया गया है। वर्ष 2022-23 में बीमित फंडमुंशियों की संख्या 9978 है, जिसका प्रीमियम भुगतान 47.43 लाख किया गया है। फंडमुंशियों की मृत्यु होने पर उनके दावेदार को बीमा राशि रु.1,00,000/- का भुगतान किया जाता है।

(iii) तेन्दू पत्ते का व्यापार

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2022 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रुपये 4000/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2022 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रुपये 4000/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई। तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2022 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 954 लाट बनाये गये है, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.717 लाख मानक बोरा में से 837 लाटों की 14.386 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रु.1074.84 करोड़ में किया गया। इस प्रकार औसत विक्रय दर रु. 7471/- प्रति मानक बोरा है। शेष अविक्रित 117 लाटों की अधिसूचित मात्रा 2.331 लाख मानक बोरा अग्रिम विक्रय नहीं हो सका।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2022 में जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 837 लाटों में 14.032 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु.1048.79 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 7474/- प्रति मानक बोरा रहा।

अग्रिम में अविक्रित 117 में से 1 लाट में विभागीय संग्रहण नहीं हो सका। 116 लाटों में 1.777 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का विभागीय संग्रहण कर 1.763 लाख मानक बोरा भण्डारण किया गया। प्रबंध संचालक जिला यूनियन सुकमा के पत्र क्रमांक 2017 दिनांक 09.09.2022 से वर्ष 2022 सीजन के अग्रिम विक्रित लॉट में अवैध संग्रहित / जप्तशुदा 03 लॉट क्रमांक 30ब, 31अ एवं 31ब कुल मात्रा 2516.000 मानक बोरा विक्रय हेतु प्रस्तावित की गई। अविक्रित 119 लाटों की 1,77,811.122 लाख मानक बोरा में से 112 लाटों की 168278.717 मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 63.14 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 3752 /- प्रति मानक बोरा में किया गया। 01 लॉट के क्रेता द्वारा निविदा सूचना की शर्तों के अनुसार लॉट छोड़ दिया गया है। अविक्रित 07 लाटों की 9532.405 मानक बोरा तेन्दू पत्ते के विक्रय की कार्यवाही की जा रही है।

संग्रहण वर्ष 2022 के तेन्दू पत्ते के निर्वर्तन में विक्रित लाटों का जिला यूनियनवार विवरण परिशिष्ट-ख में संलग्न है।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2023 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रुपये 4000/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2023 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रुपये 4000/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई। तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2023 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 902 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 954 लाट बनाये गये है, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.720 लाख मानक बोरा में से 915 लाटों की 16.048 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रु. 1004.36 करोड़ में किया गया। इस प्रकार औसत विक्रय दर रु. 6259/- प्रति मानक बोरा है। शेष अविक्रित 39 लाटों की अधिसूचित मात्रा 0.672 लाख मानक बोरा अग्रिम विक्रय नहीं हो सका।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2023 में जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 915 लाटों में से 11 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ। शेष 904 लाटों में 12.451 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु. 783.43 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 6252/- प्रति मानक बोरा रहा।

अग्रिम में अविक्रित 39 लाटों में 0.490 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का विभागीय संग्रहण कर 0.488 लाख मानक बोरा भण्डारण किया गया। अविक्रित 39 लाटों की 48768.829 मानक बोरा में से 22 लाटों की 21491.459 मानक बोरा का विक्रय राशि रु.11.48 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 5343/- प्रति मानक बोरा रहा। 02 लाटों के क्रेता द्वारा निविदा सूचना की शर्तों के अनुसार लाट छोड़ दिया गया है। अविक्रित 17 लाटों की 27277.370 मानक बोरा तेन्दू पत्ते के विक्रय की कार्यवाही की जा रही है।

संग्रहण वर्ष 2023 के तेन्दू पत्ते के निर्वर्तन में विक्रित लाटों का जिला यूनियनवार विवरण परिशिष्ट-ग में संलग्न है।

(iv) तेन्दू पत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण -

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2020 के तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरान्त प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रुपये 34.49 करोड़ का संग्राहकों को सीधे उनके बैंक खाते में NEFT के मध्यम से वितरण किया जा रहा है। संग्रहण वर्ष 2020 में जिला यूनियनवार प्रोत्साहन पारिश्रमिक की वितरण योग्य, वितरित एवं वितरण से शेष का विवरण परिशिष्ट-घ में संलग्न है।

(v) प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों के पारिश्रमिक में वृद्धि-

माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित के प्रबंधकों को तीन स्तरीय वेतन देने की घोषणा के पालन में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों हेतु लागू प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम में तीन स्तरीय वेतन दिये जाने संबंधी प्रावधान कार्यकारी संचालक सह पंजीयक के आदेश क्रमांक/वनो/संघ/सह/पंजी/94/2023/01 दिनांक 27.09.2023 द्वारा प्रतिस्थापित किये गये है।

(vi) संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों के लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण

संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियन स्तर पर लेखा संधारण का कार्य "टैली साफ्टवेयर" के माध्यम से किया जा रहा है। लेखाओं के कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से लेखा तैयार करने में समय की बचत तो हुई है साथ ही लेखाओं के गुणात्मक विश्लेषण में भी सुधार हुआ है। संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 का लेखांकन कार्य "टैली साफ्टवेयर" के माध्यम से पूर्ण किया गया है। इस प्रकार वनोपज संघ लेखा तैयार करने की दृष्टि से अद्यतन है। प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों की कार्यक्षमता बढ़ाने एवं प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से चरणबद्ध तरीके से उनका कम्प्यूटराइजेशन शीघ्र शुरु किया जा रहा है।

(vii) संघ विभाजन संबंधी विवाद

राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप 31.10.2000 की स्थिति में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ का विभाजन कर पश्चात्पूर्व मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर का गठन हुआ है। उक्त विभाजन में अस्तियों एवं दायित्वों का न्यायोचित विभाजन नहीं किये जाने के कारण तथा आपसी सहमति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों को संघ भोपाल द्वारा क्रियान्वित नहीं करने के फलस्वरूप संचालक मण्डल के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार रुपये 93.27 करोड़ की विवादित राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विविध याचिका क्रमांक 4958/2008 दायर की गई है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अंतिम निर्णय हेतु माननीय उच्च न्यायालय में पेशी दिनांक 16.04.2020 को नियत थी। वर्तमान में प्रकरण में आगामी पेशी तिथि अप्राप्त है।

(viii) बैंकिंग व्यवस्था में सुधार

वनोपज के क्रेताओं को देश के किसी भी स्थान से विक्रय मूल्य एवं देय राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-मनी ट्रान्सफर की व्यवस्था लागू की गई है। यह सुविधा संघ के आई.सी.आई.सी.आई बैंक के खातों में उपलब्ध है। इस सुविधा के अंतर्गत आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमि. के माध्यम से ऑनलाइन मनी रसीदें जारी की जा रही है।

संघ द्वारा की गई पहल के कारण अब लघुवनोपज विक्रय से संबंधी सभी कार्य पूर्णतः पारदर्शी, सुलभ एवं द्रुत हो गये हैं। इससे क्रेताओं का संघ के प्रति दृष्टिकोण अच्छा हुआ है एवं प्रशासन में कसावट आई है। इसी प्रकार क्रेताओं द्वारा विभिन्न जिला यूनियनों में जमा कराई गई राशि को जिला यूनियनों द्वारा संघ मुख्यालय के खातों में ट्रान्सफर करने में होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुए अब सभी जिला यूनियनों द्वारा क्रेताओं द्वारा जमा कराई गई राशि को बैंकिंग के माध्यम से सीधे संघ मुख्यालय, रायपुर स्थित खातों में जमा कराई जा रही है।

जिला यूनियनों के कार्यों के संपादन हेतु पंजाब नेशनल बैंक रायपुर के सेन्ट्रल पी.एन.बी फण्ड मैनेजमेण्ट (एफ मोड्यूल) योजना के तहत सेन्ट्रल खाता खोला गया है एवं इसी खाते की आई.डी. सहित समस्त जिला यूनियनों के मुख्यालय पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा में जिला यूनियनों के शून्य बैलेंस खातों खोले गये हैं। जिसके परिचालन के अधिकार भी प्रबंध संचालक जिला यूनियन को दिये गए हैं। इस व्यवस्था के तहत प्रति जिला यूनियन हेतु संघ पत्र क्रमांक/MFP03/वित्त/2023/5295 रायपुर दिनांक 20.04.2023 द्वारा स्थापना प्रशासनिक व अन्य व्यय के वार्षिक आहरण सीमा का निर्धारण किया गया है। जिला यूनियन के शेष आवश्यक व्ययों के भुगतान हेतु उनकी मांग अनुसार पृथक से आहरण एवं भुगतान की अनुमति दी जाती है।

इसी प्रकार समस्त जिला यूनियनों के संघ मुख्यालय के पंजाब नेशनल बैंक शाखा में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत कराये गये कार्यों के भुगतान हेतु शून्य बैलेंस पर खाते खोले गये

हैं। उक्त खाते से जिला यूनियनों द्वारा जारी किये गये आहरण अनुमति की सीमा तक भुगतान किया जा सकता है।

संघ द्वारा विभिन्न हितग्राहियों के बैंक खातों में योजनाओं की राशि का सीधा हस्तांतरण प्रारंभ किया गया है। सीजन वर्ष 2021 एवं 2022 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि ऐक्सिस बैंक के माध्यम से हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई हैं। इसी प्रकार छात्रवृत्ति योजनाओं एवं शहीद महेन्द्रकर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि भी ऐक्सिस बैंक के माध्यम से सीधे हस्तांतरित की जा रही है। इस प्रक्रिया से राशि का हस्तांतरण पारदर्शी एवं त्वरित हो गया है। संघ द्वारा इसी प्रक्रिया के अगले चरण में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक एवं अन्य लघु वनोपजों के क़य राशि का भुगतान भी सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में साफ्टवेयर के माध्यम से ऐक्सिस बैंक द्वारा किया जा रहा है।

(ix) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का संचालक मण्डल

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्था है। जिसके 31 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन सदस्य हैं एवं जिनकी 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां सदस्य हैं। यह एक त्रिस्तरीय संरचना है। वर्तमान में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों तथा 31 में से 26 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न हो चुका है। शेष 05 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन के संचालक मण्डल के निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है। जिला यूनियन सरगुजा, केशकाल, राजनांदगांव एवं बालोद में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा स्थगन दिये जाने तथा जिला यूनियन दंतेवाड़ा में कोरम के अभाव के कारण संचालक मंडल के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 02.11.2021 को समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) के प्रावधान अनुसार वर्तमान में संघ के संचालक मण्डल की समस्त शक्तियां पंजीयक/कार्यकारी संचालक में निहित हैं।

(x) अकाष्टीय वनोपज विकास - वर्ष 2023-24 में कार्यों की प्रगति

1. लघु वनोपज संग्रहण

1.1 लघु वनोपज के उच्च / मध्यम उत्पादकता वाले समितियों का चयन

छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य लघु वनोपज बहुतायत में पाये जाते हैं। राज्य में कुल 901 प्राथमिक लघु वनोपज समिति हैं परंतु सभी समितियों में पर्याप्त क्षेत्र नहीं होने के कारण अन्य अकाष्टीय लघु वनोपज का उत्पादन नहीं होता है। लघु वनोपज संग्रहण को बढ़ाकर संग्राहकों को उनके वनोपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से संघ द्वारा सर्वेक्षण के माध्यम से लघु वनोपज के उच्च एवं मध्यम उत्पादकता वाले प्राथमिक लघु वनोपज समिति का चयन किया गया है। इस हेतु लगभग 50 प्रतिशत प्राथमिक लघु वनोपज समितियां चिन्हांकित की गई हैं, जहां लघु वनोपज का उच्च या मध्यम उत्पादन होता है। इस प्रकार कुल 208 उच्च उत्पादकता वाले तथा 238 मध्यम उत्पादकता वाले कुल 446 समितियां चिन्हांकित की गई हैं।

इन समितियों के अंतर्गत लघु वनोपज संग्रहण कार्य को बढ़ावा दिया जावेगा, ताकि वांछित प्रगति प्राप्त हो सके।

1.2 लघु वनोपज संग्रहण

राज्य के लघु वनोपज संग्राहकों को उचित लाभ देने हेतु भारत शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर (38 प्रकार) तथा राज्य द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर (29 प्रकार) इस तरह कुल 67 प्रकार के लघु वनोपज को 4,800 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा ग्राम / हाट बाजार स्तर पर क्रय हेतु व्यवस्था की गई है।



समूह द्वारा जामुन संग्रहण कार्य



संग्राहक द्वारा माहुल पत्ता संग्रहण

1.2.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना (मद क्र. 7)

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना वर्ष 2014-15 से राज्य में लागू की गई है, जिस हेतु भारत शासन द्वारा रु. 204.91 करोड़ प्रदाय किया गया है। इस राशि को चक्रिय राशि के रूप उपयोग करते हुए लघु वनोपज संग्रहण कार्य प्रारम्भ किया गया है।

1.2.2 लघु वनोपज व्यापार एवं विकास मद से लघु वनोपज संग्रहण (अर्थात् तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त लाभांश का 15 प्रतिशत राशि से) (मद क्र. 60)

इस राशि से लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण तथा लाख पालन को बढ़ावा देने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति पूर्व से प्राप्त है। इस राशि की सहायता से ऐसे लघु वनोपज, जिस हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वीकृत नहीं है, का संग्रहण एवं प्रसंस्करण किया जा रहा है।

- वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक लगभग रु. 387.76 करोड़ मूल्य के वनोपज का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने सम्पूर्ण देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये लघु वनोपज में से 75 प्रतिशत से अधिक मूल्य के वनोपज का संग्रहण कर विगत 03 वर्ष से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका विवरण लघु वनोपज व्यापार लाभ-हानि वाले पैरा में दर्शित है।
- वर्ष 2023-24 में लघु वनोपज संग्रहण लक्ष्य राशि रु. 175.00 करोड़ का है।

1.2.3 लघु वनोपज व्यापार एवं विकास मद से महत्वपूर्ण लघु वनोपज संग्रहण संबंधी विवरण

1.2.3.1 कोदो, कुटकी एवं रागी का समर्थन मूल्य पर क्रय

- राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार कोदो, कुटकी एवं रागी का क्रय संघ द्वारा प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के माध्यम से वर्ष 2021-22 से किया जा रहा है। मिलेट प्रसंस्करण में सहयोग हेतु आई.आई.एम.आर., हैदराबाद से लघु वनोपज संघ द्वारा एम.ओ.यू. किया गया है।



फूड ग्रेड महुआ फूल खरीदी



फूड ग्रेड महुआ फूल को सोलर ड्रायर में सूखाना

वित्तीय वर्ष वार कोदो, कुटकी एवं रागी संग्रहण विवरण

क्र.	वित्तीय वर्ष	संग्रहित वनोपज	
		मात्रा (क्विं.)	संग्रहण मूल्य (रु. करोड़)
1.	2021-22	52,728	16.03
2.	2022-23	39,537	12.25
	योग	92,265	28.28

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में संग्रहित मिलेट्स को प्रसंस्कृत कर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार विभिन्न विभागों की योजना अंतर्गत कार्यक्रमों में जैसे कि मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी, छात्रावास तथा स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में वितरण किये जाने हेतु निजी मिलेट प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से कस्टम मिलिंग करने हेतु निविदा जारी की गई है।
- समर्थन मूल्य पर मिलेट संग्रहण द्वारा राज्य में कृषकों को उचित मूल्य प्राप्त होने के कारण मिलेट रकबा विस्तार हो रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में मिलेट प्रसंस्करण इकाइयों स्थापित होकर राज्य में मिलेट प्रसंस्करण को बढ़ावा मिल रहा है।

1.2.3.2 फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण

वित्तीय वर्ष 2021-22 से फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण करने हेतु संग्रहण नेट तथा सोलर ड्रायर उपयोग किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष वार फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण विवरण

क्र.	वित्तीय वर्ष	संग्रहित महुआ फूल		
		मात्रा (क्विं.)		संग्रहण मूल्य (रु. लाख)
		कच्चा फूल	सूखा फूल	
1.	2021-22	700.00	145.00	8.40
2.	2022-23	4872.41	847.90	48.72
3.	2023-24	1258.48	248.06	12.58
	योग	6130.89	1095.96	69.70

➤ 2022-23 में विपरीत मौसम होने के बावजूद 1265 क्विं. कच्चा महुआ फूल संग्रहण करते हुए 250 क्विं. फूड ग्रेड महुआ फूल (सूखा) संग्रहण किया गया है, जिसके विक्रय हेतु कार्यवाही जारी है।

1.2.3.3 रैली कोसा संग्रहण-भंडारण

रैली कोसा संग्रहण प्रगति

क्र.	वित्तीय वर्ष	प्रकार	संग्रहण मात्रा (नग में)	संग्रहण मूल्य (रु. लाख में)
1.	2022-23	रैली कोसा - साबुत	1665126	70.68
		रैली कोसा - पोली	290752	3.44
	योग		1955878	74.12
2.	2023-24 (10 सितम्बर 2023 की स्थिति में)	रैली कोसा - साबुत	213551	9.55
		रैली कोसा - पोली	24326	0.30
	योग		237877	9.85

➤ वर्तमान वर्ष में रैली कोसा के बढ़ते मांग के कारण बाजार दर में वृद्धि हुई है। इस हेतु संघ द्वारा भी रेशम विभाग के सहमति से रैली कोसा के दरों में वृद्धि की गई है।

क्र.	वनोपज का नाम	ग्रेड	पूर्व में निर्धारित दर (दर प्रति नग हेतु)	वर्तमान में संशोधित दर (दर प्रति नग हेतु)
1.	रैली कोसा (साबुत)	ग्रेड-1	4.2	6.80
2.		ग्रेड-2	3.6	6.00
3.		ग्रेड-3	2.8	4.60
4.	रैली कोसा (पोली)	ग्रेड-1	1.5	1.95
5.		ग्रेड-2	1.25	1.65
6.		ग्रेड-3	0.70	1.25

- उपरोक्त रैली कोसा को उचित दर पर प्राप्त कर धागा तथा साड़ी आदि निर्माण करने हेतु रेशम विभाग द्वारा कार्यवाही किया जायेगा। इस हेतु रेशम विभाग तथा राज्य लघु वनोपज संघ के मध्य एमओयू किया गया है।



समूह द्वारा रैली कोसा क्रय

1.2.3.4 आमचूर संग्रहण

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 568.80 किं. आमचूर जिसका मूल्य रु. 51.50 लाख का संग्रहण किया गया है। इस आमचूर को प्रसंस्कृत कर विक्रय करने हेतु कार्यवाही जारी है।

आमचूर संग्रहण प्रगति

क्र.	वित्तीय वर्ष	प्रकार	संग्रहण मात्रा (किं.)	संग्रहण मूल्य (रु. लाख में)
1.	2023-24	आमचूर	568.80	51.50

लघु वनोपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वानिकी वर्ष 2023-24

क्र.	वनोपज का नाम	ग्रेड	भारत सरकार द्वारा लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु. प्रति किं.टल)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि / कमी का प्रस्ताव	छ.ग. शासन द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रु. प्रति किं.टल)
1	2	3	4	5	6
1	मालकांगनी बीज	-	10000.00	-	10000.00
2	बायबडिंग	-	9400.00	-	9400.00
3	कालमेघ / भुई नीम (सूखा)	ग्रेड - 1	3500.00	-	3500.00
		ग्रेड - 2	-	-	3150.00
4	आंवला (बीज रहित) (सूखा)	-	5200.00	रु. 500 प्रति किं. की वृद्धि	5700.00
5	रंगीनी लाख (सूखा छिली लाख)	-	20000.00	रु. 2000 प्रति किं. की वृद्धि	22000.00

क्र.	वनोपज का नाम	ग्रेड	भारत सरकार द्वारा लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु. प्रति क्विंटल)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि / कमी का प्रस्ताव	छ.ग. शासन द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रु. प्रति क्विंटल)
1	2	3	4	5	6
6	रीठा फल (सूखा)	-	1400.00	-	1400.00
7	वन जीरा बीज	-	7000.00	रु. 700 प्रति क्वि. की कमी	6300.00
8	सतावर जड़ (सूखा)	-	10700.00	रु. 700 प्रति क्वि. की कमी	10000.00
चरौटा					
9	चरौटा बीज	ग्रेड - 1	1600.00	-	1600.00
		ग्रेड - 2	-	-	1450.00
10	शहद	-	22500.00	-	22500.00
11	नागरमोथा (सूखा)	-	3000.00	-	3000.00
12	माहुल पत्ता	-	1500.00	-	1500.00
हर्रा					
13	हर्रा (साबुत सूखा)	ग्रेड - 1	1500.00	-	1500.00
		ग्रेड - 2	-	-	1350.00
14	हर्रा कचरिया	-	2500.00	-	2500.00
बहेड़ा					
15	बहेड़ा (साबुत सूखा)	ग्रेड - 1	1700.00	-	1700.00
		ग्रेड - 2	-	-	1530.00
16	बहेड़ा कचरिया	-	2000.00	-	2000.00
गिलोय					
17	गिलोय (सूखा)	ग्रेड - 1	4000.00	-	4000.00
		ग्रेड - 2	-	-	3600.00
18	कुसुमी लाख (सूखा छिली लाख)	-	27500.00	रु. 2500 प्रति क्वि. की वृद्धि	30000.00
19	वन तुलसी बीज	-	1600.00	रु. 150.00 प्रति क्वि. की कमी	1450.00
20	भेलवा	-	900.00	रु. 75.00 प्रति क्वि. की वृद्धि	975.00
21	शिकाकाई फल्ली (सूखा)	-	5000.00	-	5000.00
22	इमली				
	इमली आंटी (बीज सहित)	ग्रेड - 1	3600.00	-	3600.00
		ग्रेड - 2	-	-	3300.00

क्र.	वनोपज का नाम	ग्रेड	भारत सरकार द्वारा लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु. प्रति क्विंटल)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि / कमी का प्रस्ताव	छ.ग. शासन द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रु. प्रति क्विंटल)
1	2	3	4	5	6
23	इमली फूल (बीज रहित)	-	6900.00	-	6900.00
24	इमली बीज	-	1100.00	-	1100.00
25	महुआ फूल (सूखा)	-	3000.00	-	3000.00
26	महुआ बीज	-	2900.00	-	2900.00
27	फूल झाड़ू	-	5000.00	-	5000.00
28	कौच बीज	-	2100.00	-	2100.00
	धवई				
29	धवई फूल (सूखा)	ग्रेड - 1	3700.00		3700.00
		ग्रेड - 2	-	-	3350.00
30	चिरौजी				
	चिरौजी गुठली	ग्रेड - 1	12600.00	-	12600.00
		ग्रेड - 2	-	-	11500.00
31	करंज बीज		2200.00	रु. 200 प्रति क्विं. की वृद्धि	2400.00
32	बेल				
	बेलगुदा (सूखा)	ग्रेड - 1	3000.00	-	3000.00
		ग्रेड - 2	-	-	2700.00
33	कुल्लू गोंद	-	12500.00	-	12500.00
34	काजू				
	काजू (गुठली)	ग्रेड - 1	9000.00	-	9000.00
		ग्रेड - 2	-	-	8100.00
35	सालबीज	ग्रेड - 1	2000.00	-	2000.00
		ग्रेड - 2	-	-	1800.00
36	कुसुम				
	कुसुम बीज	ग्रेड - 1	2300.00	-	2300.00
		ग्रेड - 2			2070.00
37	नीम बीज	-	2700.00	-	2700.00
38	जामुन				
	जामुन बीज (सूखा)	ग्रेड - 1	4200.00	-	4200.00
		ग्रेड - 2	-	-	3800.00

लघु वनोपज समर्थन मूल्य (SP) वानिकी वर्ष 2023-24

क्र.	प्रजाति	वनोपज का नाम	ग्रेड	स्वीकृत दर (रु. क्विं.)
1	2	3	4	5
1	मालकांगनी	मालकांगनी फल कच्चा(लाल रंग)		1700.00
2	कालमेघ	कालमेघ / भूर्नीम (कच्चा)		550.00
3	आंवला	आंवला फल (कच्चा)		2800.00
4	रंगीनी लाख	रंगीनी लाख बीहन (जीवित लाख कीट के साथ)		27500.00
5	हर्रा	हर्रा कच्चा		600.00
6		हर्रा बाल		3000.00
7	बहेड़ा	बहेड़ा कच्चा		500.00
8	गिलोय	गिलोय (कच्चा)		550.00
9	कुसुमी लाख	कुसुमी लाख बीहन (जीवित लाख कीट के साथ)		55000.00
10	महुआ	महुआ फुल कच्चा (फूड ग्रेड)		1000.00
11	झाड़ू	झाड़ू कांटा (घास)		2500.00
12		झाड़ू छिंद (घास)		1500.00
13	बेल	बेल फल (कच्चा)		1000.00
14	जामुन	जामुन फल (कच्चा)		2300.00
15	रैली कोसा	रैली कोसा (साबुत) (दर 100 नग हेतु)	ग्रेड-1	680.00
		रैली कोसा (साबुत) (दर 100 नग हेतु)	ग्रेड-2	600.00
		रैली कोसा (साबुत) (दर 100 नग हेतु)	ग्रेड-3	460.00
रैली कोसा (पोली) (दर 100 नग हेतु)		ग्रेड-1	195.00	
रैली कोसा (पोली) (दर 100 नग हेतु)		ग्रेड-2	165.00	
रैली कोसा (पोली) (दर 100 नग हेतु)		ग्रेड-3	125.00	
16				
17	सवई	सवई घास		1500.00
18	कोदो	कोदो		3000.00
19	कुटकी	कुटकी (काला)		3100.00
		कुटकी (भूरा)		3100.00
20	रागी	रागी		3578.00
21	पाताल कुम्हड़ा	पाताल कुम्हड़ा कंद (सूखा)		2000.00
22	सफेद मुसली	सफेद मुसली कंद (सूखा)		65000.00
23	तीखुर	तीखुर कंद (कच्चा)		1700.00
24	अश्वगंधा	अश्वगंधा जड़ (सूखा)		18000.00
25	कोरिया	कोरिया बीज (इन्द्र जौ) (सूखा)		5000.00
26		कुटज छाल (सूखा)		1200.00
27	पलाश	पलाश फूल (सूखा)		1150.00
28	आम	अमचूर सफेद	ग्रेड-1	12000.00
		अमचूर भूरा	ग्रेड-2	8000.00
29	इमली	इमली फल छिलका सहित		1250.00

1.3 लघु वनोपज प्रसंस्करण

लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये राज्य में 139 वनधन विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है। स्थापित वनधन विकास केन्द्रों में लघु वनोपज का प्राथमिक प्रसंस्करण तथा प्रसंस्करण कार्य किया जाता है। वनधन विकास केन्द्रों के अंतर्गत लगभग 17,424 महिला स्व सहायता समूह लाभान्वित हो रहे हैं।

वनधन विकास केन्द्रों के माध्यम से लगभग 145 उत्पादों का निर्माण छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्राण्ड के तहत किया जा रहा है। हर्बल उत्पाद निर्माण के लिये चयनित समूह पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित है एवं हर्बल उत्पाद निर्माण नवीनतम तकनीक का उपयोग कर किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन प्रसंस्करण केन्द्रों द्वारा रु. 6.89 करोड़ का उत्पादन किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में महत्वपूर्ण लघु वनोपज के प्रसंस्करण का विवरण निम्नानुसार है:-

1.3.1 इमली प्रसंस्करण


वर्ष 2022-23 में लगभग 36198 क्विंटल इमली का डीसिडिंग कार्य किया गया, जिसमें 14714 हितग्राहियों को राशि रु. 1.99 करोड़ वितरित किया गया।



इमली प्रशिक्षण तथा प्रसंस्करण

1.3.2 जामुन प्रसंस्करण

वर्ष 2023-24 में 366 क्विं. जामुन संग्रहण कर उससे 190 क्विं. पल्प प्राप्त किया गया। पल्प निर्माण कार्य से लगभग 70 हितग्राहियों को राशि रु. 1.40 लाख की आय 15 दिवस में प्राप्त हुई। प्राप्त पल्प से विभिन्न जामुन उत्पाद जैसे- जामुन जूस, जामुन बार, तथा आर.टी.एस. का निर्माण किया जावेगा।



जामुन फल प्रसंस्करण

1.3.3 औषधि उत्पाद उत्पादन

राज्य में 07 वनधन विकास केन्द्रों द्वारा औषधि उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार आयुष विभाग द्वारा औषधि उत्पादों की मांग प्राप्त हो रही है। वर्ष 2022-23 में 08 प्रकार के औषधि उत्पाद वनधन विकास केन्द्रों से तैयार कर आयुर्वेदिक फार्मसी को विक्रय किया गया है। जिसका विक्रय मूल्य लगभग राशि रु. 2.00 करोड़ है।

1.3.4 गुणवत्ता नियंत्रण

लघु वनोपज एवं हर्बल उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण व परीक्षण अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, कांकेर एवं जगदलपुर। में वृत्त स्तर स्थापित लैब द्वारा सतत रूप से किया जा रहा है।

1.3.5 अनुसंधान एवं विस्तार


1.3.5.1 नवीन उत्पादों का निर्माण

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वर्तमान वर्ष में विभिन्न प्रकार के नवीन उत्पादों को लॉच करने की कार्यवाही की जा रही है।

क्र.	उत्पाद का नाम	संस्था
1.	महुआ एनर्जीबार	CFTRI, मैसूर
2.	इमली चटनी	थिंकिंगफोर्स बैंगलोर
3.	कटहल आचार	पारंपरिक विधि- CIPHET लुधियाना के सलाह से
4.	रोपा करील आचार	पारंपरिक विधि- CIPHET लुधियाना के सलाह से



आचार निर्माण प्रशिक्षण



कटहल आचार प्रसंस्करण

1.3.5.4 अनुसंधान विस्तार हेतु संचालित परियोजनाएँ

लघु वनोपज के संग्रहण, प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रसंस्करण, हर्बल उत्पाद निर्माण के अंतर्गत उन्नत तकनीक विकास, प्रक्रियाओं का मानकीकरण तथा नवीन उत्पादों के निर्माण आदि कार्य हेतु विभिन्न संस्थाओं से अनुबंध किये गये हैं। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परियोजना विषय	लागत (रु.लाख में)	संस्था का नाम	वांछित आउटपुट
1.	लघु वनोपज संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण हेतु अम्ब्रेला एम.ओ. यू.	164.00	ICAR-CIPHET लुधियाना	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लघु वनोपज भंडारण, प्रोटोकाल निर्माण, कीट नियंत्रण तथा भंडारण संबंधी प्रशिक्षण। ➤ लघु वनोपज के प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रसंस्करण हेतु मशीनों का विकास तथा मॉडर्न प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना। ➤ लघु वनोपज तथा हर्बल उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था। ➤ अन्य संबंधित कार्य।
2.	Development of all-Natural Silk Protein an Thocyanin based restorative hair - dye formulation	24.86	IIT, BHU वाराणसी	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कोसा कोकून से हेयर डाय निर्माण।
3.	Technology for Production of Mahul leaves, Plates & Cup	28.85	IIT, BHU वाराणसी	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ग्रामीण क्षेत्रों में माहुल पत्ता से कप, प्लेट निर्माण हेतु एस.ओ. पी. विकास। ➤ खाने योग्य गोंद का विवरण। ➤ प्लेट एवं कप के सुदृढ़ता को बढ़ाने हेतु बायोमास आधारित उत्पाद निर्माण। ➤ दोना पत्तल निर्माण को विभिन्न कार्यों में काम आने वाले मशीनों का डिजाईन तथा विकास।

उपरोक्त के अतिरिक्त इमली चटनी के प्रसंस्करण प्रक्रिया तथा पैकेजिंग तकनीक विकास, पैकेजिंग तथा इमली ब्रिक्स सेल्फलाइफ बढ़ाने, पैकेजिंग डिजाईन विपणन आदि पर भी अनुसंधान परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं।

1.3.5.5 विशेषज्ञ सेवाएँ

उपरोक्त के अतिरिक्त सीफेट लुधियाना के वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा अन्य संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों की सेवाएँ लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण, संरक्षण तथा कृषि वानिकी के लिए विभिन्न प्रोटोकाल डेवलप किये गये हैं।

- वैज्ञानिक पद्धति से फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण, प्रसंस्करण, ग्रेडिंग (नेट डिजाईन, सोलर ड्रायर, इलेक्ट्रिक सोलर ड्रायर स्पेसिफिकेशन, पैकिंग आदि) तथा भंडारण तकनीक विकास।

- 67 लघु वनोपज प्रजातियों के क्रय मानक हेतु प्रोटोकाल विकास जिसकी स्वीकृति शासन से प्राप्त की गई है।
- जामुन उत्पाद जैसे- जामुन जूस, बार का प्रोटोकाल विकास जिसका प्रसंस्करण वनधन विकास केन्द्र बरोंडा, रायपुर में किया जा रहा है।
- मिलेट के प्राथमिक प्रसंस्करण हेतु मशीनों एवं इकाई का स्पेशिफिकेशन विकास कर राज्य में 08 स्थानों पर मिलेट तथा अन्य वनोपज प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किया गया है।
- वनधन विकास केन्द्र, बोड़ला, कवर्धा में उन्नत तथा नवीन तकनीक के शहद प्रसंस्करण केन्द्र स्थापना हेतु मशीनों का स्पेशिफिकेशन विकास।
- क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापना योजना, परीक्षण प्रोटोकाल विकास तथा प्रशिक्षण आदि।
- कॉमन इन्क्यूबेशन फेसिलिटी एवं रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क, देवभोग हेतु डी.पी.आर. निर्माण तथा मशीनों का स्पेशिफिकेशन तैयार करना।
- कृषकों की भूमि पर लघु वनोपज / औषधीय प्रजाति रोपण तथा वन धन क्लस्टर के अंतर्गत ग्राफ्टेड पौधे लगाये जाने हेतु एवं मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का लाभ हितग्राहियों को प्रदान करने हेतु विशेषज्ञों की सलाह ली गई तथा प्रोटोकॉल विकसित किया गया। साथ ही किसानों एवं जिला यूनियनों के अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।



विशेषज्ञ द्वारा जामुन जूस निर्माण प्रशिक्षण

1.4 जैविक प्रमाणीकरण

लघु वनोपज एवं हर्बल उत्पादों के बाजार दर में वृद्धि तथा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु जिला यूनियन तथा प्रसंस्करण केन्द्रों का जैविक प्रमाणीकरण कार्य प्रस्तावित है। इसके तहत वर्ष 2022-23 में 08 जिला यूनियनों के अंतर्गत जैविक प्रमाणीकरण कार्य कराया गया था, जिसमें 28 प्रकार के लघु वनोपजों का जैविक प्रमाणीकरण कराया गया था।

साथ ही साथ लघु वनोपज प्रसंस्करण के अंतर्गत जिला यूनियन कवर्धा में वन धन विकास केन्द्र बोड़ला एवं जिला यूनियन बिलासपुर में वन धन विकास केन्द्र कानन पेण्डारी का जैविक प्रमाणीकरण अर्गैनिक शहद निर्माण हेतु जैविक प्रमाणीकरण कराया गया ।

1.5 लघु वनोपज विपणन

1.5.1 कच्चे लघु वनोपज

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संग्रहित लघु वनोपज को ई-निविदा के माध्यम से विक्रय किया जाता है तथा लघु वनोपज को निश्चित दर पर भी विक्रय किया जाता है। साथ ही वर्ष 2022-23 में राशि रु. 54.52 करोड़ मूल्य के लघु वनोपज विक्रय किया गया है। वर्ष 2023-24 में कुल राशि रु. 75.00 करोड़ लघु वनोपज विपणन से प्राप्त किये जाने का लक्ष्य है।

1.5.2 हर्बल उत्पाद विपणन :-

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित वनधन विकास केन्द्रों एवं प्रसंस्करण केन्द्रों के माध्यम से लघु वनोपज आधारित विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। लघु वनोपज आधारित इन उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के अंतर्गत प्रदेश में एवं प्रदेश के बाहर विक्रय किया जा रहा है। इन उत्पादों की संघ द्वारा स्थापित वन धन विकास केन्द्रों तथा प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से निर्मित हर्बल उत्पादों को रिटेल मार्केटिंग करने हेतु संवितरक की नियुक्ति की गई है, जिसके माध्यम से हर्बल उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है। राज्य में थोक विक्रय हेतु 06 NWFP मार्ट एवं रिटेल विक्रय हेतु 36 संजीवनी विक्रय केन्द्र तथा 02 मोबाईल वैन संचालित है। संजीवनी के अतिरिक्त निजी दुकानों एवं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जैसे ई-प्लेटफॉर्म में भी उत्पाद विक्रय हेतु उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रु. 6.19 करोड़ मूल्य के उत्पाद विक्रय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित हर्बल उत्पादों का दिनांक 31.08.2023 की स्थिति में राशि रु. 1.14 करोड़ का विक्रय किया गया है। वनधन विकास केन्द्रों से निर्मित उत्पादों के अतिरिक्त कलेक्टर सेक्टर अंतर्गत कांकेर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, सुकमा, रायपुर एवं कोरिया कुल 07 जिले में स्थापित अन्य प्रसंस्करण केन्द्रों द्वारा कुल 132 प्रकार के उत्पादों का विक्रय “छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्राण्ड” के अंतर्गत डिस्ट्रिब्यूटर के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा उत्पादों के विक्रय को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय भण्डार नई दिल्ली तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर के साथ एम.ओ.यू. का निष्पादन किया गया है। केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली को शुरूआती तौर पर कुल 32 उत्पादों का विक्रय छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जा रहा है।

प्रदेश के बाहर छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की उपस्थिति हेतु Institutional Agents/ Agency का चयन EOI के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन की संक्षिप्त प्रगति निम्नानुसार है:-

लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण तथा विपणन प्रगति वर्ष 2023-24

(दिनांक 31.08.2023 की स्थिति में)

क्र.	कार्य का नाम	लक्ष्य (वर्ष 2023-24 हेतु)	विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में	वित्तीय वर्ष 2023-24 में (दिनांक 31.08.2023 तक)	लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति प्रतिशत	
					माह में (%)	कुल प्रगति (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	संग्रहित लघु वनोपज प्रजाति संख्या	67	67	40	5.97	59.70
2.	वनधन विकास केन्द्र संख्या	139	139	139	0.00	100.00
3.	लघु वनोपज संग्रहण (मूल्य रु. करोड़ में)	100	64.075	46.59	0.04	46.59
4.	लघु वनोपज विपणन (मूल्य रु. करोड़ में)	75	55.34	11.96	7.73	15.95
5.	प्रसंस्कृत उत्पाद विपणन (मूल्य रु. करोड़ में)	10	6.19	1.14	2.20	11.40

1.5.3 निर्यात को बढ़ावा

लघु वनोपज / औषधीय उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु संघ स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों तथा विषय विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है, जिसे Export Promotion Committee नाम दिया गया है। इस समिति द्वारा लघु वनोपज तथा हर्बल उत्पाद के निर्यात हेतु प्रयास किये जायेंगे।

1.6 लघु वनोपज व्यापार में लाभ-हानि

लघु वनोपज व्यापार में होने वाले लाभ हानि की गणना अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर की जाती है। इस योजना अंतर्गत जनजातीय मंत्रालय, भारत शासन को अतिरिक्त अनुदान तथा व्यापार में हानि प्रतिपूर्ति हेतु प्रेषित प्रस्ताव के विरुद्ध राशि अप्राप्त है, जिसके कारण समर्थन मूल्य पर वनोपज क्रय कार्य में कठिनाई हो रही है। लघु वनोपज क्रय-विक्रय एवं लाभ-हानि का विवरण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष वार लघु वनोपज संग्रहण एवं लाभ-हानि की प्रगति

(मात्रा क्विंटल में राशि रु. लाख में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	वनोपज संख्या	संग्रहण		विक्रय मूल्य	लाभ		हानि	
			मात्रा	संग्रहण मूल्य		वनोपज संख्या	मूल्य	वनोपज संख्या	मूल्य
1.	2014-15	2	142309.54	1438.00	1760.07	2	207.06	2	258.37
2.	2015-16	7	199145.54	4412.00	2402.56	7	39.10	7	2605.71
3.	2016-17	7	53129.74	2374.00	854.30	7	2.53	7	1123.02
4.	2017-18	7	128089.49	1403.00	1987.47	7	472.34	7	89.91
5.	2018-19	10	5074.48	381.00	344.58	10	4.86	10	95.32
	योग	10	527748.79	10008.00	7348.98	10	725.89		4172.33
6.	2019-20	17	72188.66	1694.00	980.87	18	72.12	18	1102.11
7.	2020-21	53	637402.00	15408.00	4825.04	लाभ-हानि गणना हेतु अंकेक्षण कार्य जारी है।			
8.	2021-22	58	342299.80	10996.00	4673.34				
9.	2022-23	65	187009.20	6296.46	5170.25				
10.	2023-24	67	214900.67	4341.14	513.00				
	योग	-	1453800.33	38735.60	16162.50	-	72.12	-	1102.11
	महायोग	-	1981549.12	48743.60	23511.48	-	798.01	-	5274.44

1.6.1 भारत शासन के प्रावधान

केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, प्रधानमंत्री वन-धन योजना, अन्य योजनाओं के अंतर्गत संग्रहित एवं प्रसंस्कृत वनोपज के व्यापार से प्राप्त हानि की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा तथा प्राप्त लाभ का वितरण प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में संग्राहकों एवं समूहों को किया जावेगा।

1.6.1.1 हानि की प्रतिपूर्ति

भारत शासन के निर्देशानुसार लघु वनोपज क्रय-विक्रय में होने वाले हानि की प्रतिपूर्ति भारत शासन तथा राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। हानि की 75 प्रतिशत राशि भारत शासन द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा देय होगी। भारत शासन को हानि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। परंतु आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की हानि प्रतिपूर्ति नहीं की गई है।

1.6.1.2 लाभांश का वितरण

लघु वनोपज के विक्रय प्राप्त होने वाले लाभ का वितरण प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में संग्राहकों एवं समूहों के मध्य किया जाना है, जिसके लिये विस्तृत दिशा-निर्देश छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रशासकीय विभाग के पूर्व अनुमोदन उपरांत जारी किया जायेगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना

- संग्रहण वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक संग्रहित लघु वनोपज के व्यापार में यदि लाभ प्राप्त हुआ है तो उसके शुद्ध लाभ की 100 प्रतिशत राशि प्रजाति वार लघु वनोपज संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक

के रूप में वितरित किया जावेगा। यह राशि संग्रहित मात्रा के अनुपात में वितरित होगी।

- वर्ष 2020-21 या उसके पश्चात् संग्रहित वनोपज के विक्रय से प्राप्त शुद्ध लाभ की 80 प्रतिशत राशि जिला यूनियन / प्राथमिक समिति के संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में वितरित किया जावेगा। साथ ही शुद्ध लाभ की 5 प्रतिशत राशि ग्राम स्तरीय स्व सहायता समूहों को तथा 5 प्रतिशत राशि हाट बाजार स्तरीय स्व सहायता समूहों को वितरित की जावेगी। शेष 10 प्रतिशत राशि लघु वनोपज समृद्ध क्षेत्र के संवर्धन तथा विकास हेतु आवंटित किया जावेगा।

तेंदूपत्ता व्यापार से प्राप्त लाभांश की 15 प्रतिशत राशि से संग्रहित लघु वनोपज व्यापार में लाभांश वितरण

- सम्पूर्ण राज्य में प्रत्येक लघु वनोपज व्यापार में प्राप्त शुद्ध लाभ का 60 प्रतिशत राशि लाभ प्राप्त करने वाले जिला यूनियन / प्राथमिक समिति के संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में वितरित किया जायेगा। इसी प्रकार 5 प्रतिशत राशि ग्राम स्तर समूह को 5 प्रतिशत राशि हाट बाजार स्तर समूह को वितरित किया जावेगा। 20 प्रतिशत राशि का समायोजन उन वनोपज के व्यापार में हानि प्रतिपूर्ति के रूप में किया जायेगा जिसमें संग्रहण वर्ष में हानि की स्थिति बनती है।
- सम्पूर्ण राज्य में प्रत्येक लघु वनोपज व्यापार में प्राप्त शुद्ध लाभ का 10 प्रतिशत राशि लघु वनोपज समृद्ध क्षेत्र के संवर्धन तथा विकास हेतु वितरित किया जाये।

1.6.2 हानि का कारण

1. भारत शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से अधिक है।
2. अन्य राज्य में MSP दर पर लघु वनोपज की खरीदी नहीं होती जिसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर बाजार दर में वृद्धि नहीं हो पाती।
3. लघु वनोपज के बाजार माँग में अत्यंत उतार-चढ़ाव होता है।
4. मौसम के प्रतिकूल होने पर लघु वनोपज की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

1.6.3 व्यापार में हानि को कम करने हेतु किये गये प्रयास

1. जिन प्रजातियों का बाजार दर एमएसपी दर से कम है उन प्रजातियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भारत शासन के निर्देश तथा राज्य शासन की स्वीकृति अनुसार 10 प्रतिशत तक कम किया गया।
2. बाजार मानक अनुरूप लघु वनोपज खरीदी हेतु समस्त 67 लघु वनोपज के संग्रहण मानक निर्धारित कर समूहों / संग्राहकों तथा स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया।

3. गुणवत्ता नियंत्रित करने हेतु राज्य में 05 लैब की स्थापना की गई जहाँ प्रत्येक लघु वनोपज की गुणवत्ता जाँच कर क्रय किये गये उत्पादों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।
4. लघु वनोपज के मूल्यवर्धन हेतु अधिकाधिक प्रयास किया जा रहा है।
5. संग्राहकों एवं समूहों के मध्य जागरूकता लाने हेतु सतत् रूप से क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
6. मूल्यवर्धन गुणवत्ता नियंत्रण हेतु विशेषज्ञों की सेवा ली जा रही है।

1.7 लाख पालन (मद क्र. 35)

छत्तीसगढ़ राज्य में लाख पालन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की अपार सम्भावना है। छ.ग. राज्य में वर्तमान में लगभग 4,000 मी. टन लाख उत्पादन, जिसका मूल्य रु. 100.00 करोड़ होता है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिला जैसे- कोरबा, कोरिया, बलरामपुर, गरियाबंद, कांकेर, धमतरी, जशपुर, सूरजपुर एवं जगदलपुर आदि कुल 18 जिलों में लाख पालन की खेती प्रमुखतः से किया जाता है। छ.ग. शासन द्वारा देश में पहली बार लाख पालन की खेती को बढ़ावा दिये जाने हेतु “लाख उत्पादक कृषकों/कृषक समूहों को लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण वितरण कराने हेतु योजना वर्ष 2021” लागू किया गया है।

इस योजनांतर्गत लाख पालक कृषकों को लाख पालन हेतु निःशुल्क ब्याज दर पर सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) के माध्यम से ऋण वितरण कर लाख पालन की खेती को बढ़ाया जायेगा जिससे प्रत्येक कृषक को राशि रु. 50,000/- राशि स्व सहायता समूहों को राशि रु. 50,000/- से रु. 2.00 लाख निःशुल्क ब्याज पर ऋण राशि स्वीकृत किया जावेगा। इससे राज्य के लगभग 50,000 किसान परिवारों को अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होगी।

वर्ष 2022-2023 में लाख पालन की खेती हेतु जिला यूनियन गरियाबंद, पूर्व भानुप्रतापपुर एवं धमतरी अंतर्गत कुल 153 प्रकरण का स्वीकृति प्रदाय कर लाख पालक कृषकों को राशि रु. 46.97 लाख का वितरण सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) के माध्यम से किया गया है।

लाख उत्पादन क्लस्टर क्षेत्रों का चिन्हांकित कर फसल ऋण प्रदाय करने हेतु वन धन मित्रों के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। निश्चित समयावधि में बीहन लाख प्रदाय करने हेतु निविदा / सप्लाई चैन प्रक्रिया के तहत कृषकों को मांग अनुसार अग्रिम राशि जमा करने उपरान्त बीहन की उपलब्धता किया जा रहा है।

1.8 उद्यमिता विकास (मद क्र. 53)

राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत राज्य में लघु वनोपज आधारित नवीन उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने हेतु प्रावधान किया गया है। उक्त उद्योग को बढ़ावा देने हेतु संघ में Entrepreneurship Development Cell स्थापित करने हेतु कार्यवाही जारी है।

1.8.1 कॉमन इन्क्यूबेशन फेसिलिटी एवं रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क, देवभोग

जिला गरियाबंद के देवभोग में PMFME के अंतर्गत इन्क्यूबेशन सेंटर एवं ग्रामीण फूड पार्क की स्थापना कार्य प्रारंभ की जा चुकी है। जिसमें विभिन्न प्रकार के वनोपज एवं कृषि उपज आधारित प्रसंस्करण उद्योग जैसे- लाख, दाल, मसाला, चिरौंजी, खाद्य तेल (फल्ली तेल) एवं तैलीय बीज प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से संचालित किये जायेंगे। इस हेतु उपरोक्त 06 प्रसंस्करण इकाई एक ही परिसर में स्थापित किये जायेंगे जिसकी लागत राशि रु. 7.09 करोड़ है। जिसमें PMFME One District One Product के तहत राशि रु. 5.50 करोड़ लागत का प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, इसकी स्वीकृति अपेक्षित है, इस हेतु वर्तमान में यह कार्य संघ मद से किया जा रहा है एवं RIPA (ग्रामीण औद्योगिक पार्क) के तहत राशि रु. 01.28 करोड़ प्राप्त हुआ है।

1.8.2 रैली कोसा वेट रीलिंग यूनिट

बस्तर क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रैली कोसा प्रसंस्करण हेतु जिला यूनियन जगदलपुर के नानगूर प्राथमिक समिति क्षेत्र में रैली कोसा वेट रीलिंग यूनिट केन्द्रीय सिल्क बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई है। परियोजना के अंतर्गत राशि रु. 2.88 करोड़ भवन तथा मशीनरी हेतु स्वीकृत की गई है। उक्त कार्य हेतु शेष 10 प्रतिशत राशि रु. 1.16 करोड़ संघ द्वारा वहन किया जायेगा। यह कार्य रेशम विभाग के सहयोग से क्रियान्वयन किया जायेगा। उपरोक्त कार्य द्वारा बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों तथा चाँपा के बुनकरों को रैली कोसा प्रसंस्करण का लाभ मिलेगा। इसके साथ-साथ छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वन विभाग तथा रेशम विभाग के सहयोग से भविष्य में बस्तर क्षेत्र में रैली कोसा के उत्पादन बढ़ाने हेतु भी प्रयास किया जायेगा।

1.8.3 केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना :-

लघु वनोपज के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने तथा संग्राहकों की आय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का कार्य ग्राम जामगाँव (एम.), विकासखण्ड पाटन, जिला दुर्ग में किया जा रहा है, जिसमें छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा आयुर्वेदिक इकाई, हर्बल एक्सट्रेक्ट इकाई की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। आयुर्वेदिक इकाई के भवन निर्माण का कार्य पूर्णता की ओर है तथा आयुर्वेदिक इकाई हेतु इक्वूपमेन्ट/मशीन क्रय करने की कार्यवाही CSIDC के द्वारा की जा रही है। हर्बल एक्सट्रेक्शन इकाई की स्थापना का कार्य RFP विधि से चयनित फर्म द्वारा किया जा रहा है। केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई के लिये आधारभूत अधोसंरचनाएँ जैसे- वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कामन फेसिलिटी, बिजली, पानी, सड़क इत्यादि का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

1.8.4 लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु निजी निवेशकों के माध्यम से उद्योगों की स्थापना -

राज्य में उत्पादित होने वाले लघु वनोपजों को राज्य में ही प्रसंस्कृत कर इनका मूल्य संवर्धन किये जाने के लिये वनांचल अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ तथा निजी निवेशकों के मध्य कुल 04 एमओयू का

निष्पादन किया गया है। यह एमओयू, विराज कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के साथ महुआ फूल प्रसंस्करण की इकाई की स्थापना हेतु, अवनी आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के साथ मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु, बस्तर बॉटनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बस्तर के साथ महुआ डिस्टिलेशन प्लांट स्थापना हेतु तथा कोसर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पुणे के साथ इमली प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना हेतु किया गया है।

उपरोक्त 04 इकाईयों की स्थापना के लिये किये गये एमओयू की लागत कुल रु. 38.64 करोड़ है तथा इस प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना से बस्तर में उत्पादित होने वाले लघु वनोपज जैसे इमली, महुआ एवं कोदो, कुटकी का प्रसंस्करण राज्य में ही किया जावेगा। वर्तमान में कोदो, कुटकी एवं रागी के उत्पादों का प्रसंस्करण प्रारंभ हो चुका है। साथ ही इसका विक्रय "छत्तीसगढ़ हर्बल्स" ब्राण्ड अंतर्गत भी किया जा रहा है। इस प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तथा इमली, महुआ एवं कोदो, कुटकी के संग्राहकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।

1.8.5 वनधन विकास केन्द्र सुदृढीकरण कार्यक्रम

लघु वनोपज से समृद्ध वनधन विकास केन्द्रों का चयन कर वहां लघु वनोपज आधारित विकास कार्य को विशेष कार्य योजना के तहत संपादित कर संग्राहकों एवं महिला समूहों के आय वृद्धि हेतु वनधन विकास केन्द्र सुदृढीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में लघु वनोपज से समृद्ध 10 जिला यूनियनों के 30 वनधन विकास केन्द्र क्लस्टर का सुदृढीकरण किया जा रहा है। साथ ही इन जिला यूनियनों / वनधन विकास केन्द्रों के अंतर्गत संग्राहक जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिससे संग्राहकों को शासकीय योजनाओं का ज्ञान प्राप्त होगा तथा संग्राहक लघु वनोपज हेतु निर्धारित दरों के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे संग्राहकों का शोषण कम होगा। इस कार्यक्रम की कुल लागत राशि रु. 65.50 लाख है। यह राशि संघ के लघु वनोपज व्यापार एवं विकास मद मद से देय होगी।



वन-धन विकास केन्द्र सुदृढीकरण कार्यक्रम

1.9 लघु वनोपज प्रजाति एवं औषधि पौधों का संवर्धन एवं कृषक भूमि पर लघु वनोपज प्रजाति रोपण (कृषि वानिकी)

प्रत्येक प्राथमिक लघु वनोपज समिति जहां पर विभिन्न प्रकार की लघु वनोपज प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, परंतु लगातार दोहन से लघु वनोपज में कमी आई है, ऐसे क्षेत्रों में लघु वनोपज/औषधि प्रजाति के उत्पादन में वृद्धि करने संबंधित वनक्षेत्र का संवर्धन कार्य वन प्रबंधन समिति के सदस्य तथा लघु वनोपज संग्राहकों को जागरूक कर किया जा रहा है।

क्षेत्र के मुख्य लघु वनोपज / औषधि प्रजाति के पौधों को कृषक भूमि पर रोपण कर उनके उत्पादन में वृद्धि के साथ कृषकों को अतिरिक्त आय का साधन प्रदाय किया गया।

1.9.1 कृषि वानिकी

इस कार्यक्रम के अंतर्गत लघु वनोपज से समृद्ध वन क्षेत्र के समीप प्राथमिक समिति क्षेत्र में निजी भूमि पर उन्नत किस्म की लघु वनोपज प्रजाति रोपण को बढ़ावा देते हुए, लघु वनोपज उत्पादन मात्रा तथा गुणवत्ता को बढ़ाया जाना है। इस प्रक्रिया द्वारा क्षेत्र के वनवासियों को अतिरिक्त आय के साथ-साथ वन क्षेत्र पर जैविक दबाव भी कम होगा।

प्रस्तावित कार्य योजना में कृषक का श्रम योगदान, तथा योगदान राशि अनिवार्य है। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को प्रति ग्राफ्टेड पौधे हेतु अपना योगदान राशि देना है, तथा राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रति ग्राफ्टेड पौधे की अनुदान राशि कृषक को प्रदाय की जायेगी। उच्च गुणवत्ता के ग्राफ्टेड पौधे रु. 50/- में हाइटेक रोपणी से प्राप्त कर कृषक को प्रदाय किये जा सकेंगे।

योजना का लाभ लेने हेतु चयनित प्राथमिक समिति क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में इच्छुक कृषकों द्वारा कम से कम 500 पौधे ग्राफ्टेड पौधे स्वयं के खेत में रोपण आवश्यक है। किसी कृषक द्वारा स्वयं की भूमि, बाड़ी, कृषि भूमि मेड़ / सीमा फेंसिंग पर सुरक्षित स्थान पर 5 से 500 पौधे लघु वनोपज / औषधि प्रजाति के ग्राफ्टेड आँवला, जामुन, इमली, बेल लगाये जा सकते हैं। साथ ही महुआ चिरौजी आदि के पौधे भी लगाये जा सकते हैं। इस पर अनुदान राशि रु. 25/- प्रति पौधा कृषक को देय होगा।

वर्ष 2023-24 में वर्षा ऋतु में जुलाई-अगस्त 2023 में ग्राफ्टेड, आँवला, इमली, जामुन के पौधे लगाये गये। इसके अतिरिक्त लाख पोषक वृक्ष (कुसुम, बेर) का रोपण किया गया। अंतरवर्ती फसल के रूप में अश्वगंधा, सर्पगंधा तथा शतावर का रोपण किया गया।

कृषि वानिकी औषधीय रोपण

क्र.	जिला यूनियन का नाम	रोपित प्रजाति पौध संख्या				
		ग्राफ्टेड आँवला	ग्राफ्टेड इमली	ग्राफ्टेड काजू	कुसुम	बेर
1	जगदलपुर	5300	1500	1012	0	1200
2	धमतरी	430	0	0	0	1010

क्र.	जिला यूनियन का नाम	रोपित प्रजाति पौध संख्या				
		ग्राफ्टेड आँवला	ग्राफ्टेड इमली	ग्राफ्टेड काजू	कुसुम	बेर
3	गरियाबंद	1000	0	0	0	0
4	रायगढ़	4200	0	0	0	4500
5	धरमजयगढ़	0	0	0	0	2000
6	कोरबा	5000	0	0	0	0
7	कटघोरा	1892	0	0	0	0
8	मरवाही	3000	0	0	0	0
9	मनेन्द्रगढ़	4000	0	0	0	0
10	कोरिया	5300	0	0	0	0
11	बलरामपुर	570	0	0	0	0
12	सूरजपुर	0	0	0	0	0
	योग	30692	1500	1012	0	8710

1.10 मानव संसाधन विकास

1.10.1 इंटरन चयन

लघु वनोपज आधारित विकास कार्यो अंतर्गत वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एवं शासन की योजनाओं का संग्राहकों एवं हितग्राहियों के मध्य प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से संघ द्वारा इंटरनशिप योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत इंटरन संग्रहण, प्रसंस्करण, आयुर्वेद, आई.टी., लैब, मार्केटिंग, आदि के लिये 100 पद की स्वीकृति संचालक मंडल से प्राप्त की गई है। इंटरन चयन से लघु वनोपज आधारित कार्यो में वृद्धि परिलक्षित हुई है। साथ ही इससे राज्य में बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

01 वर्ष इंटरनशिप पूर्ण कर चुके योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार आधार पर मैनेजर (वन धन विकास केन्द्र) के रूप में चयन किया जाता है।

1.10.2 वन धन मित्र चयन

उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों का कौशल उन्नयन किये जाने के उद्देश्य से लगभग 1100 वनधन मित्रों का चयन किया गया। ये वनधन मित्र स्व सहायता समूहों को लाख विकास, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन संबंधी कार्यो में सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर संघ से प्रेषित निर्देशानुसार अन्य कार्यो में भी इनका सहयोग लिया जाता है। इनके कौशल उन्नयन के लिए संघ द्वारा सतत रूप से वनधन मित्रों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इन्हें इस कार्य हेतु रु. 1500/- प्रतिमाह मानदेय के साथ प्रगति के आधार पर संघ द्वारा निर्धारित इन्सेंटिव प्रदान किया जाता है।

1.10.3 प्रशिक्षण

वर्ष 2022-23 में संघ द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाए जिसमें लगभग 10000 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। जिसमें महिला स्व सहायता समूह के सदस्य, वनधन मित्र, संग्राहक, किसान आदि शामिल थे।

क्र.	प्रशिक्षण का नाम
1.	सप्लाई चैन प्रबंधन
2.	इमली संग्रहण, प्रसंस्करण तथा भंडारण
3.	फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण
4.	चिरौजी संग्रहण
5.	आमचूर संग्रहण तथा प्रसंस्करण
6.	वनधन विकास केन्द्र सुदृढीकरण

1.11 अधोसंरचना विकास (मद क्र. 60.11)

राज्य में लघु वनोपज भंडारण हेतु विभिन्न स्थानों पर गोदाम तथा अन्य अधोसंरचना निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त अधोसंरचना हेतु विभिन्न योजनाओं के साथ संघ योजनाओं का लाभ लिया जावेगा। इस संबंध में प्राक्कलन तैयारी कार्य जारी है।

1.12 'C'-मार्ट स्थापना संबंधी प्रगति :-

- 1.12.1 माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत संचालित स्व सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकरों, कुम्भकारों अथवा अन्य पारम्परिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का समुचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु, इसकी व्यवसायिक ढंग से मार्केटिंग किये जाने तथा उत्पादक समूहों को अधिकतम लाभ प्रदाय किये जाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा 'C'-मार्ट योजना आरम्भ की गई है।
- 1.12.2 राज्य में 05 राज्य स्तरीय सी-मार्ट आउटलेट की स्थापना रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर एवं जगदलपुर में की जानी है। राज्य स्तरीय सी-मार्ट दुर्ग एवं जगदलपुर का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा क्रमशः दिनांक 27.08.2022 एवं 07.10.2022 को किया गया है। राज्य स्तरीय सी-मार्ट बिलासपुर एवं सरगुजा का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा क्रमशः दिनांक 02.12.2022 को एवं रायपुर सी-मार्ट का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 19.04.2023 को किया गया है। समस्त राज्य स्तरीय सी-मार्ट से स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है।
- 1.12.3 छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा मुख्य सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है जिसमें प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। साथ ही जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राज्य शासन द्वारा जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसके तहत वन-मण्डलाधिकारी सह प्रबंध संचालक जिला यूनियन को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

राज्य स्तरीय सी-मार्ट अंतर्गत कलेक्टर सेक्टर एवं अन्य विभाग के 85 से अधिक स्व-सहायता समूह लाभान्वित हैं। समूहों से राज्य स्तरीय सी-मार्ट. एम.ओ.यू. किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य के दुग्ध महासंघ, माटीकला बोर्ड, हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी ग्राम उद्योग के उत्पाद शामिल हैं। राज्य स्तरीय सी-मार्ट से 1000 से भी अधिक शासकीय उत्पादों की बिक्री की जा रही है।

1.13 लघु वनोपज संघ को वर्ष 2023-24 में प्राप्त पुरस्कार

- 1.13.1 छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किये जा रहे लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण तथा विपणन कार्य हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदाय किया गया है। संघ को सुशासन श्रेणी में भारत सरकार द्वारा ESG-Prithvi Awards से सम्मानित किया गया।
- 1.13.2 वन धन विकास केन्द्र जुनवानी, जिला यूनियन कर्वधा को कोदो, कुटकी, रागी संग्रहण एवं वन धन विकास केन्द्र आसना, जिला यूनियन जगदलपुर को ईमली प्रसंस्करण का उत्कृष्ट कार्य करने हेतु ESG-Prithvi Awards - राष्ट्रीय पुरस्कार, नई दिल्ली में प्रदाय किया गया है।

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण 31.07.2023 की स्थिति में

क.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक के पद			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
3	महा प्रबंधक (वन संरक्षक)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
4	उप महा प्रबंधक (उप वनसंरक्षक)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
5	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	प्रबंधक विलत (उप संचालक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	प्रणाली विश्लेषक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	प्रबंधक लेखा	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	2	0	6	6	0	30	26	4	38	34	4
10	उप प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
11	स्टाफ आफिसर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	निज सहायक/ निज सचिव	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
14	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
15	प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
16	वन क्षेत्रपाल	1	1	0	0	0	0	10	8	2	11	9	2
17	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	180	172	8	180	172	8
18	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
19	कर सहायक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
20	आंतरिक अंकेक्षक	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
21	शीघ्रलेखक	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
22	अधीक्षक	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
23	लेखा अधीक्षक	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
24	वरिष्ठ लेखापाल	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
25	लेखापाल	4	2	2	6	6	0	27	21	6	37	29	8
26	कनिष्ठ लेखापाल	7	7	0	0	0	0	21	20	1	28	27	1
27	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	7	9	0	6	7	0	31	30	1	44	41	3
28	आयुर्वेद चिकित्सक (संविदा)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
29	टेक्सानामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30	सहायक वर्ग-3/स्वागतकर्ता	21	11	10	6	6	0	61	30	31	88	47	41
31	वाहन चालक	12	11	1	4	3	1	18	8	10	34	22	12
32	दफ्तरी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
33	संदेशवाहक	16	8	8	12	8	4	49	24	25	77	40	37
34	घौकीदार (कलेक्टर दर)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	योग:-	108	83	25	40	35	5	427	337	86	575	455	120

टीप:- उप प्रबंधक/ उप प्रबंध संचालक के 28 पदों पर संविदा में सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक पदस्थ है ।

2 वन क्षेत्रपाल के 6 पदों पर संविदा में सेवानिवृत्त वनक्षेत्रपाल पदस्थ है ।

उप वनक्षेत्रपाल के 180 पदों को सहायक प्रबंधक संविदा पदों में परिवर्तन की अनुमति शासन द्वारा दी गई है । भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्तमान में वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर उप वनक्षेत्रपाल पदस्थ है ।

4 संघ मुख्यालय में रिक्त संदेशवाहक के 8 रिक्त पद के विरुद्ध जॉबदर पर श्रमिक कार्यरत है ।

(Signature)

सचिव एवं संयुक्त पंजीयक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ नवा रायपुर

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित एवं विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

संग्रहण वर्ष : 2022

जिला यूनियन का नाम	कुल लाटों की संख्या	लाटों की संख्या जहाँ पर संग्रहण हुआ है	कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	कुल विक्रित मात्रा (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण			विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण			अविक्रित लाटों का			
					लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	अविक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
बीजापुर	45	45	80938.356	80938.356	45	80938.356	733067907.25	9057.11	--	--	--	--	--	--
फुल्का	51	50	101902.824	101902.824	27	56008.007	336894048.11	6015.11	22	41677.978	148652882.00	3566.70	1	4216.839
दंतेवाड़ा	11	11	19694.273	19694.273	9	16780.250	98563628.47	5873.79	1	2399.123	8826374.00	3679.00	1	514.900
जयलपुर	15	15	16212.910	16153.932	6	8446.465	34615856.34	4098.27	9	7707.467	25189444.00	3268.19	0	0.000
दक्षिण कोडगांव	11	11	17344.192	17344.192	7	11642.835	53911900.58	4630.48	4	5701.357	20161723.00	3536.30	0	0.000
केशकाल	16	16	26075.645	26053.970	15	24876.270	126348179.91	5079.06	1	1177.700	5039379.00	4279.00	0	0.000
नारायणपुर	12	12	24030.885	24030.885	12	24030.885	144154914.85	5998.74	--	--	--	--	--	--
पूर्व भाद्रपतापुर	56	56	97326.265	97326.265	56	97326.265	876517446.06	9005.97	--	--	442032.00	--	4	2591.635
पश्चिम भाद्रपतापुर	55	55	79799.065	79799.065	51	77207.430	599157509.05	7760.36	--	--	--	--	--	--
कोकर	24	24	37049.055	37049.055	23	36384.055	300747628.78	8265.92	1	665.000	3182690.00	4786.00	0	0.000
राजानंदगांव	51	51	73257.435	73257.435	49	71831.200	591722315.74	8237.68	2	1426.225	4505375.00	3158.93	0	0.000
खैरागढ़	24	24	37058.805	37055.380	23	35590.935	232353044.47	6528.43	1	1464.445	7341263.00	5013.00	0	0.000
बालीद	18	18	22742.725	22742.725	18	22742.725	175248104.00	7705.68	--	--	--	--	--	--
कवर्षा	24	24	41760.270	41760.270	23	40616.600	260747925.00	6419.74	1	1143.670	5465599.00	4779.00	0	0.000
धमतरी	23	23	25666.480	25643.495	21	23921.725	193028253.23	8069.16	2	1721.770	6085907.00	3534.68	0	0.000
गरियाबंद	62	62	82601.770	82505.640	59	80673.445	702094945.28	8702.93	3	1832.195	6135511.00	3348.72	0	0.000
महासमुंद	69	69	83596.215	83596.215	69	83596.215	654384908.64	7827.93	--	--	--	--	--	--
बलीदा बाजार	16	16	22319.650	22303.630	13	19601.440	159859373.86	8155.49	3	2702.190	8320081.00	3079.01	0	0.000
बिलासपुर	21	21	30175.260	30175.260	19	29109.535	210849719.91	7243.32	2	1065.725	4779973.00	4485.18	0	0.000
मरवाही	14	14	22004.482	22004.482	13	21484.475	153573577.17	7148.12	1	520.007	2860559.00	5501.00	0	0.000
जांजगीर-चांपा	7	7	8099.095	8051.840	4	5798.745	26459947.39	4563.05	3	2253.095	7327953.00	3252.39	0	0.000
रायगढ़	41	41	55223.195	55223.195	41	55223.195	386865066.56	7005.48	--	--	--	--	--	--
धरमजगढ़	53	53	82508.320	82508.320	53	82508.320	710528952.04	8611.60	--	--	--	--	--	--
कोरबा	34	34	52777.360	52777.360	33	52228.600	454647921.92	8704.96	1	548.760	1925051.00	3508.00	0	0.000
कटघोरा	39	39	73949.815	73949.815	36	72070.895	611313201.22	8482.11	3	1878.920	6552778.00	3487.52	0	0.000
जयपुर नगर	20	20	33253.283	32987.916	16	25167.450	155772189.53	6189.43	3	5611.435	20272398.00	3612.69	1	2209.031
मनेन्दगढ़	20	20	44917.395	44917.395	18	40229.175	251731431.79	6257.43	2	4688.220	22900304.00	4884.65	0	0.000

जिला यूनिट का नाम	कुल लाटों की संख्या	लाटों की संख्या पर संग्रहण हुआ है	कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	कुल मातृ मात्रा (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण		विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण		अविक्रित लाटों का					
					लाटों की संख्या	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा में)	लाटों की संख्या	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा में)	लाटों की संख्या	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
कोरिया	16	16	34765.550	34763.040	15	33510.310	237437528.95	7085.51	1	1252.730	5711197.00	4559.00	0	0.000
सगुजा	15	15	36366.415	36331.020	12	30106.115	208748310.05	6933.75	3	6224.905	27809845.00	4467.51	0	0.000
बलरामपुर	64	64	144754.690	143975.916	31	83206.290	417232361.82	5014.43	33	60769.626	229473905.00	3776.13	0	0.000
सूरजपुर	30	30	74215.644	74167.119	20	60320.955	389276637.35	6453.42	10	13846.164	52427150.00	3786.40	0	0.000
कुल योग	957	956	1582387.324	1580990.285	837	1403179.163	10487854735.32	7474.35	112	168278.717	631389373.00	3752.05	7	9532.405

Handwritten signature

अपर प्रबंध संचालक (व्यापार)
 कर्नाटक राज्य लघु वनोद्य (व्यापार एवं विकास)
 अधिकारी संघ मण्डल, रायपुर

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित एवं विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

संग्रहण वर्ष : 2023

जिला यूनियन का नाम	कुल लाटों की संख्या	लाटों की संख्या पर संग्रहण हुआ है	कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	कुल मण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण			विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण			अविक्रित लाटों का			
					लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में मण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	विक्रित लाटों में मण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	अविक्रित लाटों में मण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
बीजापुर	45	45	81098.457	81098.457	45	81098.457	539330402.888	6650.32	---	---	---	---	---	---
सुकमा	48	48	122075.766	122075.766	40	107861.244	467286427.68	4332.29	3	3903.810	32138320.00	8232.55	5	10310.712
दत्तेवाहा	11	11	15632.670	15632.670	11	15632.670	74226185.44	4748.15	---	---	---	---	---	---
जगदलपुर	15	15	20921.880	20782.304	13	18634.680	65031427.15	3489.81	---	---	---	---	2	2147.624
दक्षिण कोडागांव	11	11	18608.188	18608.188	11	18608.188	63979340.79	3438.24	---	---	---	---	---	---
केशकाल	16	16	24963.330	24963.330	16	24963.330	104178238.01	4173.25	---	---	---	---	---	---
नारायणपुर	12	11	18609.669	18609.669	12	18609.669	93407344.90	5019.29	---	---	---	---	---	---
पूर्व भानुपुतापुर	56	56	90786.110	90786.110	56	90786.110	736754448.26	8115.28	---	---	---	---	---	---
पश्चिम भानुपुतापुर	55	45	34937.080	34888.830	51	32949.260	197751310.70	6081.69	3	1546.765	8928529.00	5772.39	1	392.805
कांकेर	24	24	33342.855	33342.855	24	33342.855	24559892.19	7364.69	---	---	---	---	---	---
राजनांदगांव	51	51	60586.950	60586.950	51	60586.950	443780955.64	7324.70	---	---	---	---	---	---
सौरागढ़	24	24	24516.100	24516.100	24	24516.100	134584582.17	5489.64	---	---	---	---	---	---
बालोद	18	18	19031.185	19031.185	18	19031.185	135551122.90	7122.58	---	---	---	---	---	---
कवर्चा	24	24	32347.170	32347.170	24	32347.170	174851775.40	5405.47	---	---	---	---	---	---
घमत्ती	23	23	20584.065	20584.065	23	20584.065	147946228.79	7187.42	---	---	---	---	---	---
गरियाबंद	62	62	77606.433	77580.452	60	76129.385	595967164.48	7828.35	---	---	324450.00	---	2	1451.067
महासमुंद	69	69	70944.335	70944.335	69	70944.335	505139089.31	7120.22	---	---	---	---	---	---
बलीदा बाजार	16	16	16017.980	16017.980	14	14797.185	104173283.46	7040.07	1	554.955	2003943.00	3611.00	1	665.840
बिलासपुर	21	21	25549.815	25549.815	20	25255.300	153784563.92	6089.20	1	294.515	1775926.00	6030.00	0	0.000
मरवाही	14	14	10867.177	10867.177	14	10867.177	70209021.19	6460.65	---	---	---	---	---	---
जांजीर-चांया	7	7	6883.235	6883.235	6	6512.190	26298942.57	4038.42	1	371.045	1911253.00	5151.00	0	0.000
रायगढ़	41	41	49221.565	49221.565	41	49221.565	28928614.52	5869.96	---	---	---	---	---	---
गरमजगढ़	53	53	70945.485	70945.485	53	70945.485	561147971.49	7909.57	---	---	---	---	---	---
कोरबा	34	34	43822.253	43822.253	34	43822.253	334241893.56	7627.22	---	---	---	---	---	---
कटपौरा	39	39	58736.810	58736.810	38	58034.415	437463744.80	7538.01	1	702.395	3056121.00	4351.00	0	0.000
जयपुर नगर	20	20	27936.790	27936.790	20	27936.790	118018798.29	4224.49	---	---	---	---	---	---
मनेन्दगढ़	20	20	28756.450	28756.450	20	28756.450	153983533.06	5354.75	---	---	---	---	---	---

जिला यूनिट का नाम	कुल लाटों की संख्या	लाटों की संख्या पर संग्रहण हुआ है	कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	कुल मण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण			विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण			अविक्रित लाटों का			
					लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में मण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	विक्रित लाटों में मण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	अविक्रित लाटों में मण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
कोरिया	16	16	21177.595	21177.595	16	21177.595	130032396.17	6140.09	---	---	---	---	---	---
सरपुजा	15	15	22403.144	22403.144	15	22403.144	128447195.54	5733.45	---	---	---	---	---	---
बलरामपुर	64	64	90617.061	90581.657	48	65409.201	259826313.05	3972.32	10	12863.134	59502940.00	4625.85	6	12309.322
सूरजपुर	30	30	54584.010	54579.520	28	53324.680	292416927.11	5483.71	2	1254.840	5177092.00	4125.70	0	0.000
कुल योग	954	943	1294111.613	1293857.912	915	1245089.083	7784299135.42	6252.00	22	21491.459	114818574.00	5342.52	17	27277.370

[Handwritten Signature]

अपर प्रबंध संचालक (व्यापार)

कृतीसंग्रहण राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
लक्ष्मी संघ स्थापित, रायपुर

तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक 2020 की वितरण की स्थिति

परिशिष्ट - घ

क्र.	जि.यू. का नाम	वितरण योग्य राशि	वितरण समारोह पर व्यय होने वाली राशि 5/- प्रति मा.बो.	वितरित राशि	शेष राशि (3-5)
1	2	3	4	5	6
1	बीजापुर	92,24,008	1,78,950	90,99,502	1,24,506
2	सुकमा	3,98,99,997	1,41,746	3,98,99,997	-
3	दत्तेवाड़ा	-	-	-	-
4	जगदलपुर	7,07,592	4,295	7,07,592	-
5	दक्षिण कोण्डागांव	-	-	-	-
6	केशकाल	4,32,246	4,857	4,21,208	11,038
7	नारायणपुर	-	-	-	-
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	4,29,02,445	4,02,313	4,10,08,233	18,94,212
9	प. भानुप्रतापपुर	1,36,85,372	2,07,284	1,36,48,527	36,845
10	कांकेर	1,57,23,981	1,19,107	1,55,58,253	1,65,728
11	राजनांदगांव	2,46,20,303	2,09,163	2,46,07,050	13,253
12	खैरागढ़	34,87,530	17,644	34,87,530	-
13	बालोद	32,04,539	39,202	31,80,453	24,086
14	कवर्धा	17,204	4,218	17,204	-
15	धमतरी	66,66,155	74,938	66,66,155	-
16	गरियाबंद	4,24,13,354	2,30,551	4,24,13,354	-
17	महासमुन्द	1,72,30,351	1,63,025	1,72,30,351	-
18	बलौदाबाजार	50,61,172	43,161	50,61,172	-
19	बिलासपुर	12,96,554	27,533	12,45,678	50,876
20	मरवाही	34,58,277	26,761	31,08,028	3,50,249
21	जांजगीर-चांपा	58,843	1,805	58,843	-
22	रायगढ़	54,61,106	57,332	54,10,493	50,613
23	धरमजयगढ़	4,12,49,457	2,26,265	4,12,49,457	-
24	कोरबा	2,84,37,741	1,49,430	2,84,37,741	-
25	कटघोरा	2,63,38,127	1,55,861	2,11,61,060	51,77,067
26	जशपुरनगर	63,273	3,087	52,218	11,055
27	मनेन्द्रगढ़	9,58,837	28,987	9,58,837	-
28	कोरिया	35,78,674	46,013	33,92,931	1,85,743
29	सरगुजा	29,38,428	38,484	28,42,370	96,058
30	बलरामपुर	-	-	-	-
31	सूरजपुर	30,83,768	50,910	30,83,768	-
	योग	34,21,99,334	26,52,922	33,40,08,005	81,91,329

(Signature)

प्रबंधक लेखा

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, मर्या. रायपुर (छ.ग.)

विषय क्रमांक - 3

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रस्तावित क्रिया कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग-1 एवं वर्ग-2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजनायें, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।

(i) बीमा योजनायें:-

- **शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना:-** तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के समन्वय से यह योजना दिनांक 05.08.2020 से संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति / उत्तराधिकारी को राशि रु. 2.00 लाख की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि रु. 2.00 लाख अतिरिक्त रूप से प्रदाय किया जा रहा है। दुर्घटना से पूर्ण निःशक्त्ता की स्थिति में राशि रु. 2.00 लाख तथा आंशिक निःशक्त्ता की स्थिति में राशि रु. 1.00 लाख की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाएगी।
- तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 पूर्ण से 59 वर्ष के बीच हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/ उत्तराधिकारी को राशि रु. 30,000/- तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर रु. 75,000/- की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना में पूर्ण निःशक्त्ता की स्थिति में रु. 75,000/- तथा आंशिक निःशक्त्ता की स्थिति में रु. 37,500/- की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदाय करने का प्रावधान है।
- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि में से 50 प्रतिशत की राशि छ.ग. शासन, वन विभाग द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन किया जावेगा। वर्ष 2024-25 में इस योजना हेतु राशि रूपये 45.00 करोड़ का व्यय संभावित है।
- **सामूहिक सुरक्षा योजना (संघ संचालित)** - वर्ष 2020-21 हेतु सामूहिक सुरक्षा योजना का संचालन छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के द्वारा दिनांक 01.04.2020 से किया जा रहा है। संघ संचालित सामूहिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत मृतक तेंदूपत्ता संग्राहक के परिवार के मुखिया (दावेदार) को रूपये 12,000/- भुगतान किया जाता है। वर्ष 2024-25 में इस योजना हेतु राशि रूपये 2.50 करोड़ का व्यय संभावित है।

- **प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों समूह बीमा:-** प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए बीमा कराया गया है। वर्ष 2023-24 में बीमित प्रबंधकों की संख्या 764 है, जिसका प्रीमियम भुगतान 8.11 लाख किया गया है। वर्ष 2024-25 में इस योजना हेतु राशि रु. 10.00 लाख व्यय संभावित है।
- **प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के फंडमुंशीयों का समूह बीमा:-** प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तेंदूपत्ता फंडमुंशीयों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए बीमा कराया जाना है। वर्ष 2023-24 में बीमित फंडमुंशीयों की अनुमानित संख्या 10,000 है, जिसका प्रीमियम भुगतान राशि रु. 50.00 लाख संभावित है। वर्ष 2024-25 में इस योजना हेतु राशि रु. 55.00 लाख व्यय संभावित है।
- **संघ द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं-** तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसे मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना हेतु राशि रु.13.00 करोड़ व्यय संभावित है।

(ii) राष्ट्रीयकृत वनोपज का व्यापार

तेन्दू पत्ता - वर्ष 2024-25 में भी विगत वर्ष की भांति तेन्दू पत्ता का संग्रहण एवं विक्रय व्यापार प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के माध्यम से संचालित की जावेगी। अनुमानित संग्रहण लक्ष्य 16.72 लाख मानक बोरा है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2023 एवं पूर्व के वर्षों के क्रेता करारनामा समाप्त लाटों का निर्वर्तन किया जावेगा तथा निर्वर्तन से प्राप्त राशि एवं प्रथम क्रेता से प्राप्त योग्य राशि के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2024 में कुल 954 लाटों में लगभग 16.72 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है। अनुमानित तेन्दूपत्ते का अग्रिम विक्रय आनलाइन निविदाएँ आमंत्रित करके की जावेगी। तेन्दूपत्ता संग्रहण में कुल रु. 669 करोड़ के संग्रहण पारिश्रमिक के वितरण का अनुमान है।

(iii) वर्ष 2021 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

सीजन 2021 एवं सीजन 2022 के तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरान्त प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) राशि रूपये क्रमशः 163.59 एवं 264.68 करोड़, प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूपये में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को वितरण की अनुमति शासन से प्राप्त हो चुकी है, जिसका वितरण शीघ्र प्रारंभ कर पूर्ण किया जावेगा।

(iv) अकाष्ठीय वनोपज विकास - वर्ष 2024-25 में प्रस्तावित क्रियाकलाप (भविष्य की रणनीति)



1. लघु वनोपज संरक्षण एवं उत्पादन का बढ़ावा

वर्तमान वर्ष में लघु वनोपज संरक्षण एवं कृषि वानिकी के तहत लघु वनोपज / औषधीय प्रजातियों का रोपण किया गया है। वर्ष 2023-24 में इस कार्य को विशेष कार्य योजना के तहत सम्पादित किया जावेगा। इसके तहत संघ एवं आदिवासी उप योजना के अंतर्गत लघु वनोपज के संरक्षण हेतु अंतःस्थलीय एवं बाह्यस्थालीय संवर्धन को बढ़ावा, औषधि रोपण, लघु वनोपज औषधि Enrichment Planting, बीज / पौध उत्पादन क्षेत्र का विकास, क्षमता विकास कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

2. लघु वनोपज संग्रहण

लघु वनोपज संग्रहण हेतु निम्नानुसार संचालित योजनाओं के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त लघु वनोपज खरीदी को बढ़ावा दिया जावेगा।

2.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना (मद क्र. 7)

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित लघु वनोपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना वर्ष 2014-15 से राज्य में लागू की गई है। इस योजनांतर्गत लघु वनोपज व्यापार हेतु वर्ष 2014-15 से अभी-तक रु. 204.91 करोड़ राशि संघ को प्राप्त हुई है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि भारत शासन द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

भारत शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में लघु वनोपज खरीदी के बजट प्रस्ताव भी तैयार किया गया है।

2.2 लघु वनोपज व्यापार एवं विकास मद (अर्थात् तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त लाभांश का 15 प्रतिशत राशि से) (मद क्र. 60)

2.2.1 लघु वनोपज संग्रहण कार्य

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज संग्राहकों को लाभ देने हेतु 38 प्रकार के लघु वनोपज को भारत शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तथा 29 प्रकार के अन्य वनोपज को उचित दर पर इस तरह कुल 67 प्रकार के लघु वनोपज के क्रय हेतु व्यवस्था की गई है। वर्ष 2024-25 में इस मद के अंतर्गत क्रय किये जाने वाले लघु वनोपज की मात्रा जैसे कि मिलेट आदि अधिक होने के कारण वर्ष 2024-25 में संग्रहण हेतु आवश्यक राशि की वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

2.3 लघु वनोपज गुणवत्ता नियंत्रण

स्थापित लैब के माध्यम से लघु वनोपज गुणवत्ता नियंत्रण कार्य नियुक्त विशेषज्ञ अमलों के माध्यम से कराया जायेगा। इस कार्य को प्राथमिकता के तहत सम्पादित किया जावेगा। गुणवत्ता नियंत्रण निम्न चरणों में होगी :-

- खरीदी के समय
- भंडारण के पूरा प्री डिस्पेच इंस्पेक्शन
- भंडारण पश्चात् लैब में
- भंडारण के समय

3 लघु वनोपज प्रसंस्करण तथा लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा

लघु वनोपज आधारित आजीविका विकास कार्यों को लाभप्रद बनाने के लिये तथा संग्राहकों को उनके वनोपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु वर्ष 2024-25 में लघु वनोपज के मूल्यवर्धन को बढ़ावा दिया जायेगा। यह कार्य निम्न योजनाओं के अंतर्गत संचालित होगा :-

3.1 प्रधानमंत्री वन-धन योजना (मद क्र. 8)

लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु राज्य में 139 वन-धन विकास केंद्र स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री वन-धन योजनांतर्गत प्रत्येक केंद्र के लिये रूपये 15.00 लाख अनुदान राशि भारत शासन से प्राप्त हुआ है। उक्त योजनांतर्गत स्व-सहायता समूहों का प्रशिक्षण, उपकरण व्यवस्था, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण हेतु चक्रीय राशि का प्रावधान किया गया है।

3.1.1 प्राथमिक/द्वितीयक प्रसंस्करण

समर्थन मूल्य पर क्रय किये जा रहे वनोपज के प्राथमिक / द्वितीयक प्रसंस्करण हेतु कार्य योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित किया जायेगा। इससे वन धन विकास केन्द्र से जुड़े हितग्राहियों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा एवं वनोपज की मूल्य वृद्धि होगी।

3.1.2 हर्बल उत्पाद

इस योजना के तहत वन धन विकास केन्द्रों का सुदृढीकरण कर उनका क्षमता विकास किया जावेगा। वर्ष 2024-25 में वन धन विकास केन्द्रों के माध्यम से रु. 20.00 करोड़ के हर्बल उत्पाद "छत्तीसगढ़ हर्बल्स" ब्राण्ड के तहत उत्पादित कर विक्रय करने का लक्ष्य है। यह कार्य चयनित इंटरन, वन धन मित्र एवं संघ के अमलों के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा।

3.2 लघु वनोपज प्रजाति एवं औषधि पौधों का संवर्धन एवं कृषक भूमि पर लघु वनोपज प्रजाति रोपण (कृषि वानिकी)

इस मद के अंतर्गत प्रमुख लघु वनोपज, औषधि एवं गैर औषधि प्रजातियों का रोपण तथा अंतःस्थलीय एवं बाह्यस्थलीय संवर्धन किया जावेगा।

3.3 लघु वनोपज व्यापार एवं विकास मद (मद क्र. 60)

इस योजना के तहत स्थापित प्रसंस्करण केन्द्रों के अंतर्गत तकनीकी उन्नयन, अधोसंरचना विकास, अनुसंधान विस्तार, कॉमन फेसिलिटी सेंटर स्थापना आदि कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

3.3.1 लघु वनोपज प्रसंस्करण

इस मद अंतर्गत लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा दिये जाने का कार्य किया जावेगा। साथ ही जिला स्तरीय प्रसंस्करण इकाई - कॉमन फेसिलिटी सेंटर देवभोग, गरियाबंद तथा सिल्क प्रसंस्करण यूनिट नानगूर, जगदलपुर आदि कार्य किये जायेंगे।

3.3.2 अनुसंधान विस्तार एवं विशेषज्ञ सेवाएँ

प्रस्तावित परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त सुझाव के आधार पर नवीन उत्पाद निर्माण, तकनीकी उन्नयन तथा परियोजना में अन्य प्रस्तावित कार्यो का क्रियान्वयन किया जावेगा।

3.3.3 अधोसंरचना निर्माण

लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण एवं भंडारण हेतु निर्मित अधोसंरचना के उन्नयन तथा नवीन अधोसंरचना निर्माण किया जावेगा।

3.3.4 मानव संसाधन विकास

इस मद अंतर्गत हितग्राहियों एवं अमलों का प्रशिक्षण तथा अमले, इंटरन एवं वन धन मित्र की नियुक्ति की जावेगी।

3.4 उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण

तैयार हर्बल उत्पाद के प्रत्येक बैच की टेस्टिंग स्थापित लैब के माध्यम से की जावेगी

3.5 जैविक प्रमाणीकरण

वर्तमान वर्ष में 21 जिला यूनियनों को जैविक प्रमाणीकरण कार्य कराया जावेगा, जिसमें 45 प्रकार के वनोपज हेतु जैविक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना प्रस्तावित है। साथ ही 09 प्रसंस्करण केन्द्रों के अंतर्गत शहद, काजू, इमली, आमचूर, आयुर्वेदिक चूर्ण, जूस, मुरब्बा, चिरोजी आदि के लिये जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

4 लघु वनोपज विपणन (मद क्र. 42 एवं 61)

4.1 राष्ट्रीय स्तर पर विक्रय

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से संग्रहित लघु वनोपज को ऑनलाईन निविदा के माध्यम से विक्रय किया जाता है। राजकीय वनोपज व्यापार के अंतर्विभागीय समिति के निर्णय के अनुसार सीमित वनोपज को निश्चित दर पर भी विक्रय किया जाता है। संघ द्वारा स्थापित वन-धन विकास केन्द्रों तथा प्रसंस्करण इकाईयों के माध्यम से निर्मित हर्बल उत्पादों को रिटेल मार्केटिंग करने हेतु डिस्ट्रीब्यूटर आदि द्वारा विक्रय किया जावेगा।

4.2 निर्यात को बढ़ावा

लघु वनोपज / औषधीय उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु गठित Export Promotion Committee के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा दिया जावेगा।

5 लाख पालन (मद क्र. 35)

राज्य के विभिन्न जिला जैसे- कोरबा, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, गरियाबंद, कांकेर, धरमजयगढ़, जशपुर, सूरजपुर एवं जगदलपुर आदि कुल 18 जिलों में लाख पालन की खेती प्रमुखतः से किया जाता है। छ.ग. शासन द्वारा देश में पहली बार लाख पालन की खेती को बढ़ावा दिये जाने हेतु “लाख उत्पादक कृषकों/कृषक समूहों को लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण वितरण कराने हेतु योजना वर्ष 2021” लागू किया गया है। इस योजनांतर्गत लाख पालक कृषकों को लाख पालन हेतु निःशुल्क ब्याज दर पर सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) के माध्यम से ऋण वितरण कर लाख पालन की खेती को बढ़ावा जायेगा जिससे प्रत्येक कृषक को राशि रु. 50,000/- राशि स्व सहायता समूहों को राशि रु. 50,000/- से रु. 2.00 लाख निःशुल्क ब्याज पर ऋण राशि स्वीकृत किया जावेगा। इससे राज्य के लगभग 50,000 किसान परिवारों को अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होगी।

लाख उत्पादन क्लस्टर चिन्हंकित कर कृषकों को लाख फसल ऋण प्रदान करने, बीहन लाख को उचित मूल्य पर प्रदाय करने तथा कृषकों को वैज्ञानिक लाख खेती के संबंध में प्रशिक्षण देने, आदि कार्य हेतु वन धन मित्रों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है।

6 लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) को बढ़ावा

लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों के अंतर्गत प्रस्तावित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्यों की मॉनिटरिंग अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि लघु वनोपज / हर्बल उत्पाद के व्यापार को बढ़ावा देना है तथा व्यापार को लाभप्रद बनाना है तो यह आवश्यक है कि क्षेत्र विस्तार हो एवं क्रेताओं को अधिकाधिक सुविधायें प्राप्त हों, इस हेतु लघु वनोपज विकास कार्यों के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जायेगा।

इसके अंतर्गत एक ओर जहाँ लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन का रियलटाईम डाटा प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर संग्राहकों तथा महिला समूहों को तत्काल ऑनलाईन भुगतान प्राप्त हो जावेगा। साथ ही साथ क्रेताओं को वनोपज संबंध में सम्पूर्ण विवरण, फोटोग्राफ आदि क्यूआर कोड के माध्यम से प्राप्त हो जायेंगे।

7 सुदृढीकरण

7.1 संस्थागत सुदृढीकरण कार्य

इसके तहत लघु वनोपज विकास कार्य से जुड़े अधिकारी/कर्मचारियों का क्षमता विकास किया जावेगा तथा क्षेत्रीय स्तर पर अमले एवं इंटरन का चयन किया जावेगा।

7.2 वन धन विकास केन्द्र सुदृढीकरण

वन धन विकास केन्द्र सुदृढीकरण के माध्यम से वन धन विकास केन्द्रों की वार्षिक कार्य योजना तैयार कर जुड़े महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक लाभ दिया जावेगा। साथ ही अक्रियाशील केन्द्रों को क्रियाशील किया जायेगा।

9. केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) की स्थापना -

छ.ग. शासन, वन विभाग के आदेश दिनांक 21.12.2020 से छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु जिला दुर्ग के अंतर्गत पाटन विकासखण्ड के ग्राम जामगांव (एम.) में केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है। केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना दो भागों में की जा रही है। प्रथम भाग, जिसका रकबा 27.69 हेक्ट. है, में छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तथा द्वितीय भाग जिसका रकबा 17.57 हेक्ट. है, में सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना किये जाने की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई है।

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ की भूमि पर दो परियोजनाएं संचालित की जायेगी:-

(i) आयुर्वेदिक औषधी केंद्र की स्थापना।

(ii) लघु वनोपज आधारित केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना।

इसी प्रकार सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा उनको आबंटित भूमि पर लघु वनोपज से संबंधित फूड पार्क की स्थापना किया जावेगा। इस हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

वर्ष 2021-22 में आयुर्वेदिक औषधी इकाई की स्थापना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा लघु वनोपज आधारित केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु अधोसंरचना निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाकर प्रगति पर है। इसी के साथ प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत ट्राई पार्टियट अनुबंध छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ शासन एवं अवनि आयुर्वेदा प्रा. लि. के मध्य दिनांक 30.12.2021 को निष्पादित कर मिलेट्स प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना कांकेर में की गई है तथा हर्बल एक्सट्रेक्ट से संबंधित प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का कार्य केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई, ग्राम- जामगांव (एम), पाटन में प्रगति पर है।

संघ द्वारा स्थापित तथा स्थापित किये जा रहे प्रसंस्करण केन्द्रों के अलावा निजी निवेशकों को भी लघु वनोपज आधारित उद्योगों को स्थापित करने तथा निजी निवेश हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके तहत ट्राई पार्टियट मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, सी.एस.आई.डी.सी. एवं Kossher Agro Pvt. Ltd के मध्य दिनांक 19.05.2022 को हस्ताक्षरित किया गया है, Kossher Agro Pvt. Ltd द्वारा बस्तर में इमली प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है।

विषय क्रमांक - 4 (संशोधित)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 के पारित अंकेक्षण उपरांत पूंजी पर अर्जित ब्याज (लाभ) का विभाजन।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के वित्तीय वर्ष 2021-22 का अंकेक्षण पूर्ण उपरांत वित्तीय पत्रकों का संघ की 23वीं आम सभा दिसंबर 2021 में अनुमोदन कराया जा चुका है।

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के वर्ष 2021-22 में अनुमोदित वित्तीय पत्रकों में वनोपज संघ को राशि 4,29,78,927/- रुपये का पूंजी पर अर्जित ब्याज प्रदर्शित हो रहा है।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/वनो/संघ/सह/पंजी/94/2023/04 दिनांक 27.09.2023 के तहत बोनस एक्ट के प्रावधान के अनुसार बोनस हेतु पात्र एवं राशि रुपये 21,000/- तक मासिक वेतन पाने वाले नियमित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन का 8.33 प्रतिशत (अधिकतम राशि रुपये 7,000/- तक) बोनस तथा जिन सेवायुक्तों को बोनस एक्ट के प्रावधानों अंतर्गत बोनस देना अनिवार्य नहीं है, उन सेवायुक्तों को बोनस के एवज में एक्सग्रेसिया के रूप में अधिकतम राशि रुपये 7,000/- अंकेक्षित वित्तीय पत्रक/लेखा के आधार पर संगणित, सीड केपिटल से संघ को प्राप्त होने वाले अर्जित ब्याज (लाभ) की राशि से दिया जाना है।

अतः उक्त आदेश के पालन में छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम 30 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में संघ की पूंजी के विनियोजन से अर्जित ब्याज (लाभ) की राशि 4,29,78,927/- रुपये में से कर्मचारी बोनस हेतु वितरित की जाने वाली अनुमानित राशि रुपये 16,50,000/- को घटाते हुये शेष राशि रुपये 4,13,28,927/- का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है, अतः संघ की शुद्ध लाभ का निम्न मदों में विभाजन निम्नानुसार होना है:-

क्रमांक	फंड का नाम	विभाजन प्रतिशत	विभाजित राशि
1	रक्षित निधि फंड	33.50%	1,38,45,190.55
2	अंश पूंजी मोचन फंड	20%	82,65,785.40
3	इन्वेंट्री लॉस फंड	10%	41,32,892.70
4	सहकारिता आंदोलन के विकास फंड	3%	12,39,867.81
5	सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण	10%	41,32,892.70
6	भवन फंड	17%	70,25,917.59
7	वाहन फंड	4.50%	18,59,801.72
8	संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड	2%	8,26,578.53
योग :-		100%	4,13,28,927.00

अतः वनोपज संघ द्वारा अर्जित आय का उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी प्रस्ताव संघ की 95वीं संचालक मण्डल की बैठक में अनुमोदन उपरांत 24वीं वार्षिक साधारण आम सभा के समक्ष रखे जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक - 5

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये पुनरीक्षित एवं वर्ष 2024-25 के लिये बजट की स्वीकृति।

(अ) लघु वनोपज (तेन्दू पत्ता) संग्रहण वर्ष 2023-24 का पुनरीक्षित व्यय एवं वर्ष 2024-25 का अनुमानित बजट निम्नानुसार प्रस्तावित है:-

पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2023-24

अ. क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रूपयों में)	राशि (रु.लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2023	12.451	लाख मानक बोरा	4850.00 प्रति मानक बोरा	60387.35
2.	तेन्दू पत्ता (भण्डारित) का विक्रय	2023	0.490	लाख मानक बोरा	5210.00 प्रति मानक बोरा	2552.90
योग						62940.25

अनुमानित व्यय वर्ष 2024-25

अ. क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रूपयों में)	राशि (रु.लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2024	16.720	लाख मानक बोरा	5350.00 प्रति मानक बोरा	89,452.00
योग						89,452.00

(ब) अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास पुनरीक्षित राजस्व बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा प्रस्तावित राजस्व बजट 2024-25

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	मद क्रमांक	मद एवं उपमद का नाम	विवरण	2023-24 स्वीकृत बजट	2023-24 पुनरीक्षित बजट	2024-25 प्रस्तावित बजट
1	2	3	4	5	6	7
1	7	न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	24,860.00	16,402.00	17,402.00
	7.1	कच्चे लघु वनोपज पर व्यय		-	-	-
	7.1.1	कच्चे लघु वनोपज का क्रय मूल्य		18,000.00	12,600.00	12,600.00
	7.1.2	कच्चे लघु वनोपज संग्रहण / भंडारण पर व्यय		4,000.00	2,800.00	2,800.00
	7.2	प्रसंस्कृत लघु वनोपज पर व्यय		-	-	-
	7.2.1	कच्चे लघु वनोपज पर व्यय हेतु समायोजित राशि		-	-	-
	7.2.2	कच्चे लघु वनोपज प्रसंस्करण आदि पर व्यय		2,500.00	750.00	1,750.00
	7.3	प्रशासकीय व्यय		360.00	252.00	252.00
2	8	प्रधान मंत्री वन धन योजना	केन्द्र क्षेत्रीय योजना	1,700.00	1,400.00	1,100.00
	8.1	वन धन केन्द्र स्थापना / उपकरण व्यवस्था		100.00	400.00	400.00
	8.2	प्रसंस्करण केन्द्र हेतु कार्यपूँजी		1,200.00	900.00	600.00
	8.3	क्षमता विकास		100.00	100.00	100.00
	8.4	अधोसंरचना विकास		300.00	-	-
3	31	लोक संरक्षित क्षेत्र - 01 (संघ मद) परियोजना	संघ पोषित योजना	1,185.00	1,105.00	1,305.00
	31.1	संसाधन सर्वेक्षण		50.00	50.00	50.00
	31.2	अंतःस्थलीय संवर्धन		1,000.00	800.00	1,000.00
	31.2.1	वन क्षेत्र का उपचार		-	-	-
	31.2.2	लघु वनोपज औषधि एनरिचमेंट प्लान्टिंग		-	-	-
	31.3	बाह्यस्थलीय संवर्धन एवं औषधि रोपणी		30.00	150.00	150.00
	31.3.1	बीज / पौध उत्पादन क्षेत्र		-	-	-
	31.3.2	कृषि वानिकी (लघु वनोपज)		-	-	-

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	मद क्रमांक	मद एवं उपमद का नाम	विवरण	2023-24 स्वीकृत बजट	2023-24 पुनरीक्षित बजट	2024-25 प्रस्तावित बजट
	31.4	क्षमता विकास		50.00	50.00	50.00
	31.5	वन औषधालय		50.00	45.00	45.00
	31.6	अन्य व्यय		5.00	10.00	10.00
4	32	आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना	राज्य योजना	480.00	480.00	480.00
	32.1	संसाधन सर्वेक्षण		50.00	50.00	50.00
	32.2	अंतःस्थलीय संवर्धन		300.00	225.00	225.00
	32.2.1	वन क्षेत्र का उपचार		-	-	-
	32.2.2	लघु वनोपज औषधि एनरिचमेंट प्लांटिंग		-	-	-
	32.3	बाह्यस्थलीय संवर्धन एवं औषधि रोपणी		50.00	125.00	125.00
	32.3.1	बीज / पौध उत्पादन क्षेत्र		-	-	-
	32.3.2	कृषि वानिकी (लघु वनोपज)		-	-	-
	32.4	क्षमता विकास		30.00	30.00	30.00
	32.5	वन औषधालय		50.00	40.00	40.00
	32.6	अन्य व्यय		-	10.00	10.00
5	35	लाख विकास योजना	राज्य योजना	430.00	400.00	400.00
	35.1	लाख संबंधी सर्वेक्षण		50.00	50.00	50.00
	35.2	लाख पालन परियोजना		50.00	70.00	70.00
	35.3	लाख प्रसंस्करण		200.00	100.00	100.00
	35.4	लाख विषय पर क्षमता विकास		75.00	100.00	100.00
	35.5	लाख अनुसंधान एवं विस्तार		30.00	50.00	50.00
	35.6	लाख आधारित उद्यमिता विकास		25.00	15.00	15.00
	35.7	लाख पालन हेतु ऋण तथा बीमा योजना		-	10.00	10.00
	35.8	लाख विकास योजना (अन्य व्यय)		-	5.00	5.00
6	37	NMPB द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं		-	50.00	50.00
7	39	भारत सरकार आदिवासी मंत्रालय लघु वनोपज कार्य 41-2406 (01) (800) (0102) (0802) (5231)			0.00	0.00

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	मद क्रमांक	मद एवं उपमद का नाम	विवरण	2023-24 स्वीकृत बजट	2023-24 पुनरीक्षित बजट	2024-25 प्रस्तावित बजट
8	40	41-2406-0802-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना 09041-वानिकी (5231)	केन्द्र प्रवर्तित योजना	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	40.1	हाट बाजार उन्नयन		500.00	500.00	500.00
	40.2	गोदाम निर्माण		500.00	500.00	500.00
	40.3	अन्य विकास कार्य		500.00	500.00	500.00
9	41	अकाष्टीय वनोपज आधारित रोजगान्मुखी कार्य (यूरोपीयन कमीशन की सहायता से)		0.00	0.00	0.00
10	42	सिल्क समय योजना-2 (90%)	केन्द्र प्रवर्तित योजना	360.00	360.00	300.00
11	43	अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज क्रय हेतु संघ द्वारा प्रदाय ऋण		-	0.00	0.00
12	44	अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज क्रय हेतु संघ द्वारा प्रदाय ऋण वापसी		-	0.00	0.00
13	45	UNDP की समुदाय आधारित जैव संरक्षण परियोजना		-	0.00	0.00
14	46	प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.ज.जा.) 14-2406-102-5231 लघु वनोपज कार्य हेतु	केन्द्र क्षेत्रीय योजना	3,225.00	3,225.00	2,325.00
	46.1	प्रसंस्करण केन्द्रों का भवन निर्माण व्यय		1,000.00	1,000.00	700.00
	46.2	प्रसंस्करण केन्द्रों का मशीनरी व्यय		1,800.00	1,800.00	1,300.00
	46.3	स्थापना व्यय / तकनीकी सहायता / क्षमता विकास		75.00	75.00	75.00
	46.4	कार्य पूँजी		-	-	-
	46.5	अन्य व्यय		50.00	50.00	50.00
	46.6	अधोसंरचना निर्माण		300.00	300.00	200.00
15	47	लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान 41-2406-01-0702 एवं 0705-(6373)	केन्द्र प्रवर्तित योजना	2,500.00	1,000.00	1,000.00

	47.1	प्रसंस्करण केन्द्रों का भवन निर्माण व्यय		-	-	-
	47.2	प्रसंस्करण केन्द्रों का मशीनरी व्यय		-	-	-
	47.3	कार्य पूँजी / स्व सहायता समूहों को प्रदाय की गई चक्रीय राशि		-	-	-
	47.4	तकनीकी सहायता / क्षमता विकास		-	-	-
	47.5	अन्य व्यय		-	-	-
16	48	लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान 41-2406-01-102-0102-5231	राज्य योजना	1.00	1.00	1.00
	48.1	प्रसंस्करण केन्द्रों का भवन निर्माण व्यय		-	-	-
	48.2	प्रसंस्करण केन्द्रों का मशीनरी व्यय		-	-	-
	48.3	कार्य पूँजी / स्व सहायता समूहों को प्रदाय की गई चक्रीय राशि		-	-	-
	48.4	तकनीकी सहायता / क्षमता विकास		-	-	-
	48.5	अन्य व्यय		-	-	-
17	49	लाख पालन - स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (भारत शासन)		-	0.00	0.00
18	50	लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान (अ. ज.जा.) 41-2406-800-0102-(0802) (5231)	राज्य योजना	-	2,000.00	2,000.00
	50.1	लघु वनोपज व्यापार में हानि प्रतिपूर्ति (मिलेट आदि)		-	1,000.00	1,000.00
	50.2	मिलेट उत्पाद प्रमोशन		-	1,000.00	1,000.00
19	51	छ.ग राज्य में अकाष्टीय वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना	संघ पोषित योजना (संघ की अग्रिम ब्याज से)	500.00	400.00	-
	51.1	अकाष्टीय वनोपज आधारित जीविकोपार्जन कार्य		1.00	1.00	-
	51.2	भंडारण		1.00	1.00	-
	51.3	विपणन		1.00	1.00	-
	51.4	अनुसंधान एवं विस्तार		1.00	1.00	-

	51.5	हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा		1.00	1.00	-
	51.6	लघु वनोपज का संरक्षण		1.00	1.00	-
	51.7	सूचना प्रबंधन प्रणाली		1.00	1.00	-
	51.8	मानव संसाधन प्रबंधन एवं क्षमता विकास		493.00	393.00	-
20	53	लघु वनोपज आधारित उद्यमिता विकास	संघ पोषित योजना (संघ के अग्रिम ब्याज से)	100.00	100.00	100.00
	53.1	उद्यमिता विकास कार्यक्रम		25.00	25.00	25.00
	53.2	उद्यमिता संबंधी कार्यशाला आदि आयोजन		25.00	25.00	25.00
	53.3	विशेषज्ञ सेवाएँ		25.00	25.00	25.00
	53.4	उद्यमी विकास संबंधी अन्य कार्य		25.00	25.00	25.00
21	54	अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज - क्षमता विकास परियोजना	अन्य स्रोत (NRLM) आदि	1.00	1.00	-
22	55	विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना	बाह्य सहायता प्राप्त	1.00	1.00	1.00
23	60.00	लघु वनोपज व्यापार एवं विकास	संघ पोषित योजना (15 प्रतिशत लाभांश राशि)	21,002.00	19,102.00	22,802.00
	60.1	लघु वनोपज क्षेत्र संवर्धन / उत्पादन		1.00	1.00	1.00
	60.2	लघु वनोपज प्रजाति रोपण / औषधि खेती		1.00	1.00	1.00
	60.3	लाभ विकास		-	250.00	300.00
	60.4	कच्चे लघु वनोपज का क्रय, संग्रहण / भंडारण पर व्यय		7,500.00	5,000.00	7,000.00
	60.4.1	कच्चे लघु वनोपज का क्रय मूल्य		-	-	-
	60.4.2	कच्चे लघु वनोपज संग्रहण / भंडारण पर व्यय		-	-	-

60.5	प्रसंस्कृत लघु वनोपज पर व्यय		2,000.00	1,000.00	1,000.00
60.5.1	कच्चे लघु वनोपज पर व्यय हेतु समायोजित राशि		-	-	-
60.5.2	कच्चे लघु वनोपज प्रसंस्करण आदि पर व्यय		-	-	-
60.6	लघु वनोपज विपणन		2,000.00	2,000.00	2,500.00
60.6.1	मार्ट व्यापार हेतु चक्रीय निधि		1,000.00	1,000.00	1,500.00
60.6.2	विपणन हेतु ब्राण्ड प्रमोशन आदि		1,000.00	1,000.00	1,000.00
60.7	अनुसंधान एवं विस्तार		500.00	500.00	700.00
60.8	सूचना प्रबंधन प्रणाली		500.00	750.00	1,000.00
60.9	मानव संसाधन विकास		1,200.00	1,600.00	1,700.00
60.9.1	मानव संसाधन पर व्यय		500.00	500.00	600.00
60.9.2	क्षमता विकास		700.00	800.00	800.00
60.9.3	वन धन मित्र मानदेय पर व्यय		-	300.00	300.00
60.10	प्रसंस्करण इकाईयों का विकास		3,100.00	3,800.00	4,900.00
60.10.1	केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई		2,500.00	3,000.00	4,000.00
60.10.2	क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाईयों		100.00	100.00	100.00
60.10.3	जिला स्तरीय प्रसंस्करण इकाईयों		500.00	700.00	800.00
60.11	अधोसंरचना विकास		4,200.00	4,200.00	3,700.00
60.11.1	नवीन भवन निर्माण		3,500.00	3,500.00	3,000.00
60.11.2	भवन मरम्मत		200.00	200.00	200.00
60.11.3	अन्य अधोसंरचनाएँ		500.00	500.00	500.00
योग:-			57,845.00	47,527.00	50,766.00

टीप :- (1) राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत की राशि से लघु वनोपजों के व्यापार एवं विकास के तारतम्य में मद क्रमांक - 60 लघु वनोपज व्यापार एवं विकास के अतर्गत उप मदों में परिवर्तन कर वित्तीय वर्ष 2023-24 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तावित किया गया है।

(2) वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत मद क्रमांक 39 में उल्लेखित वित्तीय प्रावधान को वित्तीय वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट के अंतर्गत मद क्रमांक 40 में सम्मिलित किया गया है।

(3) अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार एवं विकास अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट के अंतर्गत मद क्र.41 सम्मिलित किया गया है। परियोजना हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड एवं छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के मध्य 90:10 के अनुपात में मद क्र. 41 (सिल्क समग्र योजना-2) एवं मद क्र. 60.10.3 (जिला स्तरीय प्रसंस्करण इकाईयां) अंतर्गत परियोजना लागत की राशि का निर्वहन किया जावेगा।

(4) अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार एवं विकास अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट के अंतर्गत मद क्र. 47 लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान केन्द्र प्रवर्तित योजना सम्मिलित किया गया है, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP), इनक्यूबेशन सेन्टर, आदि से संबंधित व्यय भारित किया जावेगा।

(5) वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत मद क्रमांक 47 में उल्लेखित वित्तीय प्रावधान को वित्तीय वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट के अंतर्गत मद क्रमांक 48 लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान राज्य योजना में सम्मिलित किया गया है।

(स) कार्यालयीन व्यवस्था व्यय (रूपये लाख में)

मद क्रमांक	मद	वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्ताव
		स्वीकृत बजट	माह अगस्त 2023 तक का व्यय	शेष 07 माह का अनुमानित व्यय	योग	पुनरीक्षित बजट	
1	2	3	4	5	6	7	8
13.1	वेतन एवं भत्ते	900.00	367.07	513.90	880.97	900.00	1000.00
13.3	कर्मचारी बोनस	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
13.4	भवन किराया	15.00	4.10	5.74	9.84	15.00	10.00
13.5	अन्य भत्ते	25.00	7.90	11.06	18.96	25.00	25.00
13.6	यात्रा भत्ता	30.00	3.12	4.37	7.49	30.00	30.00
13.7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	50.00	15.28	21.39	36.67	50.00	50.00
13.8	स्टेशनरी आदि क्रय	15.00	3.18	4.45	7.63	10.00	15.00
13.8.1	फोटोकापी एवं छपाई व्यय	30.00	4.61	6.45	11.06	20.00	20.00
13.10	टेलीफोन एवं इन्स्टालेशन/लीज़ व्यय	15.00	2.97	4.16	7.13	15.00	15.00
13.11	बिजली एवं पानी व्यय	15.00	10.18	14.25	24.43	25.00	30.00
13.12	पोस्टेज	1.00	0.14	0.20	0.34	1.00	1.00
13.13	विज्ञापन एवं निविदा व्यय	30.00	4.20	5.88	10.08	20.00	30.00

13.13.1	प्रचार-प्रसार	300.00	3.34	4.68	8.02	10.00	15.00
13.14.1	प्रशिक्षण	20.00	0.00	10.00	10.00	10.00	20.00
13.14.2	सम्मेलन व्यय	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
13.18	न्यायालयीन/विविध व्यय	40.00	1.48	30.00	31.48	40.00	40.00
13.22	अंकेक्षण शुल्क	30.00	0.00	20.00	20.00	20.00	30.00
13.23.1	फर्नीचर मरम्मत	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
13.23.2	कम्प्यूटर/प्रिंटर/अन्य उपकरण मरम्मत/व्यय	15.00	3.37	4.72	8.09	15.00	15.00
13.24	अतिथि सत्कार, बैठक आयोजन पर व्यय	15.00	8.40	11.76	20.16	25.00	30.00
13.25.1	वाहन ईन्धन व्यय	40.00	11.07	15.50	26.57	40.00	40.00
13.27	वाहन मरम्मत व्यय	10.00	1.00	1.40	2.40	10.00	10.00
13.28	वाहन किराया	60.00	33.46	46.84	80.30	85.00	90.00
13.29	वाहन बीमा एवं अन्य व्यय	2.00	0.04	0.06	0.10	1.00	2.00
13.30	विशेष मरम्मत (गोदाम, कार्यालय, आवासीय एवं प्रसंस्करण केन्द्र)	1000.00	67.66	94.72	162.38	200.00	1000.00
13.31	विविध व्यय	25.00	11.57	13.20	24.77	25.00	30.00
13.33	ग्रेज्युटी (उपादान)	30.00	0.00	168.90	168.90	170.00	200.00
13.34	सेवानिवृत्त अवकाश नगदीकरण (उपादान)	25.00	0.00	94.43	94.43	95.00	100.00
13.35	किताब पत्रिका क्रय	2.00	0.39	0.55	0.94	2.00	2.00
13.36	विभिन्न भवनो, परिसरो का रख रखाव/मरम्मत	25.00	11.92	16.69	28.61	30.00	35.00
13.37	उत्कृष्टता सम्मान पुरस्कार	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
13.38	घसारा (डेपरिशिएशन)	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	600.00
13.39	सलाहाकार सेवाएं पर व्यय	370.00	38.50	188.90	227.40	270.00	370.00
13.39.1	व्यावसायिक	300.00	26.36	136.90	163.26	200.00	300.00
13.39.2	तकनीकि	70.00	12.14	52.00	64.14	70.00	70.00
14.4	ई.पी.एफ. अंशदान	130.00	60.00	84.00	144.00	150.00	200.00
14.4.1	पेंशन अंशदान	60.00	18.00	25.20	43.20	50.00	60.00
योग:-		3860.00	692.95	1933.39	2626.34	2881.00	4137.00

(द) जिला यूनियनों / समितियों का स्थापना / प्रशासनिक व्यय (रूपये लाख में)		
विवरण	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
जिला यूनियनों का स्थापना / प्रशासनिक व्यय	3500.00	5000.00
समितियों का स्थापना / प्रशासनिक व्यय	2200.00	3500.00

(इ) संग्राहक मूलक योजनाओं पर व्यय (प्राप्त ब्याज की राशि से व्यय) (रूपये लाख में)							
मद क्रमांक	मद	वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्ताव
		स्वीकृत बजट	माह अगस्त 2023 तक का व्यय	शेष 07 माह का अनुमानित व्यय	योग	पुनरीक्षित बजट	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	बीमा योजनाये	4270.00	1236.11	3357.84	4593.95	4666.63	4870.00
17.1	शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना	4000.00	1102.40	3130.50	4232.90	4300.00	4500.00
17.2	तेंदूपत्ता संग्राहक सामुहिक सुरक्षा योजना (परिवार बीमा योजना)	200.00	126.84	177.58	304.42	310.00	300.00
17.3	फड मुंशी बीमा योजना (LIC)	60.00	0.00	49.76	49.76	49.76	60.00
17.4	समिति प्रबंधको की बीमा योजना (LIC)	10.00	6.87	0.00	6.87	6.87	10.00
17.5	मेघावी व प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना (छात्रवृत्ति)	1200.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1200.00
योग:-		5470.00	1236.11	4357.84	5593.95	5666.63	6070.00
टीप:-	शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु 50 प्रतिशत की राशि राज्य शासन से सहायक अनुदान एवं 50 प्रतिशत संघ द्वारा व्यय की जावेगी ।						

(फ) पूंजीगत व्यय (रूपये लाख में)

मद क्रमांक	मद	वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्ताव
		स्वीकृत बजट	माह अगस्त 2023 तक का व्यय	शेष 07 माह का अनुमानित व्यय	योग	पुनरीकित बजट	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	निर्माण (अचल सम्पत्ति)	2400.00	1127.34	937.93	2065.27	2350.00	2100.00
25.11	भवन निर्माण (मुख्यालय / आवासीय भवन)	600.00	569.50	56.95	626.45	650.00	300.00
25.9	भवन निर्माण (जिला यूनियन / प्राथमिक समिति)	300.00	29.30	141.02	170.32	200.00	300.00
25.8	गोदाम निर्माण	1500.00	528.54	739.96	1268.50	1500.00	1500.00
25.1	कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरण क्रय	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00
25.2	अंशपूंजी क्रय	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00
25.4	फर्नीचर, उपस्कर, आंतरिक साज-सज्जा क्रय	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00
25.5	वाहन क्रय	40.00	6.54	15.00	21.54	25.00	40.00
25.7	कार्यालयीन उपकरण क्रय	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
योग:-		3110.00	1143.88	1612.93	2756.81	3045.00	2810.00

(भ) NWFP मार्ट से संबंधित विपणन व्यय (लाख में)

मद क्रमांक	मद	वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्ताव
		स्वीकृत बजट	माह अगस्त 2023 तक का व्यय	शेष 07 माह का अनुमानित व्यय	योग	पुनरीक्षित बजट	
1	2	3	4	5	6	7	8
61	NWFP मार्ट से संबंधित विपणन व्यय						
61.1	मजदूरी एवं पारिश्रमिक	20.00	10.45	14.63	25.08	25.00	27.00
61.2	विद्युत व्यय	9.00	1.27	1.80	3.07	6.00	7.00
61.3	भवन, परिसर का रख रखाव/ मरम्मत	3.00	0.41	0.60	1.01	3.00	4.00
61.4	टेलीफोन एवं इंटरनेट व्यय	2.00	0.28	0.35	0.63	1.50	2.00
61.5	कम्प्यूटर एवं स्टेशनरी व्यय	2.50	0.71	1.00	1.71	3.00	3.00
61.6	परिवहन व्यय	0.50	1.06	1.50	2.56	3.00	4.00
61.7	प्रचार-प्रसार	30.00	0.20	0.40	0.60	15.00	20.00
61.8	सामग्री से संबंधित व्यय (पैकेजिंग)	120.00	20.87	30.00	50.87	100.00	120.00
61.9	सामग्री से संबंधित व्यय (कच्चे वनोपज)	375.00	26.63	200.00	226.63	300.00	400.00
61.10	प्रसंस्करण केन्द्रों को उत्पाद का भुगतान	634.00	114.75	131.96	246.71	550.00	650.00
61.11	अन्य व्यय	4.00	0.19	0.50	0.69	3.50	4.00
योग:-		1200.00	176.82	382.74	559.56	1010.00	1241.00

- नोट:-**
1. मार्ट संचालन हेतु चक्रीय निधि मद क्रमांक 60.6.1 से राशि प्रदाय की जायेगी। मार्ट से प्रसंस्कृत उत्पादों के विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग करते हुए उक्त मदों/उपमदों में राशि व्यय की जायेगी। संघ पर कोई वित्तीय भार नहीं होगा।
 2. चक्रीय निधि का उपयोग मार्ट के संचालन हेतु किया जायेगा तथा यह राशि संघ को वापसी योग्य होगी।

C- Mart से संबंधित विपणन व्यय (राशि लाख में)				
मद क्रमांक	मद	स्वीकृत बजट 2023-24	2023-24 पुनरीक्षित बजट	वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्ताव
1	2	3	4	5
61.12	C- Mart से संबंधित विपणन व्यय			
61.12.1	मजदूरी एवं पारिश्रमिक	10.00	10.00	10.00
61.12.2	प्रसंस्करण केन्द्रों को उत्पाद का भुगतान	500.00	500.00	500.00
61.12.3	अन्य व्यय	5.00	5.00	5.00
योग:-		510.00	515.00	515.00

- नोट:-
1. मार्ट संचालन हेतु चक्रीय निधि मद क्रमांक 60.6.1 से राशि प्रदाय की जायेगी। मार्ट से प्रसंस्कृत उत्पादों के विक्रय से प्राप्त राशि का प्रयोग करते हुए उक्त मदों/उपमदों में राशि व्यय की जायेगी। संघ पर कोई वित्तीय भार नहीं होगा।
 2. चक्रीय निधि का उपयोग मार्ट के संचालन हेतु किया जायेगा तथा यह राशि संघ को वापसी योग्य होगी।

अनुमानित आय

(अ) राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज निर्वर्तन से आय

वर्ष 2024-25 में वनोपज की बिक्री से रु. 93,566.26 लाख प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका वनोपजवार विवरण निम्नानुसार है:-

अ.क्र.	वनोपज का नाम	प्रस्तावित राशि (रुपये लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता	93,566.26
योग		93,566.26

उपरोक्त तालिका में दर्शायी आय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

अ. क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता वर्ष 2022 संग्रहण काल में गोदामीकृत 1.778 लाख मानक बोरा में से अविक्रित 0.095 लाख मानक बोरा की 25% मात्रा हेतु अनुमानित रू. 1500/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य की राशि	35.63
2.	वर्ष 2023 संग्रहण काल में गोदामीकृत 0.488 लाख मानक बोरा में से अविक्रित 0.273 लाख मानक बोरा की 25% मात्रा हेतु अनुमानित रू. 2500/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य की राशि	170.63
3.	अ. वर्ष 2024 संग्रहण काल में कुल संग्रहण अनुमान 16.720 लाख मानक बोरा हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 14.000 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 6500/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 90% राशि ब. वर्ष 2024 संग्रहण काल में अग्रिम में अविक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 2.72 लाख मानक बोरा की 50% मात्रा हेतु अनुमानित रू. 2500/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य की राशि	81,900.00 3,400.00
4.	वर्ष 2025 संग्रहण काल में कुल संग्रहण अनुमान 16.720 लाख मानक बोरा हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 13.000 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 6200/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 10% राशि	8,060.00
योग		93,566.26

(ब) विभिन्न बैंको में संघ की जमा निधियों से प्राप्त ब्याज (2024-25)

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में) (अनुमानित)
1.	संघ की जमा निधियों पर प्राप्त ब्याज	4000.00

(स) तेन्दू पत्ता संग्राहकों की सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु प्राप्त राशि (2024-25)

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	राज्य शासन से शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दू पत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु प्राप्त अनुदान	2250.00

(द) अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास
पुनरीक्षित राजस्व बजट वित्तीय वर्ष 2023-24
राजस्व बजट 2024-25

(राशि रु. लाख में)

क्र.	मद क्रमांक	मद एवं उपमद का नाम	विवरण	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
				2023-24	2023-24	2024-25
				स्वीकृत	पुनरीक्षित	प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6	7
अ - विक्रय से प्राप्त आय						
1	42	न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत विक्रय से प्राप्त आय	केन्द्र प्रवर्तित योजना	23700.00	14200.00	17200.00
	42.1	कच्चे लघु वनोपज विक्रय से आय		15000.00	7500.00	9000.00
	42.2	प्रसंस्कृत लघु वनोपज विक्रय से आय		2500.00	1000.00	2000.00
	42.3	लघु वनोपज व्यापार में हानि प्रतिपूर्ति	केन्द्र प्रवर्तित योजना	6000.00	5500.00	6000.00
	42.4	अन्य आय		200.00	200.00	200.00
2	61	लघु वनोपज व्यापार एवं विकास मद के अंतर्गत विक्रय से प्राप्त आय	संघ पोषित योजना	10200.00	3500.00	4300.00
	61.1	कच्चे लघु वनोपज विक्रय से आय		6120.00	3000.00	3500.00
	61.2	प्रसंस्कृत लघु वनोपज विक्रय से आय		2040.00	500.00	800.00
	61.3	लघु वनोपज व्यापार में हानि प्रतिपूर्ति (मद क्र. 50.1 से प्राप्त राशि से समायोजन)		2040.00	(1000)	(1000)
	61.4	अन्य आय		0.00	0.00	0.00
योग:-				33900.00	17700.00	21500.00

ब - अनुदान एवं उपलब्ध राशि						
3	7	न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	10000.00	5000.00	5000.00
4	8	वनधन विकास केन्द्र योजना		1700.00	500.00	500.00
5	31	लोक संरक्षित क्षेत्र - 01 संघ मद परियोजना	संघ पोषित योजना	1185.00	1105.00	1305.00
6	32	आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना	राज्य शासन योजना	480.00	480.00	480.00
7	35	लाख विकास योजना	राज्य योजना	430.00	400.00	400.00
8	40	गोदाम निर्माण एवं हाट बाजार उन्नयन	केन्द्र प्रवर्तित योजना	1500.00	1500.00	1000.00
9	42	सिल्क समय योजना-2	केन्द्र प्रवर्तित योजना	360.00	360.00	300.00
10	46	प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.ज.जा.) 14-2406-102-5231 लघु वनोपज कार्य हेतु	केन्द्र क्षेत्रीय योजना	3225.00	3225.00	2325.00
11	47	लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान 41-2406-01-0702 एवं 0705-(6373)	केन्द्र प्रवर्तित योजना	2500.00	1000.00	1000.00
12	48	लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान 41-2406-01-102-0102-5231	राज्य योजना	1.00	1.00	1.00
13	50	लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान (अ.ज.जा.) 41-2406-800-0102-(0802) (5231)	राज्य योजना	0.00	2000.00	2000.00
	50.1	लघु वनोपज व्यापार में हानि प्रतिपूर्ति (मिलेट आदि) (मद क्र. 60.3 में समायोजन)		0.00	1000.00	1000.00
	50.2	मिलेट उत्पाद प्रमोशन		0.00	1000.00	1000.00
14	51	छ.ग. राज्य में अकाष्टीय वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना	संघ पोषित योजना (अग्रिम ब्याज से)	500.00	400.00	0.00
15	54	अराष्ट्रीयकृत लघु योजना - क्षमता विकास परियोजना	अन्य स्रोत (NRLM) आदि	1.00	1.00	0.00
16	55	विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना	बाह्य सहायता प्राप्त	1.00	1.00	1.00

17	60	लघु वनोपज का व्यापार एवं विकास (पूर्व में मद क्रमांक - 27.11) 15 प्रतिशत की राशि	संघ पोषित योजना	2318.35	16000.00	20000.00
योग:-				24201.35	31973.00	34312.00
स - ऋण						
18	-	निरंक	-	-	-	-
महायोग-				58101.35	49673.00	55812.00

टीप :- उपरोक्त मदों के अंतर्गत संघ के पास उपलब्ध राशि में प्राप्त ब्याज की राशि भी सम्मिलित है।

नोट:-

1. लोक संरक्षित क्षेत्र योजनांतर्गत (01 संघ मद परियोजना) में मार्च 2023 की स्थिति में राशि रु. 66.78 करोड़ शेष है ।
2. आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना (राज्य शासन योजना) में मार्च 2023 की स्थिति में राशि रु. 4.62 करोड़ शेष है ।
3. छ.ग. राज्य में अकाष्टीय वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना संघ पोषित योजना (ब्याज मद से) मार्च 2023 की स्थिति में राशि रु. 20.74 करोड़ शेष है ।
4. लाख विकास योजना (राज्य शासन योजना) में मार्च 2023 की स्थिति में राशि रु. 8.67 करोड़ शेष है ।
5. लघु वनोपज का व्यापार एवं विकास (पूर्व में मद क्र. 27.11) तेंदू पत्ता लाभांश की 15 प्रतिशत की राशि (संघ पोषित योजना) में मार्च 2023 की स्थिति में राशि रु. 469.09 करोड़ शेष है ।
6. उपरोक्त शेष राशियों में असमायोजित राशि सम्मिलित है ।

NWFP- Mart से संबंधित विपणन आय (राशि लाख में)				
मद क्रमांक	मद	स्वीकृत बजट 2023-24	2023-24 पुनरीक्षित बजट	वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्ताव
1	2	3	4	5
62.13	NWFP-Mart से संबंधित विपणन आय			
62.13.1	विक्रय से प्राप्त आय	1200.00	650.00	800.00
62.13.2	अन्य आय	12.00	12.00	15.00
योग:-		1212.00	662.00	815.00

C- Mart से संबंधित विपणन आय (राशि लाख में)				
मद क्रमांक	मद	स्वीकृत बजट 2023-24	2023-24 पुनरीक्षित बजट	वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्ताव
1	2	3	4	5
62.14	C-Mart से संबंधित विपणन आय			
62.14.1	विक्रय से प्राप्त आय	1000.00	1000.00	1000.00
62.14.2	चक्रीय निधि (राज्य शासन से प्राप्त अनुदान)	0.00	0.00	0.00
62.14.3	अन्य आय	10.00	10.00	10.00
योग:-		1010.00	1010.00	1010.00

- नोट:-
- चक्रीय निधि राज्य शासन द्वारा प्रदाय की जायेगी जिसका उपयोग उत्पादन क्रेताओं को त्वरित भुगतान हेतु किया जायेगा। चूंकि संचालक द्वारा उत्पादों की प्राप्ति के 45 दिवस के भीतर भुगतान का प्रावधान है, तथा उत्पादकों को 7 दिवस के भीतर भुगतान का प्रावधान है।
 - प्रथम वर्ष में विक्रय से प्राप्त आय कुल व्यय से कम है चूंकि संचालक से राशि प्राप्ति की अवधि 45 दिन की है, जो लेनदारी के रूप में रहेगी।

आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण (वर्ष 2024-25)

अ.क्र.	आय	राशि (रूपये लाख में)
1.	राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के बिक्री से आय	93566.26
2.	संघ की जमा निधियों पर प्राप्त ब्याज	4000.00
3.	तेन्दू पत्ता संग्राहकों की सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु प्राप्त राशि	2250.00
4.	अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास के लिये प्राप्त राशि	55812.00
	योग	155628.26

अ.क्र.	व्यय	राशि (रूपये लाख में)
1.	कुल संग्रहण व्यय	89452.00
2.	कार्यालयीन व्यवस्था व्यय	4137.00
3.	संग्राहकमूलक योजनाओं पर व्यय	6070.00
4.	पूंजीगत व्यय	2810.00
5.	अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास एवं विपणन पर व्यय	50766.00
6.	प्रारंभिक स्कन्ध का मूल्य	0.00
7.	प्राथमिक समितियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय / विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु तथा घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि	निरंक
	योग	153235.00

आधिक्य / कमी (लाख में)

1.	कुल आय	155628.26
2.	कुल व्यय	153235.00
3.	संघ का शुद्ध लाभ / हानि (1-2)	2393.26 (लाभ)

संघ की पूंजी (शीड केपीटल) (लाख में)

1.	संघ की पूंजी (शीड केपीटल)	10799.18
----	---------------------------	----------

वर्ष 2023-24 में स्वीकृत बजट के विरुद्ध अनुपूरक / पुनरीक्षित बजट का अनुमोदन

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत बजट के विरुद्ध दिनांक 31.08.2023 की स्थिति में हुए वास्तविक व्यय एवं आगामी 7 माह में अधिक व्यय होना संभावित है। आमसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत बजट के अंतर्गत कुछ मदों में अतिरिक्त व्यय निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

1. बिजली पानी व्यय खाता :- बिजली पानी व्यय खाता में स्वीकृत बजट राशि रूपये 15.00 लाख के विरुद्ध वर्तमान में माह अगस्त तक राशि रु. 10.18 लाख व्यय हो चुका है एवं नये कार्यालय भवन आदि पर अधिक व्यय होना संभावित है। अतः उक्त मद में राशि रु. 25.00 लाख प्रस्तावित है।
2. अतिथि सत्कार व्यय खाता :- अतिथि सत्कार व्यय में स्वीकृत बजट राशि रूपये 15.00 लाख के विरुद्ध माह अगस्त तक राशि रु. 8.40 लाख व्यय हो चुका है। आगामी माह में आमसभा एवं अन्य बैठकों हेतु में अधिक व्यय होने के कारण राशि रु. 25.00 लाख का व्यय संभावित है।
3. ग्रेज्युटी (उपादान) :- ग्रेज्युटी (उपादान) में स्वीकृत बजट राशि रूपये 30.00 लाख प्रावधान है वर्तमान में अधिकारी / कर्मचारियों की नवीन भर्ती होने के कारण उक्त मद में पुनरीक्षित राशि रु. 170.00 लाख की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित है।
4. सेवानिवृत्ति अवकाश नगदीकरण :- सेवानिवृत्ति अवकाश नगदीकरण में स्वीकृत बजट राशि रूपये 25.00 लाख के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई व्यय नहीं हुआ है। आगामी माहों में कुछ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण राशि रु. 95.00 लाख का पुनरीक्षित बजट किया जाना प्रस्तावित है।
5. विभिन्न भवनों/परिसरों का रख रखाव/मरम्मत :- विभिन्न भवनों/परिसरों का रख रखाव/मरम्मत में स्वीकृत बजट राशि रूपये 25.00 लाख के विरुद्ध माह अगस्त तक राशि रु. 12.00 लाख व्यय हो चुका है। आगामी माहों में नवीन कार्यालयीन भवन एवं आदि कार्य होने के कारण राशि रु. 30.00 लाख का पुनरीक्षित बजट किया जाना प्रस्तावित है।
6. शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना :- शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना में 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन से तथा 50 प्रतिशत राशि संघ स्तर से व्यय किया जाना है। वर्तमान में माह अगस्त तक 11 02.40 लाख व्यय किया जा चुका है। अतः पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 4300.00 लाख किया जाना प्रस्तावित है।
7. तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना :- तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना में स्वीकृत राशि रु. 200.00 लाख के विरुद्ध माह अगस्त तक 126.84 लाख व्यय किया जा चुका है। अतः पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 310.00 लाख किया जाना प्रस्तावित है।
8. पूँजीगत व्यय के अंतर्गत :- भवन निर्माण मुख्यालय एवं आवासीय भवन हेतु स्वीकृत बजट राशि रु. 600.00 लाख के विरुद्ध माह अगस्त तक राशि रु. 569.50 लाख व्यय हो चुका है। आगामी माह हेतु पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 650.00 लाख व्यय हो संभावित है।

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज / औषधी पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं हेतु वर्ष 2023-24 का पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 2024-25 का प्रस्तावित बजट

अ. अनुमानित व्यय शीर्ष

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य संग्रहण योजना (मद क्रमांक - 7)

न्यूनतम समर्थन मूल्य संग्रहण संवर्धन योजना अंतर्गत कच्चे लघु वनोपज क्रय एवं क्रय किए गए कच्चे लघु वनोपज के मूल्य संवर्द्धन हेतु पुनरीक्षित बजट वर्ष 2023-24 में राशि रु. 16402.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2024-25 में इस हेतु राशि रु. 17402.00 लाख प्रस्तावित है। उक्त राशि से 38 प्रकार के लघु वनोपज का क्रय एवं प्रसंस्करण योग्य लघु वनोपज का मूल्य संवर्द्धन का कार्य किया जावेगा।

2. प्रधान मंत्री वनधन विकास योजना मद (मद क्रमांक - 8)

प्राथमिक प्रसंस्करण / प्रसंस्करण से जुड़े वनधन विकास केन्द्रों के अंतर्गत लगभग राशि रु. 20.00 करोड़ का उत्पाद निर्माण लक्ष्य वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत किया गया है। योजनांतर्गत प्रसंस्करण कार्य हेतु उपकरण व्यवस्था प्रसंस्करण हेतु कार्य पूंजी, क्षमता विकास एवं अधोसंरचना विकास कार्य हेतु राशि प्रस्तावित की जा रही है। ट्रायफेड नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार उक्त मद में वनधन विकास केन्द्र के समूहों को कार्य पूंजी राशि के रूप में राशि रु. 10 लाख जारी की गई है। वर्तमान वर्ष में ट्रायफेड नई दिल्ली को नवीन वनधन विकास केन्द्र स्थापना तथा पुराने वनधन विकास केन्द्र के अधोसंरचना विकास, प्रिमिटिव ट्राईब हेतु वन धन विकास केन्द्र स्वीकृति हेतु राशि प्रस्तावित की जा रही है। तदनुसार वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 1400.00 लाख एवं वर्ष 2024-25 में प्रस्तावित बजट में राशि रु. 1100.00 लाख प्रस्तावित की गई है।

3. लोक संरक्षित क्षेत्र-01 (संघ मद) परियोजना (मद क्रमांक - 31)

लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों को जारी रखने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण प्रजातियों का संरक्षण किया जावे। इस हेतु संघ मद में संचालित पी.पी.ए. योजना अंतर्गत अंतःस्थली एवं बाह्य स्थली संवर्द्धन, गैर औषधि प्रजाति जैसे इमली, जामुन, चिरौजी आदि तथा औषधि प्रजाति जैसे आंवला, सतावर, अश्वगंधा, सर्पगंधा आदि के किसानों के माध्यम से रोपण आदि कार्यों के लिए वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 1105.00 लाख तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट में राशि रु. 1305.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

4. आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना (मद क्रमांक - 32)

लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना कर महत्वपूर्ण लघु वनोपज के संरक्षण तथा औषधि एवं गैर औषधि पौधों के रोपण हेतु उक्त योजना में कार्य किया जावेगा। इस योजना में वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 480.00 लाख तथा वर्ष 2024-25 में राशि रु. 480.00 लाख प्रस्तावित की जा रही है।

5. लाख विकास योजना (मद क्रमांक - 35)

लाख को शासन द्वारा कृषि फसल घोषित किया गया है। तदानुसार योजना का स्वरूप पूर्णरूपेण परिवर्तित हो गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में लाख पालन, प्रसंस्करण, अनुसंधान विस्तार, क्षमता विकास एवं लाख आधारित उद्यमिता विकास कार्यों के लिए पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 400.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में भी राशि रु. 400.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

6. 41-2406-0802-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना 09041-वानिकी (5231) (मद क्रमांक - 40)

आदिवासी मामले के मंत्रालय भारत शासन से हाट बाजार उन्नयन / गोदाम निर्माण हेतु राशि प्राप्त हुई थी। उक्त राशि से महत्वपूर्ण हाट बाजार / वनधन केन्द्र जहाँ लघु वनोपज की पर्याप्त उपलब्धता हो, के अंतर्गत उन्नयन एवं गोदाम निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट हेतु राशि रु. 1500.00 लाख तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट में राशि रु. 1500.00 लाख प्रस्तावित की गई है।

7. सिल्क समग्र योजना-2 (मद क्रमांक - 42)

सिल्क समग्र योजना रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड की योजना है। इस योजना के चार बड़े-बड़े अवयव हैं, जैसे- 1) अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, तकनीक, हस्तांतरण एवं सूचना तकनीक, 2) बीज संगठन, 3) समन्वयन एवं बाजार निर्माण तथा 4) गुणवत्ता अभिप्रमाणन प्रणालियाँ (QCS) / निर्यात ब्राण्ड प्रोत्साहन एवं तकनीक का उत्क्रमण। परियोजना हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड एवं छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के मध्य 90:10 के अनुपात में परियोजना लागत की राशि का निर्वहन किया जावेगा। इस हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट में परियोजना लागत की 90 प्रतिशत राशि क्रमशः रु. 360.00 लाख तथा रु. 300.00 लाख इस मद अंतर्गत प्रस्तावित की गई है तथा संघ द्वारा परियोजना लागत की 10 प्रतिशत राशि रु. 40.00 लाख मद क्र. 60.10.3 जिला स्तरीय प्रसंस्करण इकाई अंतर्गत प्रस्तावित की गई है।

8. प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (मद क्रमांक - 46)

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि से केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई (सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) में आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण प्रारंभ किया गया है एवं लघु वनोपज आधारित केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु अधोसंरचना निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। इस हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट हेतु राशि रु. 3225.00 लाख तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट में राशि रु. 2325.00 लाख प्रस्तावित की गई है।

9. प्रसंस्करण केन्द्र (केन्द्र प्रवर्तित) योजना (मद क्रमांक - 47)

लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु प्राप्त राशि से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इनक्यूबेशन सेन्टर, आदि से संबंधित कार्य किया जावेगा। इस योजना हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट हेतु राशि रु. 1000.00 लाख तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट में राशि रु. 1000.00 लाख प्रस्तावित की गई है।

10. प्रसंस्करण केन्द्र (राज्य शासन) योजना (मद क्रमांक - 48)

इस योजना अंतर्गत प्रसंस्करण केन्द्रों के निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट एवं वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट में क्रमशः राशि रु. 1.00-1.00 लाख प्रस्तावित की जा रही है।

11. लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान (अ.ज.जा.) 41-2406-800-0102-(0802) (5231) (मद क्रमांक - 50)

राज्य शासन से उक्त मद में कुल राशि रु. 20.00 करोड़ प्राप्त हुई है। उक्त राशि में से राशि रु. 10.00 करोड़ मिलेट एवं अन्य वनोपज के व्यापार में हुई हानि प्रतिपूर्ति तथा शेष राशि रु. 10.00 करोड़ का उपयोग मिलेट प्रमोशन हेतु किया जाएगा।

12. संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से स्वीकृत छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना (मद क्रमांक - 51)

शासन से प्राप्त निर्देशानुसार लघु वनोपज के प्रसंस्करण / विपणन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से स्वीकृत छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना अंतर्गत अनुसंधान विस्तार, विपणन एवं हितग्राहियों के अधिकाधिक क्षमता विकास हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 400.00 लाख प्रस्तावित की गई है।

13. लघु वनोपज आधारित उद्यमिता विकास (मद क्रमांक - 53)

लघु वनोपज आधारित उद्योगों का बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति वर्ष 2019-20 में लघु वनोपज को अति प्राथमिकता के उद्योग घोषित किये गये हैं। तदनुसार लघु वनोपज उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए उद्यमिता विकास हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट में तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट में प्रत्येक वर्ष राशि रु. 100.00 लाख प्रस्तावित की जा रही है।

14. अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज क्षमता विकास योजना (मद क्रमांक - 54)

क्षमता विकास हेतु NRLM में प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 1.00 लाख का प्रावधान है।

15. विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना (मद क्रमांक - 55)

विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट में प्रत्येक वर्ष राशि रु. 1.00 लाख प्रावधानित है।

16. लघु वनोपज व्यापार एवं विकास (मद क्रमांक - 60)

राज्य शासन के निर्णयानुसार तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ 13-31/2009/10-2/बजट दिनांक 23.02.2021 के संदर्भ में तेंदू पत्ते के व्यापार से प्राप्त 15 प्रतिशत की राशि से लघु वनोपज व्यापार एवं विकास कार्य हेतु लघु वनोपज संवर्द्धन, लघु वनोपज विपणन, मानव संसाधन विकास, क्षमता विकास, प्रसंस्करण ईकाइयों का विकास एवं अधोसंरचना विकास कार्य हेतु राशि प्रस्तावित की जा रही है। इस हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 18602.00 लाख एवं वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट में राशि रु. 22802.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

16.1 लघु वनोपज क्षेत्र संवर्धन/उत्पादन (मद 60.1)

उक्त मद में लघु वनोपज क्षेत्र संवर्धन/उत्पादन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

16.2 लघु वनोपज प्रजाति रोपण / औषधि खेती (मद 60.2)

व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण वनोपज / औषधि का खेती बढ़ावा कार्य उक्त मद में किया जावेगा।

16.3 लाख विकास (मद 60.3)

उक्त मद से लाख विकास हेतु कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

16.4 कच्चे लघु वनोपज पर व्यय (मद 60.4)

उक्त मद अंतर्गत संघ द्वारा निर्धारित दर पर लघु वनोपज का क्रय/ संग्रहण / भंडारण/ आदि किया जावेगा।

16.5 प्रसंस्कृत लघु वनोपज पर व्यय (मद 60.5)

उक्त योजना में क्रय किए गए लघु वनोपज का द्वितीयक प्रसंस्करण का कार्य प्रस्तावित है।

16.6 लघु वनोपज विपणन (मद 60.6)

इस घटक के अंतर्गत वन-धन विकास केन्द्र के माध्यम से हर्बल उत्पाद व्यापार हेतु संबंधित वृत्त के NWFP मार्ट को चक्रीय निधि दिया जावेगा। विक्रय उपरांत प्राप्त राशि उक्त मद में पुनः समायोजित की जावेगी।

छत्तीसगढ़ हर्बल उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड का प्रचार-प्रसार कार्य भी कराया जावेगा।

16.7 अनुसंधान विस्तार (मद 60.7)

लघु वनोपज आधारित हर्बल उत्पादों के गुणवत्ता, तकनीकी उन्नयन एवं नवीन उत्पाद निर्माण हेतु उक्त मद में विभिन्न संस्थाओं जैसे - CFTRI, ICAR, IIMR, IIT आदि तथा अन्य विशेषज्ञों की सेवा ली जानी प्रस्तावित है।

16.8 सूचना प्रबंधन प्रणाली (मद 60.8)

संघ अंतर्गत व्यापार/विकास कार्यों के संचालन मानिटोरिंग तथा डिजीजन सर्पोटिंग सिस्टम MIS आदि हेतु उक्त साफ्टवेयर निर्माण, हाडवेयर क्रय आदि कार्य उक्त मद में प्रस्तावित है।

16.9 मानव संसाधन विकास पर व्यय (मद 60.9)

60.9.1 - मानव संसाधन विकास :- लघु वनोपज व्यापार/विकास हेतु संविदा पर नियुक्त कर्मचारी वेतन, भत्ते आदि तथा अन्य संविदा संयुक्त कर्मचारी / इंटरन / वन धन मित्र एवं अन्य प्रकार कर्मचारी वेतन, भत्ते आदि इस मद के अंतर्गत भारित किया जावेगा।

60.9.2 - क्षमता विकास पर व्यय :- लघु वनोपज व्यापार / विकास हेतु नियोजित समूह / कर्मचारी / संग्राहक / कृषक तथा प्रशिक्षण, क्षेत्र भ्रमण तथा क्षमता विकास आदि कार्य इस मद के अंतर्गत भारित किया जावेगा।

16.10 प्रसंस्करण इकाईयों का विकास (मद 60.10)

60.10.1 - केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई :- केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई स्थापना आदि संबंधी व्यय इसके अंतर्गत भारित किया जावेगा।

60.10.2 - क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई :- क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई स्थापना आदि व्यय इसके अंतर्गत भारित किया जावेगा।

60.10.3 - जिला स्तरीय प्रसंस्करण इकाई :- राज्य के विभिन्न जिले में प्रस्तावित प्रसंस्करण इकाई स्थापना आदि संबंधी व्यय इस मद के अंतर्गत भारित किया जावेगा। सिल्क समग्र योजना रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड की योजना है। परियोजना हेतु छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत इस मद अंतर्गत निर्वहन किया जावेगा।

16.11 प्रसंस्करण इकाईयों का विकास (मद 60.11)

60.11.1 - नवीन भवन निर्माण :- इसके अंतर्गत गोदाम तथा अन्य नवीन भवन निर्माण किया जावेगा।

60.11.2 - भवन मरम्मत :- इसके अंतर्गत विभिन्न गोदाम, वनधन केन्द्र, प्रसंस्करण केन्द्र आदि भवन मरम्मत कार्य किया जावेगा।

60.11.3 - अन्य अधोसंरचना विकास :- इसके अंतर्गत NWFP मार्ट, संजीवनी तथा अन्य प्रकार के भवन निर्माण प्रस्तावित है।

ब. अनुमानित आय एवं अनुदान शीर्ष

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत विक्रय से प्राप्त आय (मद क्रमांक - 42)

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत कच्चे एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपज के विक्रय से प्राप्त आय एवं अन्य हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 14200.00 लाख तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 17200.00 लाख का लक्ष्य प्रस्तावित किया जा रहा है।

2. लघु वनोपज व्यापार एवं विकास मद के अंतर्गत विक्रय से प्राप्त आय (मद क्रमांक - 61)

लघु वनोपज व्यापार एवं विकास अंतर्गत कच्चे एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपज के विक्रय से प्राप्त आय एवं अन्य हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 3500.00 लाख तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 4300.00 लाख का लक्ष्य प्रस्तावित किया जा रहा है।

3. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण योजना (मद क्रमांक - 7)

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण योजना अंतर्गत अनुदान (केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत) हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि 5000.00 लाख तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 5000.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

4. वनधन विकास केन्द्र योजना (मद क्रमांक - 8)

वनधन विकास केन्द्र योजना अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 500.00 लाख तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 500.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

5. लोक संरक्षित क्षेत्र - 01 संघ मद परियोजना (मद क्रमांक - 31)

लोक संरक्षित क्षेत्र परियोजना अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 1105.00 लाख तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 1305.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

6. आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना (मद क्रमांक - 32)

लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना कर महत्वपूर्ण लघु वनोपज के संरक्षण योजना अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 480.00 लाख तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 480.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

7. लाख विकास योजना (मद क्रमांक - 35)

लाख विकास योजना अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 400.00 लाख तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 400.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

8. गोदाम निर्माण एवं हाट बाजार उन्नयन (मद क्रमांक - 40)

गोदाम निर्माण एवं हाट बाजार उन्नयन (केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत) अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 1500.00 लाख तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 1000.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

9. सिल्क समग्र योजना-2 (मद क्रमांक - 42)

सिल्क समग्र योजना अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 360.00 लाख तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 300.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

10. प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.ज.जा.) 14-2406-102-5231 लघु वनोपज कार्य हेतु (मद क्रमांक - 46)

प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना (केन्द्र क्षेत्रीय योजना) अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 3225.00 लाख तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 2325.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

11. लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान 41-2406-01-0702 एवं 0705-(6373) (मद क्रमांक - 47)

लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान (केन्द्र प्रवर्तित योजना) अंतर्गत वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 1000.00 लाख तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 1000.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

12. लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान 41-2406-01-102-0102-5231
(मद क्रमांक - 48)

लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान (राज्य योजना) अंतर्गत वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 1.00 लाख तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 1.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

13. लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान (अ.ज.जा.)
41-2406-800-0102-(0802) (5231) (मद क्रमांक - 50)

वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट में इस हेतु राज्य शासन से उक्त मद में कुल राशि रु. 2000.00 लाख प्राप्त हुई है। उक्त राशि में से राशि रु. 1000.00 लाख मिलेट एवं अन्य वनोपज के व्यापार में हुई हानि प्रतिपूर्ति के लिये किया तथा शेष राशि रु. 1000.00 लाख का उपयोग मिलेट प्रमोशन हेतु किया जावेगा। उसी प्रकार वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट में राशि रु. 2000.00 लाख प्रावधानित की गई है। हानि प्रतिपूर्ति हेतु शासन से प्राप्त राशि का समायोजन मद क्र. 60.3 में किया जायेगा।

14. छ.ग.राज्य में अकाष्टीय वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना
(मद क्रमांक - 51)

छ.ग. राज्य में अकाष्टीय वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 400.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

15. अराष्ट्रीयकृत लघु योजना - क्षमता विकास परियोजना (मद क्रमांक - 54)

अराष्ट्रीयकृत लघु योजना - क्षमता विकास परियोजना अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 1.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

16. विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना (मद क्रमांक - 55)

विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 1.00 लाख तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 1.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

17. लघु वनोपज का व्यापार एवं विकास (पूर्व में मद क्रमांक - 27.11) 15 प्रतिशत
की राशि (मद क्रमांक - 60)

लघु वनोपज का व्यापार एवं विकास (15 प्रतिशत की राशि) अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 16000.00 लाख तथा वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 20000.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

विषय क्रमांक - 6

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत।

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के अंदर अंकेक्षण कार्य कराया जाना है तथा अधिनियम की धारा-49 (छ) अनुसार वार्षिक साधारण सम्मेलन में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति की जानी है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंकेक्षण हेतु पंजीयक सहकारी संस्थाये द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों से विज्ञापन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंकेक्षण हेतु आवेदन प्राप्त कर परीक्षण उपरांत तकनीकी रूप से पात्र न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता फर्म को अंकेक्षक नियुक्त किये जाने हेतु अधिसूचना क्रमांक/MFP/Fed/Audit/2023/I रायपुर दिनांक 02.08.2023 के माध्यम से Expression of Interest for appointment of Statutory Auditor for Financial Year 2023-24 हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर दिनांक 28.08.2023 को ऑफर प्राप्त किये जाकर नियुक्ति की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अंकेक्षण हेतु प्राप्त न्यूनतम दर राशि रु. 85,000/- पर मेसर्स अजय सिंधवानी एंड कं., रायपुर को नियुक्त किया गया था, जिसको वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु संघ की 23वीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 23.10.2022 हेतु अनुमोदन उपरांत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु नियुक्त किया गया था।

चूंकि नियमानुसार एक अंकेक्षक से अधिकतम दो वर्ष का कार्य कराया जा सकता है अतः वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु निविदाएं आमंत्रित की गईं।

वर्ष 2023-24 के अंकेक्षण हेतु निविदा दिनांक 28.08.2023 को बुलाई गई थी, परीक्षण उपरांत प्राप्त आवेदन में से तकनीकी रूप से पात्र न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता फर्म मेसर्स समीर सिंह एंड एसोसिएट, (सी.ए.), बी-24 जीवन अपार्टमेंट, शंकर नगर चौक रायपुर "छ.ग." द्वारा प्रेषित दर रु. 70,000/- (वस्तु एवं सेवा कर अतिरिक्त) न्यूनतम पाया गया। संघ द्वारा गठित समिति की अनुशंसा उपरांत मेसर्स समीर सिंह एंड एसोसिएट, (सी.ए.), रायपुर को संघ के वित्तीय वर्ष 2023-24 का अंकेक्षक नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

अतः छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (छ) के पालन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंकेक्षक की नियुक्ति का प्रस्ताव संघ की 94वीं संचालक मण्डल की बैठक में अनुमोदन उपरान्त संघ की 24वीं वार्षिक साधारण सभा के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक - 7

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एव विकास) सहकारी संघ मर्यादित से 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियन संबद्ध है। राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण एवं अन्य शासकीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि जिला वनोपज सहकारी यूनियनों को अग्रिम के रूप में प्रदाय की जाती है। उक्त राशि के व्यय उपरांत व्यय लेखे जिला यूनियन से प्राप्त कर संघ की लेखा पुस्तकों में समायोजित किया जाता है एवं इसी प्रकार विक्रित वनोपज का विक्रय लेखों का समायोजन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में समस्त 31 जिला यूनियनों के प्राप्त वार्षिक लेखों का समायोजन उपरांत संघ के अंतिम वित्तीय पत्रक (व्यापार पत्रक/लाभ-हानि एवं स्थिति विवरण पत्रक) तैयार कर अंकेक्षित अंतिम वित्तीय पत्रक, संचालक मंडल की 95वीं बैठक में अनुमोदन उपरान्त संघ की 24वीं वार्षिक साधारण सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2023

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
1,00,00,00,000.00	AUTHORISED SHARE CAPITAL		1,00,00,00,000.00				
	PAID UP SHARE CAPITAL		18,96,87,392.14		FIXED ASSETS		1,43,69,55,995.12
4,37,22,122.14	State Government	4,37,22,122.14		72,32,54,625.56	Godown & Building	99,33,58,816.56	
32,000.00	District Union	32,000.00		3,61,00,737.00	Land (Naya Raipur)	3,61,00,737.00	
10,18,64,348.40	State Government through NCDC (Old)	10,18,64,348.40		1,92,58,052.76	Vehicle (Assets)	1,89,19,805.14	
54,47,622.40	Social Justice & Empowerment	54,47,622.40		4,13,44,278.53	Furniture and Dead Stock	4,62,99,995.53	
64,38,099.20	Tribal & Minority Welfare	64,38,099.20		2,65,13,584.85	Computer & Computer Parts	2,75,34,916.41	
3,21,83,200.00	NCDC Godowns from C.G. Govt.	3,21,83,200.00		2,55,26,775.48	Office Machinery	2,66,74,116.48	
				20,58,57,460.00	Office Building (Work in Progress)	26,93,95,780.00	
	FUNDS & RESERVES		1,32,22,01,046.89	1,86,71,828.00	DU Office Building/Godown (Work in Progress)	1,86,71,828.00	
8,85,75,578.99	General Reserves & Funds	9,26,59,564.99			INVESTMENT		1,75,000.00
23,22,73,002.29	Reserve Funds	24,75,47,880.71		1,75,000.00	Purchase of Share	1,75,000.00	
39,96,07,345.53	Depreciation Funds	44,35,70,829.53			LIC (Group Gratuity)		10,11,82,439.17
6,97,28,316.31	Inventory Loss Funds	7,42,87,981.51			Group Gratuity Contribution Fund	5,43,32,806.34	
6,83,80,445.83	Co-operative Training & Publicity funds	7,29,40,111.03		3,63,21,117.72	Interest Accrued From Group Gratuity Fund	4,68,49,632.83	
13,77,67,975.48	Share Capital Redemption Funds	14,68,87,305.88		4,08,73,647.26			
2,05,78,944.43	Co-op. Movement & Development Funds	2,19,46,843.99			LIC (Group Leave Encashment Fund)		6,77,31,102.96
1,36,19,884.78	Bad & Doubtful Debts Funds	1,45,31,817.82		2,93,45,030.71	Group Leave E. Contribution Fund	3,56,68,027.69	
4,50,70,384.00	Subsidy for Godowns From NCDC	4,50,70,384.00		2,79,71,652.26	Interest Accrued From Group Leave Encashment Contribution Fund	3,20,63,075.27	
12,09,41,200.12	Building Fund	12,86,92,630.96			LOANS & ADVANCES		1,71,29,16,181.17
3,20,13,847.13	Vehicle Fund	3,40,65,696.47			Nagrak Apurti Nigam	26,36,021.60	
	LOANS		96,04,417.00		Advance To Staff	12,06,952.69	
46,42,860.00	Margin Money Loan From M.P. Govt. (MP Bhopal)	46,42,860.00		13,508.00	DFO Mis division Raipur	13,508.00	
49,36,657.00	Godown Loan From Central Govt. (MP Bhopal)	49,36,657.00		3,941.00	Director Guru Ghansidas Nationak Park, Korea	3,941.00	
24,900.00	Godown Loan From N.C.D.C	24,900.00		137.00	CGCERT	137.00	
	DEVELOPMENTAL PROJECTS		1,01,54,27,720.51		Vaniki & Vanya Jeevan Project(10-2406-01-800)	37,85,73,275.36	
4,61,86,890.00	41-2406 Adivasi Up yojana-5091(PPA)	4,61,86,890.00		9,63,21,574.42	Mulbhoot/Development of Forest and forest Produce	9,63,21,574.42	
15,40,32,099.89	41-2406 Tribal Sub Plan 5231 Processing	15,77,09,858.89					



A

A

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
7,74,64,292.73	European Commission Project [10-2406-6725]	7,74,93,122.73		60,625.00	LSA on Gratuity from LIC	60,625.00	
19,27,39,948.28	51-NWFP Based Livelihood project in C.G State	20,74,23,793.38		-	CSPDCL	16,316.10	
1,90,44,023.00	41-2406-6792 pm jeewan jyoti beema yojna	1,90,44,023.00		10,18,07,239.00	Saheed Mahendra Karma Bima Yojana(C.G.)	-	
1,36,51,427.00	10-2406-6792 pm jeewan jyoti beema yojna	1,36,51,427.00		1,00,000.00	Society Manager Group insurance Claim	1,00,000.00	
19,95,241.75	Bastar Vikas Pradhikaran	19,95,241.75		3,07,678.00	NWFP Mart Account	3,07,678.00	
15,76,608.00	Sarguja/Jaspur Vikas Pradhikaran	15,76,608.00		44,99,776.00	NAFED, Kolkata	-	
45,55,974.70	UNDP-CCF-1 Bio Diversity Conservation Project	45,52,379.70		79,89,60,453.00	MSP Accounts	1,22,49,60,453.00	
8,99,72,720.32	41-2406 Lac Development Project 6854	8,66,39,864.40		-	41-2406 Kendra Pravartit Yojana	87,15,699.00	
43,21,18,968.04	Add Central Assistance Project (14-2406-102-5231)	32,39,79,414.04					
3,63,11,250.00	Lac Cultivation Project (SGSY)	3,63,11,250.00			GUNNY BAGS & HASSIAN BARDANA		3,21,67,953.70
3,80,171.30	Tribal Co-operative Marketing Fed. Of India	3,80,171.30		1,38,45,629.00	Gunny Bags & Tarpoline(Bhopal)	1,38,45,629.00	
48,57,953.50	National Medicinal Plant Board (NMPB)	48,57,953.50		1,83,22,324.70	Hassian Bardana (Bhopal)	1,83,22,324.70	
43,605.50	Chhattisgarh Biofuel Vikas Pradhikaran	43,605.50					
1,33,49,146.00	State Govt. Project for Processing Centre-5231	1,33,49,146.00			DUTIES & TAXES		95,88,15,605.16
22,26,989.32	Campo Cold Storage Buildings A/c	23,37,892.32		6,87,452.42	Central Sales Tax	6,87,452.42	
1,97,29,993.00	NRLM Project	1,78,95,079.00		76,40,458.96	VAT Receivable (2008-09)	76,40,458.96	
	OTHERS PAYABLE & PROVISIONS		68,34,88,534.44	67,81,29,774.67	VAT	71,38,61,314.67	
75,34,525.79	Provision For Unadjusted Exp PPA	75,34,525.79		13,91,04,922.73	Tax Deducted at Source Receivable	16,12,01,795.28	
54,16,95,758.76	Provision for People's Protected area (Federation Head)	66,78,06,831.76		6,98,81,160.15	Income Tax (TCS)	6,89,58,944.50	
44,90,299.04	Provision for Audit Fees	44,97,502.04		77,52,209.03	CGST Input	-	
28,41,742.95	Salseed Bonus Payable	28,41,742.95		57,10,273.88	IGST Input	52,60,682.11	
3,39,195.00	Group Gratuity Payable Ac	3,39,195.00		77,51,875.70	SGST Input	-	
1,43,969.00	Group Leave Encachment Payable A/c	1,43,969.00		6,82,497.22	Entry Tax on Sale	6,82,497.22	
73,205.90	Bills Payable	73,205.90		-	TDS on GST	5,22,460.00	
18,040.00	G.S.L.I. Payment A/c	2,51,562.00		8,17,24,077.00	INTEREST RECEIVABLE		0.00
	DUTIES & TAXES		50,06,21,723.02	6,45,343.00	REPAYABLE RECOVERIES		8,72,371.00
40,54,26,348.89	Forest Development Cess	40,54,26,348.89		1,63,30,578.06	Service Chages Receivable from MSP Project	2,62,00,483.45	
59,754.00	Commercial Tax	59,754.00					
12,65,83,040.78	Goods and Service Tax	9,42,11,234.78			CLOSING STOCK		62,55,24,754.52
-1,17,106.00	TDS on GST	-		4,92,410.10	Gum	177.61	
-	TDS Payable	1,64,287.00					



81

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
-	SGST Input	3,80,215.84		29,45,414.94	Harra	9,223.99	
-	CGST Input	3,79,882.51		43,76,34,212.19	Tendu Patta	62,54,81,708.87	
				75,08,576.85	Sal Seed	33,644.05	
	SUNDRY CREDITORS		1,49,18,58,745.43		F.D.R./C.D.R./S.D.R.		8,20,74,10,032.07
9,068.00	F.R.L.H.T.	9,068.00		91,51,35,255.00	FDR A/c (Apex Bank) [Fed. Capital]	99,03,81,594.00	
3,97,46,276.86	Tendu Patta Purchasers	2,50,79,242.86		2,00,00,00,000.00	FDR A/c (Chhattisgarh Rajya Gramin Bank)	-	
2,93,200.16	Sal Seed Purchasers	2,93,200.16		1,42,22,579.00	Security Deposit (Court)	1,42,22,579.00	
14,17,609.05	Harra Purchasers	14,17,609.05		2,08,05,88,354.00	FDR A/c (Apex Bank)	1,43,38,27,670.00	
2,00,966.72	Gum Purchasers	2,00,966.72		-	FDR A/c (Axis Bank)	1,03,01,48,782.00	
25,87,801.70	Security Deposit other than M.F.P.	29,51,873.30		-	FDR A/c (Canara Bank)	81,85,75,342.00	
-	C-MART Operations	2,25,00,000.00		-	FDR A/c (Indusind Bank)	81,64,37,844.07	
-	LCSA on GLES from LIC	10,000.00		-	FDR A/c (Kotak Mahindra Bank)	1,03,16,95,685.00	
59,090.00	TamilNadu Med.Plants and Herbal Med.Corp.	59,090.00		-	FDR A/c (Union Bank of India)	1,04,00,83,892.00	
2,40,562.00	Tirumalla Tirupati Dev Sthanam, Tirupati	2,40,562.00		-	FDR A/c (Punjab National Bank)	1,03,20,36,644.00	
2,601.82	Charanpaduka Purchase A/c	2,601.82					
1,37,16,47,819.47	District Union Advance	1,41,89,54,919.02					
7,86,000.00	Settled/Unsettled Amount of Scholorship Yojana	7,03,000.00			BANK ACCOUNTS		7,03,95,36,801.59
-	Saheed Mahendra Karma Bima Yojana(C.G.)	1,94,36,612.50			CURRENT		
					3,988.00	Axis Bank A/c No. 921010024383030	4,21,13,732.00
	PAYABLE TO SOCITIES(C.G.)		14,25,14,36,515.17	13,39,19,532.86	P.N.B. A/c No. 0399005900000058 (C)	11,56,56,456.03	
5,22,77,00,352.52	Incentive Wages to Pluckers C.G.	7,44,94,09,537.34		2,35,67,094.81	State Bank of India A/c 30735345823 (C)	1,01,48,402.81	
2,18,35,83,989.42	Revolving Fund	2,18,35,83,989.42		-	Apex Bank A/c No. 1149 (C)	-	
4,44,59,02,939.04	Minor Forest Trade and Development (27-11)	4,61,84,42,988.41		16,38,532.00	Bank of Baroda A/c No.05100200000482 (C)	16,38,532.00	
				3,892.61	Dena Bank A/c No. 018811001093 (C)	-	
	M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL		73,45,05,969.87		SAVING		
5,99,86,647.28	M.P.M.F.P.CO-OP. FED. Bhopal A/c -1 (Annexure -A)	5,99,86,647.28		8,87,594.00	Apex Bank A/c No. 103002061018 (S)	8,78,916.00	
41,02,60,025.99	Bifurcation Dispute with Federation, Bhopal A/c 2	41,02,60,025.99		5,19,068.00	Axis Bank A/c No. 44794 (S)	5,19,068.00	
26,42,59,296.60	M.P.M.F.P.CO-OP. FED. Bhopal A/C -3	26,42,59,296.60		53,70,255.00	Axis Bank A/c No.913010014688171 (S)	6,52,05,981.00	
1,13,59,776.94	SUSPENSE A/C		1,13,59,776.94	1,72,73,82,245.67	Axis Bank A/c No. 919010061564958 (S)	38,98,49,424.94	
				16,97,18,847.15	AXIS Bank (S) 910010017380589 (S)	16,97,18,847.15	
				-	AXIS Bank 921010024383205 (S)	5,41,51,019.82	
4,05,52,01,388.33	MSP Project related Liabilities (Annexure B)	4,47,21,22,258.80		-	AXIS Bank 921010024383234 (S)	58,27,175.00	
				47,59,06,135.00	Bank of Baroda A/c No. 45730100002093 (S)	13,32,81,748.40	






PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	FEDERATION PROFIT & LOSS A/C		23.00	92,43,792.00	<i>Bank of Baroda A/c No. 45730100002094 (S)</i>	96,39,419.00	
22.00	A. Profit of Fed. (in Previous year)	22.00		5,15,48,419.37	<i>Bank of Baroda A/c No. 45730100002401 (S)</i>	8,26,12,372.23	
	B. Profit of Current Year	4,96,80,639.00		4,08,98,06,300.69	<i>ICICI Bank A/c No. 016101015839 (S)</i>	3,55,42,63,509.49	
	Total	4,96,80,661.00		3,07,30,173.00	<i>HDBI Bank (S) A/c No. 49104000371506 (S)</i>	3,14,50,222.00	
	Less: Transferred to General Reserve Fund	4,96,80,638.00		-	<i>Indian Bank 7286663766</i>	2,89,55,118.00	
				1,36,51,07,221.33	<i>Indus Ind Bank A/c No. 100061521459 (7)</i>	1,67,17,82,029.21	
				8,72,976.00	<i>Indus Ind Bank A/c No. 100061712413 (6)</i>	9,09,911.00	
				3,81,62,632.00	<i>Kotak Mahindra Bank A/c No. 1314152492</i>	4,01,20,894.00	
				23,20,227.64	<i>P.N.B. A/c No. 0101183276 (Campa) (S)</i>	24,11,926.64	
				8,07,09,633.77	<i>P.N.B. A/c No. 3358 (S)</i>	8,48,55,667.77	
				7,25,60,007.49	<i>P.N.B. M.Br. A/c No. 399000101192414 (S)</i>	10,23,68,262.49	
				6,82,87,258.10	<i>State Bank of India A/c No. 31144628102 (S)</i>	9,82,02,122.70	
				9,77,96,948.58	<i>State Bank of India A/c No. 32084656047 (S)</i>	20,29,94,423.70	
				7,88,73,083.36	<i>P.N.B. M Br. 191933 (S)</i>	13,99,81,620.21	
				4,05,52,01,388.33	MSP Project related Assets (Annexure B)		4,47,21,22,258.80
					CASH/DD/CHEQUE-IN-HAND		
				7,03,144.50	<i>DD/Cheque In Hand</i>		7,03,144.50
21,70,26,54,456.37	GRAND TOTAL		24,68,23,14,123.21	21,70,26,54,456.37	GRAND TOTAL		24,68,23,14,123.21


83


Note :- As per Annexure "C" enclosed.


Place: Raipur

Date 26.09.2023



(Smt. Archana Dhangar)
Asst. Account Officer


(CA Shashank Sahu)
Manager Accounts


(G.R. Dewangan)
Manager Finance


(Amarnath Prasad)
Additional Managing Director


(Anil Kumar Rai)
Managing Director


(CA Vinod Keshwani)
Auditor (M.No. 400622)



UDIN: 23400622 BGTIGU760



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

AGENCY TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2022-23

TENDU LEAVES

PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock Tendu Patta	Note-1		43,76,34,212.19	By Sales Tendu Patta	Note-13		10,27,80,49,920.52
To Wages Paid Tendu Patta Collection Incentive Wages	Note-2	6,32,09,82,795.00 3,02,87,04,105.22	9,34,96,86,900.22	By Direct Incomes Interest & Other Income Misc. Income Through D.U. Bank Int. Recieved From DU Lot Transfer Income Tender Form Fees	Note-14 Note-15 Note-16 Note-17 Note-18	3,98,47,689.23 80,49,672.00 11,27,884.00 37,40,640.00 2,40,995.00	5,30,06,880.23
To Direct Expenses Stationery & Printing Godown Insurance Godown Rent M.F.P. Insurance Premium Primary Society Establiment Expenses Rebate on Tendu Patta Establishment & Admin Exp of D.U Tendupatta Overhead Expenses Society Manager's Group Insurance A/c	Note-3 Note-4 Note-5 Note-6 Note-7 Note-8 Note-9 Note-10 Note-11	3,30,231.32 8,60,113.00 4,71,595.00 23,60,046.00 27,09,52,442.00 6,43,43,403.77 31,88,18,298.25 36,02,42,850.94 7,02,233.00	1,01,90,81,213.28	By Closing Stock Tendu Patta	Note-19		62,54,81,708.87
To People's Protected Area (Fed. Head) Tendu Patta	Note-12		12,65,55,573.00				
To Surplus			2,35,80,610.93				
TOTAL			10,95,65,38,509.62	TOTAL			10,95,65,38,509.62

SAL SEED

PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock Sal Seed			75,08,576.85	By Closing Stock Salseed			33,644.05
				By Loss			74,74,932.80
TOTAL			75,08,576.85	TOTAL			75,08,576.85

Note: Stock of Salseed are physically not available, thus, the Stocks have been valued at Rs.1 Per Std Bag.

HARRA

PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock Harra			29,45,414.94	By Closing Stock Harra			9,223.99
				By Loss			29,36,190.95
TOTAL			29,45,414.94	TOTAL			29,45,414.94

Note: Stock of Harra are physically not available, thus, the Stocks have been valued at Rs.1 Per Std Bag.



Note: Stock of Harra are physically not available, thus, the Stocks have been valued at Rs.1 Per Std Bag.


GUM							
PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock Gum			4,92,410.10	By Closing Stock Gum			177.61
				By Loss			4,92,232.49
TOTAL			4,92,410.10	TOTAL			4,92,410.10


Note: Stock of Gum are physically not available, thus, the Stocks have been valued at Rs.1 Per Std Bag.

GROSS SURPLUS SUMMARY OF NOTIFIED MINOR FOREST PRODUCE


PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT
To Gross Loss on Salseed			74,74,932.80	Tendu Patta Surplus			2,35,80,610.93
To Gross Loss on Harra			29,36,190.95				
To Gross Loss on Gum			4,92,232.49				
To Gross Surplus			1,26,77,254.69				
TOTAL			2,35,80,610.93	TOTAL			2,35,80,610.93


85



(Smt. Archana Dhangar)
Asst. Account Officer


(CA Shashank Sahu)
Manager Accounts


(G.R. Dewangan)
Manager Finance


(Amarnath Prasad)
Additional Managing Director


(Anil Kumar Rai)
Managing Director


(CA Vinod Kesfwan)
Auditor (M.No. 400622)



UDIN: 23400622BGTIGU7601



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
AGENCY PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2022-23

PARTICULARS	Notes	AMOUNT	PARTICULARS	Notes	AMOUNT
TO ESTABLISHMENT EXPENSES	Note-20	10,83,44,727.40	BY GROSS SURPLUS B/F		1,26,77,254.69
<i>House Office Rent to Owner</i>		<i>10,83,453.00</i>	BY INDIRECT INCOMES	Note-29	4,78,80,524.70
<i>Salary Account</i>		<i>6,69,67,558.00</i>	<i>Godown Rent Received</i>		<i>3,75,05,982.00</i>
<i>Conveyance Exps.</i>		<i>1,26,800.00</i>	<i>Miscellaneous Income</i>		<i>1,41,525.12</i>
<i>Ex-gratia Exp</i>		<i>50,000.00</i>	<i>Misc. Received Under Information Rights</i>		<i>180.00</i>
<i>Group Gratuity Expenses A/c</i>		<i>6,28,829.38</i>	<i>House Rent Licence Fees [Fed.]</i>		<i>70,260.00</i>
<i>Group Gratuity Payment A/c</i>		<i>57,30,041.00</i>	<i>Vehicle Charges Recovered</i>		<i>25,217.00</i>
<i>Group Leave Encashment Payment A/c</i>		<i>24,00,149.00</i>	<i>Misc. Deductions</i>		<i>51,823.00</i>
<i>Group Leave Encashment Premium & Others A/c</i>		<i>3,27,353.02</i>	<i>Interest earned on Group Gratuity Account</i>		<i>59,75,985.57</i>
<i>E.P.F. Administrative Charges</i>		<i>8,90,124.00</i>	<i>Interest earned on Group Leave Encashment</i>		<i>40,91,423.01</i>
<i>Medical Expenses</i>		<i>33,81,605.00</i>	<i>Interest from SD held with CSPDCL</i>		<i>18,129.00</i>
<i>Travelling Expenses</i>		<i>18,61,420.00</i>			
<i>Orderly Exp.</i>		<i>18,01,182.00</i>	BY INTEREST INCOME	Note-30	20,75,24,440.45
<i>E.P.F (Contribution)</i>		<i>1,18,83,662.00</i>	<i>Interest Earned on FDR</i>		<i>21,65,68,757.95</i>
<i>Pension Contribution</i>		<i>35,39,985.00</i>	<i>Interest Earned on FFD A/c</i>		<i>3,54,64,737.00</i>
<i>Vehicle Exp.</i>		<i>76,31,213.00</i>	<i>Interest Earned on Saving Bank</i>		<i>25,37,88,205.00</i>
<i>Vehicle Insurance Charges</i>		<i>27,153.00</i>	Total Interest Income		50,58,21,699.95
<i>Verdi (Dress) Exps.</i>		<i>14,200.00</i>	<i>Less: Schemes running out of Interest income</i>		
TO INDIRECT EXPENSES	Note-21	5,08,04,015.83	<i>(a) Fud Munshi Samuh Bima Yojana A/c</i>		<i>47,43,730.00</i>
<i>IT Based Software Dev. System Expense</i>		<i>2,49,32,336.00</i>	<i>(b) Parivar Samuh Bima Yojana</i>		<i>2,31,00,000.00</i>
<i>Lease Rent Exp. on Fed. Building</i>		<i>8,44,950.00</i>	<i>(c) Shahid Mahendra Karma Bima Yojana (Federation)</i>		<i>16,73,17,529.50</i>
<i>Consumable Store</i>		<i>1,44,265.60</i>	<i>(d) Shiksha Protsahan Yojana [Scholarship Scheme]</i>		<i>10,31,36,000.00</i>
<i>Honorarium Exps.</i>		<i>86,450.00</i>			
<i>13.30-Godown and DU Building repair Maint.</i>		<i>2,12,14,785.00</i>	Total expenses incurred on Schemes (a+b+c+d+e)		29,82,97,259.50
<i>Interest paid on GST</i>		<i>12,512.00</i>	Net Interest Income		20,75,24,440.45
<i>Interest paid on TCS</i>		<i>13,588.00</i>			
<i>Late fees</i>		<i>1,49,250.00</i>			
<i>Loss on Write off Vehicle</i>		<i>3,293.62</i>			
<i>Service Charge on MSP</i>		<i>34,02,585.61</i>			
TO WELFARE/DEVELOPMENT EXPENSES	Note-22	3,64,00,000.00			
TO MANAGERIAL EXPENSES	Note-23	2,81,54,769.61			
<i>Training Expenses</i>		<i>10,47,620.00</i>			



PARTICULARS	Notes	AMOUNT	PARTICULARS	Notes	AMOUNT
AGM & BOD Meeting Expense		3,61,494.50			
Commission on Advertisement Charges		4,21,881.06			
Computer/printer/ Other Ins. Repairing		3,94,201.76			
Consultancy Services		96,07,388.75			
Maintenance & Repair of Office Building		20,37,712.06			
Photocopy & Printing Exps.		4,60,882.00			
Publicity Exps.		7,37,867.00			
Telephone & Installation/lease Line Expenses		7,35,472.54			
Vehicle Others		4,35,275.40			
Stationery & Printing		8,46,150.88			
Books & Periodicals		29,085.00			
Computer Exp		4,75,670.80			
Postage & Telegram		10,389.00			
Electricity & Water Supply		19,55,961.60			
Advertisement and Tender Exp A/c		13,00,695.13			
Meeting Expenses		6,78,305.18			
Miscellaneous Expenses		41,29,067.74			
Vidhik Fees/litigation		24,60,000.00			
Bank Charges		29,649.21			
TO DISTRICT UNION COMMISSION	Note-24	31.00			
TO DEPERICIATION CHARGES	Note-25	4,42,98,438.00			
TO CONTRIBUTION TO APEX CO-OP BANK	Note-26	1,000.00			
TO AUDIT FEES	Note-27	79,237.00			
TO COMMISSION TO FEDERATION	Note-28	1.00			
TOTAL		26,80,82,219.84	TOTAL		26,80,82,219.84


87



(Smt. Archana Dhangar)
Asst. Account Officer


(CA Shashank Sahu)
Manager Accounts


(G.R. Dewangan)
Manager Finance


(Amarnath Prasad)
Additional Managing Director


(Anil Kumar Rai)
Managing Director


(CA Vinod Keshwan)
Auditor (M.No. 400622)





UDIN: 23400622BGT16U7601





C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
FEDERATION PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2022-23

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
TO NET PROFIT TRANSFERED TO BALANCE SHEET	4,96,80,639.00	BY INTEREST ON FEDERATION SEED CAPITAL	4,96,80,638.00
		BY Agency Commission B/F from Agency P/L Ac	1.00
TOTAL	4,96,80,639.00	TOTAL	4,96,80,639.00


(Smt. Archana Dhangar)
Asst. Account Officer


(CA Shashank Sahu)
Manager Accounts


(G.R. Dewangan)
Manager Finance


(Amarnath Prasad)
Additional Managing Director


(Anil Kumar Rai)
Managing Director


(CA Vinod Keshwan)
Auditor (M.No. 400622)



UDIN: 23400622BGTIGU7601





C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "A" of Balance Sheet AS ON 31st MARCH' 2023

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
22,63,000.00	Grant in Aid	22,63,000.00	85,29,42,793.11	Advance to Distt. Union(Bhopal)	85,29,42,793.11
14,00,000.00	M.F.P.Operation- Processing Units & Small Godowns	14,00,000.00			
22,27,000.00	NTFP Plantation (Medicinal Plants)	22,27,000.00			
3,81,50,000.00	Godown Assistance	3,81,50,000.00			
30,57,321.00	Subsidy for Godowns From TRIFED	30,57,321.00			
6,00,000.00	Subsidy for Small Godowns	6,00,000.00			
9,38,96,542.04	Provision for T.P.Trade & Administrative Charges (New)	9,38,96,542.04			
23,52,776.68	Provision for Harra Trade Expenses (New)	23,52,776.68			
39,63,288.56	Provision for Sal Seed Trade Expenses (New)	39,63,288.56			
1,461.84	Provision for Other Gum Trade Expenses (New)	1,461.84			
2,024.00	Provision for Kullu Gum Trade Expenses (New)	2,024.00			
26,09,01,689.23	Provision for T.P.Trade & Admin.Charges (Old)	26,09,01,689.23			
3,50,956.43	Provision for Mahua Trade Expenses	3,50,956.43			
36,84,541.50	Provision for Harra Trade Expenses (Old)	36,84,541.50			
1,99,19,699.20	Provision for Sal Seed Trade Expenses (Old)	1,99,19,699.20			
5,09,30,873.30	Incentive Wages to Pluckers (Bhopal)	5,09,30,873.30			
9,88,14,052.72	Profit To Societies (Reorganisation) (70:15:15)	9,88,14,052.72			
33,03,50,213.89	Advance From Distt. Union (Bhopal)	33,03,50,213.89			
64,000.00	Cash In Transit	64,000.00			
91,29,29,440.39	GRAND TOTAL	91,29,29,440.39	85,29,42,793.11	GRAND TOTAL	85,29,42,793.11

5,99,86,647.28 Net transferred to Balance Sheet as M.P.M.F.P.CO-OP. FED. 5,99,86,647.28
BHOPAL A/c -1




(Smt. Archana Dhangar)
Asst. Account Officer


(CA Shashank Sahu)
Manager Accounts


(G.R. Dewangan)
Manager Finance


(Anarnath Prasad)
Additional Managing Director


(Anil Kumar Rai)
Managing Director


(CA Vinod Keshwan)
Auditor (M.No. 400622)


UDIN: 23400622BGTIGU7601



C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "B" M.S.P PROJECT BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2023

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
2,75,27,67,863.81	Revolving Fund of MSP	2,77,72,22,153.18	2,05,12,46,776.53	Fund to Meet Losses	2,61,64,64,843.91
	Opening Balance	2,75,27,67,863.81		Opening Balance	2,05,12,46,776.53
	+Fund received			+ Current Year Trading losses	56,52,18,067.38
	+ Net of Indirect Income/Expenses	2,44,54,289.37			
			84,68,47,127.87	Closing Stock	69,11,16,118.46
31,26,24,110.62	Payable to MFP Gatherers Under MSP	36,61,06,348.30		Aati Imli	27,11,98,652.02
	Opening Balance	31,26,24,110.62		Amla Dry	3,681.00
	+ Current Year	5,34,82,237.68		Bael	1,28,922.67
9,13,59,159.48	PM VAN DHAN YOJANA	4,15,90,699.48	4,15,90,699.48	Baheda	31,82,375.06
				Baheda Kachariya	14,08,093.95
				Bhelwa	7,34,135.89
2,54,34,949.96	Duties & Taxes	2,92,21,575.96		Charota Seed	20,557.36
	Forest Development Tax	73,56,511.67		Chironji Guthli	44,79,665.32
	Goods and Service Tax			Dhawai Phool	8,23,708.70
	CGST Input	1,01,18,808.75		Giloe	50,27,218.05
	SGST Input	1,01,18,808.75		Harra	19,18,026.00
	IGST Input	9,01,614.00		HARRA KACHARIYA	22,38,124.92
	Value Added Tax	2,20,094.71		Honey	72,68,804.75
	TCS	5,04,572.08		Imli Beej	80,07,756.02
	Income Tax	1,166.00		Imli Phool	28,50,11,263.80
1,63,30,578.06	Service Charges Payable	43,62,855.31	2,06,93,433.37	Jamun Beej	22,910.43
20,000.00	Security Deposit	6,39,454.00	6,39,454.00	Kaju	2,01,50,263.36
	Sundry Creditors	1,23,66,48,594.51		Kalmegh	13,46,265.72
1,34,44,421.84	MFP Purchasers	1,16,88,137.82		Karanj Beej	49,305.00
3.69	NCDX "E" Marketing Ltd	3.69		Kullu Gond	3,650.12
79,89,60,453.00	Receivable from Tendu Patta A/c	1,22,49,60,453.00		Kusum Beej	20,568.18

06

f





C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "B" M.S.P PROJECT BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2023

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
				<i>Kusumi Lac</i>	43,977.87
				<i>Mahua Phool</i>	5,84,50,828.40
				<i>Mahua Seed</i>	24,03,746.20
				<i>Mahul Leaf</i>	7,47,025.90
				<i>Malkangani</i>	16,235.95
				<i>Nagarmotha</i>	21,54,780.25
				<i>Neem Beej</i>	1,53,741.95
				<i>Phool Jhadu</i>	10,01,945.22
				<i>Puwad Beej</i>	7,351.92
				<i>Rangini Lac</i>	58,64,499.49
				<i>Salseed</i>	70,86,659.67
				<i>Satavar</i>	40,184.53
				<i>Sikakai</i>	3,730.68
				<i>Van Jeera</i>	10,681.11
				<i>Van Tulsi</i>	86,781.00
			47,73,26,469.55	Loans and Advances	22,58,33,012.00
				<i>Tax Deducted at Source (Bank)</i>	6,00,48,414.11
				<i>District Union Advance</i>	16,57,84,597.89
			49,08,33,097.73	Bank Account	78,96,21,943.61
				<i>PNB A/c No. 000067</i>	26,53,88,170.99
				<i>Axis Bank A/c No. 244794</i>	2,14,43,258.00
				<i>Axis Bank A/c No. 383085</i>	10,02,951.00
				<i>Axis Bank A/c No. 383328</i>	10,02,951.00
				<i>ICICI Bank A/c 018105</i>	50,07,84,612.62







C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR


Annexure "B" M.S.P PROJECT BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2023


PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
			11,88,58,215.72	Stock Of Commercial Goods	11,88,58,215.72
				MSP Gunny Bags and Stationary	11,88,58,215.72
			2,58,29,853.06	Duties & Taxes	3,02,28,125.10
				CGST Input	1,04,35,175.79
				Entry Tax	93,410.52
				SGST Input	1,00,46,185.79
				IGST Input	93,88,017.00
				TDS on GST	2,65,336.00
4,01,09,41,540.46	GRAND TOTAL	4,47,21,22,258.80	4,01,09,41,540.46	GRAND TOTAL	4,47,21,22,258.80


92



(Smt. Archana Dhangar)
Asst. Account Officer


(CA Shashank Sahu)
Manager Accounts


(G.R. Dewangan)
Manager Finance


(Anarnath Prasad)
Additional Managing Director


(Anil Kumar Rai)
Managing Director


(CA Vinod Keshwanth)
Auditor (M.No. 480622) 455C



UDIN: 23400622 BGT1GU7601



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2022-23

<u>SAL SEED</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	9,33,41,179.95	By Sales	10,11,19,460.48
To Purchase	2,37,37,006.00	By Direct Incomes	5,57,419.00
To Direct Overhead Expenses	85,52,742.47	By Closing Stock	70,86,659.67
To Service Charge SalSeed	4,74,740.12	By Loss transferred to Fund to meet loss	1,73,42,129.39
TOTAL	12,61,05,668.54	TOTAL	12,61,05,668.54
<u>HARRA</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	1,19,85,203.25	By Sales	52,91,229.93
To Purchase	3,85,919.50	By Direct Incomes	68,799.00
To Sales Return	27,964.96	By Closing Stock	19,18,026.00
To Direct Overhead Expenses	1,48,661.93	By Loss transferred to Fund to meet loss	52,78,811.10
To Service Charge Harra	9,116.39		
TOTAL	1,25,56,866.03	TOTAL	1,25,56,866.03
<u>MAHUA SEED</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	(3,89,86,332.31)	By Sales	9,08,989.00
To Purchase	15,921.00	By Direct Incomes	0.00
To Sales Return	20,97,187.00	By Closing Stock	24,03,746.20
To Direct Overhead Expenses	1,338.09		
To Service Charge Mahua Seed	318.42		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	4,01,84,303.00		
TOTAL	33,12,735.20	TOTAL	33,12,735.20
<u>CHIRONJI</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	(27,13,678.69)	By Sales	33,81,372.00
To Purchase	45,69,741.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	2,14,165.95	By Closing Stock	44,79,665.32
To Service Charge Chironji	91,394.82		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	56,99,414.24		
TOTAL	78,61,037.32	TOTAL	78,61,037.32





C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2022-23

KUSUMI LAC			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	13,76,199.97	By Sales	6,20,692.00
To Purchase	27,000.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	953.42	By Closing Stock	43,977.87
To Service Charge Kusumi Lac	540.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	7,40,023.52
TOTAL	14,04,693.39	TOTAL	14,04,693.39
RANGINI LAC			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	1,42,83,041.78	By Sales	85,43,439.00
To Purchase	3,15,040.00	By Direct Incomes	10,811.00
To Direct Overhead Expenses	11,462.64	By Closing Stock	58,64,499.49
To Service Charge Rangini Lac	6,300.80		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	-1,97,095.73		
TOTAL	1,44,18,749.49	TOTAL	1,44,18,749.49
BAEL			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	4,25,864.47	By Sales	7,30,056.00
To Purchase	16,28,643.00	By Direct Incomes	172.00
To Sales Return	2,990.00	By Closing Stock	1,28,922.67
To Direct Overhead Expenses	2,55,922.93	By Loss transfered to Fund to meet loss	14,86,842.59
To Service Charge Bael	32,572.86		
TOTAL	23,45,993.26	TOTAL	23,45,993.26
BAHEDA			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	3,56,17,169.37	By Sales	1,79,05,376.62
To Purchase	29,46,799.60	By Direct Incomes	7,01,324.76
To Sales Return	13,780.01	By Closing Stock	31,82,375.06
To Direct Overhead Expenses	18,45,752.95	By Loss Transfered to Fund to meet loss	1,86,93,361.48
To Service Charge Baheda	58,935.99		
TOTAL	4,04,82,437.92	TOTAL	4,04,82,437.92





C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2022-23

BAHEDA KACHARIYA			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	16,42,450.28	By Sales	5,11,164.00
To Purchase	9,04,881.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	1,14,984.58	By Closing Stock	14,08,093.95
To Service Charge Baheda Kachariya	18,097.62	By Loss Transferred to Fund to meet loss	7,61,155.53
TOTAL	26,80,413.48	TOTAL	26,80,413.48

DHAWAI FUL			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	20,76,048.15	By Sales	16,81,574.56
To Purchase	8,47,441.50	By Direct Incomes	17,338.00
To Sales Return	40,656.97	By Closing Stock	8,23,708.70
To Direct Overhead Expenses	88,238.97	By Loss Transferred to Fund to meet loss	5,46,713.16
To Service Charge Dhawai Ful	16,948.83		
TOTAL	30,69,334.42	TOTAL	30,69,334.42

KALMEGH			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	1,35,00,162.79	By Sales	66,26,745.00
To Purchase	5,38,777.00	By Direct Incomes	2,36,958.00
To Direct Overhead Expenses	87,273.72	By Closing Stock	13,46,265.72
To Service Charge Kalmegh	10,775.54	By Loss Transferred to Fund to meet loss	59,27,020.33
TOTAL	1,41,36,989.05	TOTAL	1,41,36,989.05

NAGARMOTHA			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	20,04,218.84	By Sales	1,41,155.00
To Purchase	1,03,650.00	By Direct Incomes	600.00
To Sales Return	6,764.00		
To Direct Overhead Expenses	24,975.96	By Closing Stock	21,54,780.25
To Service Charge Nagarmotha	2,073.00	By Loss Transferred to Fund to meet loss	0.00
To Payable to MFP Gatherers under MSP	1,54,853.45		
TOTAL	22,96,535.25	TOTAL	22,96,535.25





C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2022-23

AATI IMLI			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	35,68,27,516.80	By Sales	5,62,07,018.00
To Purchase	26,27,98,639.00	By Transfer to Imli Beej	29,469.49
To Direct Overhead Expenses	3,86,38,388.34	By Transfer to Imli Phool	2,63,048.23
To Service Charge Aati Imli	52,55,972.78	By Direct Incomes	31,467.00
		By Closing Stock	27,11,98,652.02
		By Loss Transferred to Fund to meet loss	33,57,90,862.18
TOTAL	66,35,20,516.92	TOTAL	66,35,20,516.92
AMLA			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	1,88,198.88	By Sales	0.00
To Purchase	2,080.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	3.08	By Closing Stock	3,681.00
To Service Charge Amla	41.60	By Loss Transferred to Fund to meet loss	1,86,642.56
TOTAL	1,90,323.56	TOTAL	1,90,323.56
BHELWA			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	14,01,851.48	By Sales	4,84,608.00
To Purchase	1,05,310.00	By Direct Incomes	385.00
To Direct Overhead Expenses	33,287.14	By Closing Stock	7,34,135.89
To Service Charge Bhelwa	2,106.20	By Loss Transferred to Fund to meet loss	3,23,425.93
TOTAL	15,42,554.82	TOTAL	15,42,554.82
CHAROTA SEED			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	2,45,239.43	By Sales	63,028.00
To Purchase	1,28,596.50	By Direct Incomes	0.00
To Sales Return	90,909.90	By Closing Stock	20,557.36
To Direct Overhead Expenses	14,960.39	By Loss transferred to Fund to meet loss	3,98,692.79
To Service Charge Charota Seed	2,571.93		
TOTAL	4,82,278.15	TOTAL	4,82,278.15





C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2022-23

<u>GILOE</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	1,83,42,312.29	By Sales	50,56,628.00
To Purchase	19,14,200.00	By Direct Incomes	45,944.00
To Direct Overhead Expenses	3,551.52	By Closing Stock	50,27,218.05
To Service Charge Giloe	38,284.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	1,01,68,557.76
TOTAL	2,02,98,347.81	TOTAL	2,02,98,347.81
<u>HARRA KACHARIYA</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	85,55,219.20	By Sales	52,08,941.00
To Purchase	12,71,750.00	By Direct Incomes	14,050.00
To Direct Overhead Expenses	1,95,639.05	By Closing Stock	22,38,124.92
To Service Charge Harra Kachariya	25,435.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	25,86,927.33
TOTAL	1,00,48,043.25	TOTAL	1,00,48,043.25
<u>HONEY</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	2,01,78,221.99	By Sales	15,00,553.00
To Purchase	60,21,810.00	By Direct Incomes	1,064.00
To Direct Overhead Expenses	1,80,204.26	By Closing Stock	72,68,804.75
To Service Charge Honey	1,20,436.20	By Loss transfered to Fund to meet loss	1,77,30,250.70
TOTAL	2,65,00,672.45	TOTAL	2,65,00,672.45
<u>IMLI BEEJ</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	4,19,495.99	By Sales	3,99,800.00
To Purchase	3,51,120.00	By Direct Incomes	0.00
To Sales Return	1,37,85,397.00	By Closing Stock	80,07,756.02
To Direct Overhead Expenses	12,53,817.03	By Loss transfered to Fund to meet loss	74,38,765.89
To Service Charge Imli Beej	7,022.40		
To From Aati Imli	29,469.49		
TOTAL	1,58,46,321.91	TOTAL	1,58,46,321.91





C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2022-23

<u>IMLI PHOOL</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	29,53,33,457.70	By Sales	1,76,78,624.00
To Purchase	8,89,57,589.00	By Direct Incomes	2,569.00
To Direct Overhead Expenses	84,00,284.27	By Closing Stock	28,50,11,263.80
To Service Charge ImlI Phool	17,79,151.78	By Loss transferred to Fund to meet loss	9,20,41,074.18
To From Aati ImlI	2,63,048.23		
TOTAL	39,47,33,530.98	TOTAL	39,47,33,530.98
<u>JAMUN BEEJ</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	30,19,088.07	By Sales	1,24,093.75
To Purchase	1,72,254.00	By Direct Incomes	374.00
To Direct Overhead Expenses	6,189.53	By Closing Stock	22,910.43
To Service Charge Jamun Beej	3,445.08	By Loss transferred to Fund to meet loss	30,53,598.50
TOTAL	32,00,976.68	TOTAL	32,00,976.68
<u>KAJU</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	(58,01,964.47)	By Sales	76,49,432.00
To Purchase	40,93,717.00	By Direct Incomes	0.00
To Sales Return	2,15,64,926.00	By Closing Stock	2,01,50,263.36
To Direct Overhead Expenses	2,41,790.70		
To Service Charge Kaju	81,874.34		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	76,19,351.79		
TOTAL	2,77,99,695.36	TOTAL	2,77,99,695.36
<u>KARANJ BEEJ</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	2,78,443.85	By Sales	3,09,652.00
To Purchase	94,245.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	15,801.56	By Closing Stock	49,305.00
To Service Charge Karanj Beej	1,884.90	By Loss transferred to Fund to meet loss	31,418.31
TOTAL	3,90,375.31	TOTAL	3,90,375.31





C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2022-23

<u>KULLU GOND</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	57,105.28	By Sales	0.00
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	297.91	By Closing Stock	3,650.12
To Service Charge Kullu Gond	0.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	53,753.07
TOTAL	57,403.19	TOTAL	57,403.19
<u>KUSUM BEEJ</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	30,500.18	By Sales	1,480.00
To Purchase	29,000.70	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	3,808.03	By Closing Stock	20,568.18
To Service Charge Kusum Beej	580.01	By Loss transfered to Fund to meet loss	41,840.74
TOTAL	63,888.92	TOTAL	63,888.92
<u>MAHUA PHOOL</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	(32,74,982.42)	By Sales	1,09,47,278.00
To Purchase	8,83,00,731.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	1,14,31,266.54	By Closing Stock	5,84,50,828.40
To Service Charge Mahua Phool	17,66,014.62	By Loss transfered to Fund to meet loss	2,88,24,923.34
TOTAL	9,82,23,029.74	TOTAL	9,82,23,029.74
<u>MAHUL LEAF</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	32,91,118.88	By Sales	39,357.00
To Purchase	4,42,890.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	1,85,329.39	By Closing Stock	7,47,025.90
To Service Charge Mahul Leaf	8,857.80	By Loss transfered to Fund to meet loss	31,41,813.17
TOTAL	39,28,196.07	TOTAL	39,28,196.07





C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2022-23

<u>NEEM BEEJ</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	5,79,451.58	By Sales	32,337.00
To Purchase	43,227.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	5,556.52	By Closing Stock	1,53,741.95
To Service Charge Neem Beej	864.54	By Loss transfered to Fund to meet loss	4,43,020.69
TOTAL	6,29,099.64	TOTAL	6,29,099.64

<u>PHOOL JHADU</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	1,06,65,478.33	By Sales	22,65,006.00
To Purchase	26,59,500.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	1,51,328.85	By Closing Stock	10,01,945.22
To Service Charge Phool Jhadu	53,190.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	1,02,62,545.96
TOTAL	1,35,29,497.18	TOTAL	1,35,29,497.18

<u>PUWAD BEEJ</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	7,351.92	By Sales	0.00
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	0.00	By Closing Stock	7,351.92
To Service Charge Puwad Beej	0.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	0.00
TOTAL	7,351.92	TOTAL	7,351.92

<u>SATAVAR</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	18,80,474.35	By Sales	0.00
To Purchase	12,091.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	124.17	By Closing Stock	40,184.53
To Service Charge Satavar	241.82	By Loss transfered to Fund to meet loss	18,52,746.81
TOTAL	18,92,931.34	TOTAL	18,92,931.34





C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2022-23

<u>SIKAKAI</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	17,944.75	By Sales	0.00
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	0.00	By Closing Stock	3,730.68
To Service Charge Sikakai	0.00	By Loss transferred to Fund to meet loss	14,214.07
TOTAL	17,944.75	TOTAL	17,944.75
<u>VAN JEERA</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	6,828.18	By Sales	17,558.00
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	0.00	By Closing Stock	10,681.11
To Service Charge Van Jeera	0.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	21,410.93		
TOTAL	28,239.11	TOTAL	28,239.11
<u>VAN TULSI</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	31,011.83	By Sales	0.00
To Purchase	5,800.00	By Direct Incomes	0.00
To Sales Return	1,05,610.00	By Closing Stock	86,781.00
To Direct Overhead Expenses	1,177.18	By Loss transferred to Fund to meet loss	56,934.01
To Service Charge Van Tulsi	116.00		
TOTAL	1,43,715.01	TOTAL	1,43,715.01
<u>MALKANGANI</u>			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	16,235.95	By Sales	0.00
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	2.29	By Closing Stock	16,235.95
To Service Charge Malkangani	0.00	By Loss transferred to Fund to meet loss	2.29
TOTAL	16,238.24	TOTAL	16,238.24







C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
M.S.P.PROJECT PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2022-23

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Bank Charges Distt Union	0.00	By Interest Earned on FFD	1,74,19,338.00
To Bank Charges H.O.	45,299.82	By Interest Earned on FDR	0.00
To Other Expenses DU and H.O.	29,14,217.25	By Interest Earned on Saving	98,80,625.00
To Revolving Fund of MSP	2,44,54,289.37	By Misc Income	1,13,843.44
TOTAL	2,74,13,806.44	TOTAL	2,74,13,806.44

Note : Expenses other than collection i.e indirect expenses are separately shown in indirect income/expenses statement.



(Smt. Archana Dhangar)
Asst. Account Officer


(CA Shashank Sahu)
Manager Accounts


(G.R. Dewangan)
Manager Finance


(Amarnath Prasad)
Additional Managing Director


(Anil Kumar Rai)
Managing Director


(CA Vinod Keshwan)
Auditor (M.No. 400622)



UDIN: 23400622BGTIGU7601



C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "C"- Notes to Accounts:

1. Contingent Liability:

S. No.	Particulars	Year	Amount as on 31.03.2023	Remarks	Appeal Pending before
1.	Disputed Income Tax Demand.	2014-15	71,55,53,899/-	Note-1	CIT (Appeals)
2.	Disputed Income Tax Demand.	2015-16	79,04,51,040/-	Note-1	CIT (Appeals)
3.	Disputed Income Tax Demand.	2016-17	1,82,96,90,071/-	Note-1	CIT (Appeals)
4.	Disputed Income Tax Demand.	2020-21	1,31,64,57,730/-	Note-1	CIT (Appeals)
5.	Disputed Income Tax Demand.	2021-22	44,69,90,780/-	Note-1	CIT (Appeals)
6.	Disputed VAT Demand.	2009-10	4,40,89,796/-	Note-2	High Court of Chhattisgarh
7.	Disputed VAT Demand.	2010-11	50,42,00,738/-	Note-2	High Court of Chhattisgarh
8.	Disputed VAT Demand.	2013-14	4,22,16,944/-	Note-2	Deputy Commissioner VAT Tax
9.	Disputed Audit Fees of Registrar Cooperative Societies.	2002-03	89,09,484/-	Note-3	High Court of Chhattisgarh
10.	Disputed Audit Fees of Registrar Cooperative Societies.	2003-04	88,71,505/-	Note-3	High Court of Chhattisgarh



11.	Disputed Audit Fees of Registrar Cooperative Societies.	2004-05	70,05,159/-	Note-3	High Court of Chhattisgarh
12.	Disputed Audit Fees of Registrar Cooperative Societies.	2005-06	76,83,298/-	Note-3	High Court of Chhattisgarh
13.	Disputed Audit Fees of Registrar Cooperative Societies.	2006-07	87,91,321/-	Note-3	High Court of Chhattisgarh
14.	Disputed Audit Fees of Registrar Cooperative Societies.	2007-08	1,38,94,393/-	Note-3	High Court of Chhattisgarh
15.	Disputed Audit Fees of Registrar Cooperative Societies.	2008-09	1,41,90,773/-	Note-3	High Court of Chhattisgarh
16.	Pending Litigation due to Separation of Minor Forest Office	-	93,27,00,000/-	Note-4	High Court of Chhattisgarh

Note-1: The Scrutiny assessment of the C.G State Minor Forest Produce (T&D) Co-Operative Federation Ltd., Raipur u/s 143(3) of the Income Tax Act, 1961 were completed for the F.Y. 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2020-231 & 2021-22 and the above mentioned demand's of Income Tax was raised during the year. The federation had preferred an appeal before the First Appellate Authority against the assessment orders and the same is pending.

Note-2: Certain receivable/Payable under CST/VAT from financial year 2007-08 onwards are not accounted for in the books of accounts as these receivable/payable are subject to final assessment by VAT authorities which are subject to judgment of Hon'ble Supreme Court wide order No. S.L.P (c) No. 12588/2011 dated 23-02-2012 and at present provision amount is not ascertainable.

Note-3: The Federation office had referred to Registrar, Co-operative Societies, Chhattisgarh for Audit of Year 2002-03 to 2008-09 and after completion of Audit, Registrar, Co-operative Societies, Chhattisgarh had raised bill based on the turnover calculated by them and against which the Federation had filed an Writ Petition before the Hon'ble High Court of Chhattisgarh and the same is pending.

Note-3: After the formation of Chhattisgarh State, the M.P Minor Forest Office was separated into two parts and due to the separation procedure, the M.P Minor Forest Office has filed an Writ Petition against the C.G Minor Forest Office for payment of outstanding dues and the same is pending.


2. **Separate Books of Accounts of M.S.P Books:**

Separate Books of Accounts of M.S.P Project have been maintained trading profit transferred to Payable to MFP gatherers under MSP, trading loss have been transferred to Fund to meet losses account and net of all indirect income/expenses have been transferred to Revolving Fund of MSP . Details of Assets and Liabilities are shown separately in **Annexure "B"**.

3. **Non Moving Stocks:**

In the books of Federation, there are some non moving stocks like Sal Seed, Harra, Gum which are not available in physical count but are still appearing in the books of accounts from last several years. Thus, the Stocks have been valued at Rs.1 Per Std. Bag and the leftover stocks will be written off from the books of accounts after receiving the Final Verification Report from the District Union Godowns.

Stocks of Tendupatta for the earlier Seasons are still appearing in the Books of accounts which are physically not available in the Godown, thus, these stocks are been valued at Rs. 1 Per Std. Bag. The Stocks of earlier Season will be written off after following the due course and receiving the Final Verification Report from the District Union Godowns.



4. **Suspense in Books:**

There are many suspense entries in the books of Federation which have bearing impact on the financials of the Federation.

5. **Closing Stock:**

As per the general Accounting Principles, the Federation values its closing stock at '*Cost or NRV, whichever is lower*'.

6. **Outstanding Balances of M.F.P Bhopal:**

After the separation of M.P Minor Forest Produce office, the M.P Minor Forest Produce office had claimed Rs.73,45,05,969.87/- from C.G Minor Forest Office. As the matter is in dispute before the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hence, the same is contingent in nature.

6.1 Various account heads of M.P.MFP Fed, Bhopal are disclosed separately in Balance sheet as liability in **Annexure "A"**.

6.2 Balance of "Profit to Societies" related to 70:15:15 as per Balance Sheet dated 31-10-2000 received from M.P. Fed. Bhopal the amount related to Provision of Development of Forest and Forest Produce for the year ended 1998, 1999, 2000 is not incorporated in corresponding ledgers.

7. **Unpaid Loans & Liabilities:**

The Federation has received loan amounting to Rs.96,04,417/- brought forward from M.P minor Forest Produce Office. As the matter is in dispute before the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hence, the same is contingent in nature.

8. **Payable to societies:**

The surplus earned by the federation is distributed in the ration of 80:15:5 as per the order of the Chhattisgarh Government vide order No. F13-31/2009/10-2 dated 03.11.2009.



The details of surplus is tabulated herein below:

S. No.	Particulars	%
1.	Incentive wages to pluckers (Bonus)	80%
2.	Sale purchase of Not Nationalized products (Herbal)	15%
3.	Revolving Fund	5%

9. **Basis of preparation of Financial Statements:**

The financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles applicable to Co-operative Societies in India and provisions of the statute have also been followed. The Financial Statements have been prepared under the historical cost convention, on the basis of a going concern, with revenues recognized and expenses accounted on their accrual, including provisions / adjustment for committed obligation and amount determined as payable or receivable during the period. In some of the areas, cash basis of accounting has been followed as it is not practicable and feasible to follow mercantile system of accounting in respect of those areas.

10. **Fixed Assets:**

Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of duties, taxes, incidental expenses, erection / commissioning expenses, including financial cost (if any) till commencement and regularization of fixed assets.


11. **Depreciation:**


During the year under review, depreciation has been provided in books of accounts at presently prevailing rates prescribed under the Income Tax Act. If any asset is put to use for a period of less than one hundred and eighty days in the Financial Year, the deduction w.r.t. depreciation in respect of such asset shall be restricted to Fifty percent of the amount calculated at the percentage prescribed for the respective asset.





12. Developmental Projects:

Balances of many developmental projects are appearing in the balance sheet, however, the expenses incurred in the District Union are to be adjusted against the same developmental projects.



(Smt. Archana Dhangar)
Asst. Account Officer


(CA Shashank Sahu)
Manager Accounts


(G.R. Dewangan)
Manager Finance


(Anamath Prasad)
Additional Managing Director


(Anil Kumar Raj)
Managing Director


(CA Vinod Keshwani)
Auditor (M.No. 400622)

UDIN: 23400622B9TIGU7601

**C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION
LTD., RAIPUR**

Relevant Notes to Trading and Profit & Loss Account

Note : 1 Opening Stock

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous Years	7,628.41	1,978.47	1,50,92,583.35
2	Season 2018	8,616.95	705.00	60,74,951.18
3	Season 2019	18,781.61	2,250.00	4,22,58,618.00
4	Season 2020	35,624.26	1,156.00	4,11,81,645.72
5	Season 2021	2,13,889.80	1,557.00	33,30,26,413.94
6	Season 2022	-	-	-
	Total:	2,84,541.03	7,646.47	43,76,34,212.19

Note : 2 Wages Paid

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous Years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	9,34,96,86,900.22
	Total:	-	-	9,34,96,86,900.22

Note : 3 Stationary and Printing T.P. Trade

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	3,30,231.32
	Total:	-	-	3,30,231.32

Note : 4 Godown Insurance and Premium

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	8,60,113.00
	Total:	-	-	8,60,113.00

Note : 5 Godown Rent

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	4,71,595.00
	Total:	-	-	4,71,595.00

Note : 6 MFP Insurance Premium

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-



6	Season 2022	-	-	12,65,55,573.00
Total:				12,65,55,573.00

Note : 13 Sales

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	2,820.85	1,477.20	41,66,946.28
3	Season 2019	2,633.39	3,263.01	85,92,789.00
4	Season 2020	23,882.92	1,465.44	3,49,98,967.59
5	Season 2021	1,09,620.07	3,710.21	40,67,13,917.55
6	Season 2022	13,26,291.32	7,406.80	9,82,35,77,300.10
Total:		14,65,248.55		10,27,80,49,920.52

Note : 14 Interest & Other Income

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	1,99,757.00
3	Season 2019	-	-	3,78,827.00
4	Season 2020	-	-	4,46,402.11
5	Season 2021	-	-	2,11,39,205.00
6	Season 2022	-	-	1,76,83,498.12
Total:				3,98,47,689.23

Note : 15 Mis. Income Through D.U.

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	80,49,672.00
Total:				80,49,672.00

Note : 16 Bank Interest Received from D.U.

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	11,27,884.00
Total:				11,27,884.00

Note : 17 Lot Transfer Income

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	10,000.00
3	Season 2019	-	-	30,000.00
4	Season 2020	-	-	3,20,000.00
5	Season 2021	-	-	7,71,300.00
6	Season 2022	-	-	26,09,340.00
Total:				37,40,640.00

Note : 18 Tender Form Fees

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	2,40,995.00



Total:				2,40,995.00
--------	--	--	--	-------------

Note : 19 Closing Stock Tendupatta

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	7,628.41	1.00	7,628.40
2	Season 2018	5,796.10	205.00	11,88,201.14
3	Season 2019	16,148.22	2,250.00	3,63,33,488.25
4	Season 2020	9,324.48	425.00	39,62,904.47
5	Season 2021	1,04,269.73	13.00	13,55,506.47
6	Season 2022	2,55,653.35	2,279.00	58,26,33,980.14
Total:				62,54,81,708.87

Note : 20 Establishment Expenses

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	3,86,895.63
2	Season 2018	-	-	72,630.18
3	Season 2019	-	-	88,063.29
4	Season 2020	-	-	5,54,453.72
5	Season 2021	-	-	49,34,384.50
6	Season 2022	-	-	10,23,08,300.07
Total:				10,83,44,727.40

Note : 21 Indirect Expenses

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	1,81,419.55
2	Season 2018	-	-	34,057.08
3	Season 2019	-	-	41,293.83
4	Season 2020	-	-	2,59,989.35
5	Season 2021	-	-	23,13,786.32
6	Season 2022	-	-	4,79,73,469.70
Total:				5,08,04,015.83

Note : 22 Welfare/Development Expenses

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	1,29,983.26
2	Season 2018	-	-	24,401.18
3	Season 2019	-	-	29,586.15
4	Season 2020	-	-	1,86,276.86
5	Season 2021	-	-	16,57,778.83
6	Season 2022	-	-	3,43,71,973.73
Total:				3,64,00,000.00

Note : 23 Managerial Expenses

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	1,00,539.80
2	Season 2018	-	-	18,873.89
3	Season 2019	-	-	22,884.38
4	Season 2020	-	-	1,44,081.92
5	Season 2021	-	-	12,82,263.22
6	Season 2022	-	-	2,65,86,126.40
Total:				2,81,54,769.61

Note : 24 District Union Comission

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	31.00
Total:				31.00



Note : 25 Depreciation Expenses

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	4,42,98,438.00
Total:				4,42,98,438.00

Note : 28 Contribution To Apex Co-Op Bank

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	1,000.00
Total:				1,000.00

Note : 26 Audit Fees

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	79,237.00
Total:				79,237.00

Note : 27 Comission to Federation

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	1.00
Total:				1.00

Note : 29 By Indirect Income

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	1,70,979.86
2	Season 2018	-	-	32,097.28
3	Season 2019	-	-	38,917.60
4	Season 2020	-	-	2,45,028.40
5	Season 2021	-	-	21,80,640.67
6	Season 2022	-	-	4,52,12,860.90
Total:				4,78,80,524.70

Note : 30 Interest Income

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	7,41,063.29
2	Season 2018	-	-	1,39,116.49
3	Season 2019	-	-	1,68,677.19
4	Season 2020	-	-	10,62,005.51
5	Season 2021	-	-	94,51,363.32
6	Season 2022	-	-	19,59,62,214.64
Total:				20,75,24,440.45



विषय क्रमांक - 8

विषय:- प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में लागू प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम के उपनियम-8 एवं 11 में संशोधन।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्था है, जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है। त्रिस्तरीय संरचना के अंतर्गत राज्य लघु वनोपज से 31 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन तथा 902 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियाँ सम्बद्ध है। वैधानिक रूप से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियाँ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएँ है जो धारा-31 के प्रावधान अनुसार निगमित निकाय (Body Corporate) होती है तथा अधिनियम/नियम एवं संस्था की उपविधि से वैधानिक रूप से शासित होती है।

- माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रबंधकों की मांग पर प्रबंधकों के वेतन के संबंध में तीन स्तरीय संविदा वेतन दिये जाने की घोषणा की गई थी। घोषणा के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक-448/सीएन 10-000002/बजट-2/वित्त/चार/2023 दिनांक 12.07.2023 से यह अभिमत दिया गया है कि “विभागीय प्रस्ताव पर सोसायटी अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार स्वयं के वित्तीय संसाधन के परिप्रेक्ष्य में संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिये जाने के लिए समुचित कार्यवाही पर सहमति प्रदान की जाती है।” वित्त विभाग का यह अभिमत शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक-3135/ 1679/2019/10-2/बजट रायपुर दिनांक 20.07.2023 से छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ को संसूचित किया गया है।
- प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित की उपविधि की कण्डिका क्रमांक-19(24) में समिति (बोर्ड/संचालक मण्डल) के कर्तव्य के संबंध में उल्लेख है कि:-

“संस्था के सभी वैतनिक कर्मचारियों के वेतनमान, सेवा शर्तें एवं योग्यता निर्धारित करना एवं वन विभाग एवं पंजीयक की स्वीकृति उपरान्त इसे लागू करना और कर्मचारियों के कार्य, अधिकार एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करना।”

- प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित के प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम के उपनियम 8 में केवल वेतन शब्द का प्रयोग किया गया है अतः माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप तीन स्तरीय संविदा वेतन दिये जाने हेतु इस नियम में आवश्यक प्रावधान प्रतिस्थापित किया गया है। वेतन सेवाकाल के आधार पर तीन स्तर पर दिया जाना है। अतः प्रत्येक उच्च स्तर दिये जाने की प्रक्रिया भी निर्धारित की जानी होगी। जिसके लिए आवश्यक प्रावधान प्रस्तावित किया जा रहा है।
- प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित के प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम के उपनियम 11 गोपनीय चरित्रावली में प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्ति पर प्रबंधक की गोपनीय चरित्रावली का अंकन किये जाने एवं अंकन की प्रक्रिया का निर्धारण संघ द्वारा किये जाने का प्रावधान रखा गया है। वर्तमान प्रावधानों में गोपनीय चरित्रावली के अंकन हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम का निर्धारण नहीं था। अतः प्रबंधकों को समय पर उच्चतर वेतन का लाभ प्राप्त हो सके इस हेतु प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित के प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम के उपनियम-11 में समयबद्ध कार्यक्रम के निर्धारण हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है।
- संचालक मण्डल की 94वीं बैठक में उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन के आधार पर कार्यकारी संचालक सह पंजीयक के आदेश क्रमांक/वनो/संघ/सह/पंजी/94/2023/01 दिनांक 27.09.2023 के द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम में प्रबंधको को तीन स्तरीय वेतन दिये जाने के प्रावधान प्रतिस्थापित किये गये है।
- तदनुसार प्रस्ताव 24वीं साधारण सभा के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।



कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
“वन धन भवन”

सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

E-mail: mfpfed.cg@nic.in ☎ (0771) 2513100 Website: www.cgmfpfed.org

क्रमांक/वनो/संघ/सह/पंजी/94/2023/01

अटल नगर, दिनांक 27/09/2023

◆आदेश◆

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित अटल नगर के पत्र क्रमांक /MFP08/04-01/HO-5/Reg_Order/2023/13063 दिनांक 27/09/2023 द्वारा संचालक मण्डल की 94वीं बैठक दिनांक 21.09.2023 के प्रस्ताव क्रमांक 94:02 में पारित निर्णय अनुसार प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों हेतु लागू सेवा नियम (प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्यस्थिति) नियम) की कण्डिका 08 (वेतन) एवं 11 (गोपनीय चरित्रावली) में उल्लेखित प्रावधानों में संशोधन/प्रतिस्थापन का अनुरोध किया गया है।

अतएव मैं अमरनाथ प्रसाद, कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-2/सह/15 दिनांक 20-04-2001 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 55(1) अंतर्गत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम 2016” में निम्नलिखित संशोधन करता हूँ। यह संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

उक्त नियमों में:-

1. सेवा नियम की कण्डिका 08 (वेतन) के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाये -

वेतन - प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का वेतन निम्नानुसार होगा। इसके अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधधीन उच्चतर वेतन भी देय होगा:-

1. नियुक्ति से 10 वर्ष की सेवा तक 20,675/- मासिक एकमुश्ता (इसमें प्रोत्साहन राशि भी शामिल है।)
2. 10 वर्ष की सेवा के उपरांत 23,350/- मासिक एकमुश्ता (इसमें प्रोत्साहन राशि भी शामिल है।)
3. 20 वर्ष की सेवा के उपरांत 26,490/- मासिक एकमुश्ता (इसमें प्रोत्साहन राशि भी शामिल है।)

यह वेतन 10 वर्ष / 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की अगली तिथि से स्वीकृत किया जायेगा परंतु नियम संशोधन के पूर्व की तिथि का कोई अवशेष नहीं दिया जायेगा। उच्चतर वेतन देने की प्रक्रिया शर्त निम्नानुसार होगी:-

1. चयन समिति - प्रबंधकों के लिये वेतन निर्धारित करने हेतु एक चयन समिति होगी जो पात्रता/योग्यता का परीक्षण करेगी। समिति में प्रबंध संचालक जिला यूनियन अध्यक्ष, उप-प्रबंध संचालक जिला यूनियन एवं संबंधित संस्था के अध्यक्ष सदस्य होंगे।
2. चयन समिति 05 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन का मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार अंक होंगे:- क+ 05 अंक, क 04 अंक, ख 03 अंक, ग 02 अंक और घ 00 अंक

कृ.पृ.उ. 2

- 5 वर्षों का गोपनीय प्रतिवेदन का समग्र मूल्यांकन का अंक 13 या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
 - 5 में से किसी भी वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन "घ" श्रेणी का नहीं होना चाहिये।
 - प्रबंधक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित/ प्रचलित नहीं होनी चाहिये। अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति में बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाई जावेगी।
3. चयन समिति उच्चतर वेतन हेतु उन्हीं समितियों के प्रबंधकों के लिये अनुशंसा करेगी जिन समितियों का अंकेक्षण अद्यतन स्थिति में (दिनांक 31.12.2023 के पूर्व स्वीकृति के स्थिति में वित्तीय वर्ष 2022-23 का इसी प्रकार जिस कैलेण्डर वर्ष में उच्चतर वर्ष में देय है उसके ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष का अंकेक्षण पूर्ण होना चाहिये) पूर्ण हो चुका है। जब तक अंकेक्षण पूर्ण न हो जाये उच्चतर वेतन की स्वीकृति लंबित रहेगी। अंकेक्षण पूर्ण होने तक निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने पर आगामी माह की पहली तारीख से उच्चतर वेतन की पात्रता होगी। अंकेक्षण की अपूर्णता की अवधि में उच्चतर वेतन की पात्रता नहीं होगी।
4. चयन समिति की अनुशंसायें संबंधित प्राथमिक सहकारी समिति के संचालक मण्डल में प्रस्तुत कर उच्चतर वेतन दिये जाने का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा तथा अनुमोदन के उपरांत भुगतान स्वीकृति संबंधित सहकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा दी जावेगी।
2. सेवा नियम की कण्डिका 11 (गोपनीय चरित्रावली) के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाये:-

गोपनीय चरित्रावली:-

- i. प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्ति पर प्रबंधक की गोपनीय चरित्रावली का अंकन किया जायेगा।
- ii. गोपनीय चरित्रावली अंकन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-
 1. गोपनीय चरित्रावली प्रतिवेदन का प्रारूप (संघ द्वारा अनुमोदित) प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति के 15 दिवस पूर्व सभी समिति प्रबंधकों को उपलब्ध करायेगे तथा इसकी सूचना संबंधित समिति के अध्यक्ष को भी देंगे।
 2. प्रत्येक प्रबंधक वर्ष में किये गये अपने कार्य का ब्यौरा 30 जून के पूर्व समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।
 3. समिति के अध्यक्ष कार्यो का मूल्यांकन करते हुये अपना मतांकन अंकित करेंगे एवं श्रेणी का निर्धारण करते हुये प्रतिवेदक अधिकारी की हैसियत से मतांकन हेतु संबंधित परिक्षेत्र के पोपक अधिकारी को दिनांक 31 अगस्त के पूर्व प्रेषित करेंगे।
 4. पोषक अधिकारी, प्रस्तुत गोपनीय प्रतिवेदन को समीक्षाकर्ता अधिकारी की हैसियत से मतांकन करते हुए दिनांक 31 अक्टूबर के पूर्व उप प्रबंध संचालक जिला यूनियन को अंतिम मतांकन हेतु प्रेषित करेंगे।
 5. उप-प्रबंध संचालक जिला यूनियन अपना अंतिम मतांकन दिनांक 31 दिसम्बर के पूर्व अंकित करेंगे एवं गोपनीय प्रतिवेदन को प्रबंध संचालक जिला यूनियन कार्यालय को भेजेगे। प्रबंध संचालक जिला यूनियन गोपनीय प्रतिवेदन को अभिलेख में सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित प्रबंधक को उनका गोपनीय प्रतिवेदन की प्रति सहित संसूचित करेंगे।

6. संसूचित किए जाने की अवधि से एक माह के भीतर प्रबंधक संबंधित जिला यूनियन प्रबंध संचालक को प्रतिकूल टीप / श्रेणीकरण में सुधार हेतु अभ्यावेदन दे सकेंगे, जिस पर प्रबंध संचालक, जिला यूनियन प्रतिवेदन वर्ष के आगामी 31 मार्च तक निर्णय लेंगे। प्रबंध संचालक जिला यूनियन का निर्णय अंतिम होगा।


(अमरनाथ प्रसाद)


कार्यकारी संचालक सह पंजीयक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर

पृ.क्रमांक/वनो/संघ/सह/पंजी/94/2023/01A

अटल नगर, दिनांक 29/09/2023

प्रतिलिपि:-

- (1) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- (2) समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महाप्रबंधक, वनवृत्त छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
- (3) समस्त प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित छत्तीसगढ़ को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त "प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्यस्थिति) नियम" की एक-एक प्रति आपके जिला यूनियन से सम्बद्ध सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को प्रदाय कर पावती प्राप्त कर, इस कार्यालय को एकजाई संकलित कर भिजवाएं।
- (4) महा प्रबंधक (प्रणाली), संघ मुख्यालय रायपुर की ओर संघ की वेब-साईट में अपलोड हेतु प्रेषित।


29/09/23

कार्यकारी संचालक सह पंजीयक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर

विषय क्रमांक - 9

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित अंतर्गत संचालित परियोजना एवं परियोजना अंतर्गत स्वीकृत पदों की अवधि में पाँच वर्ष की वृद्धि किये जाने बाबत।

- ❖ छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित अंतर्गत यूरोपियन कमीशन की संचालित लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के वेतन भुगतान के संबंध में संघ की सत्रहवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 27.09.2016 में निर्णय लिया गया कि "दिसम्बर 2016 को यूरोपियन कमीशन परियोजना की समाप्ति पश्चात् भी संघ को प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि से परियोजना कार्यों को चालू रखा जाये तथा वर्तमान में संविदा पर कार्यरत सीनियर एकजीक्यूटिव, जूनियर एकजीक्यूटिव तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटरर्स को इसी मद से वेतन दिया जावे"।
- ❖ पुनः संघ के 69वीं संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 20.03.2017 के प्रस्ताव क्रमांक 69:12 में पारित निर्णय में "छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी 07 वर्षीय परियोजना प्रस्ताव एवं लागत राशि रु. 29.50 करोड़ का अनुमोदन किया गया"।
- ❖ जिस पर छत्तीसगढ़ वन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक/1589/1230/2017/10-1/वन दिनांक 17.07.2017 द्वारा 07 वर्षीय परियोजना में कार्यरत संविदा कर्मियों के वेतन आदि पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति संघ को प्राप्त ब्याज राशि से किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।
- ❖ उपरोक्त अनुसार 07 वर्षीय अवधि दिसम्बर 2023 में समाप्त हो रही है। परियोजना कार्यों के संबंध में संघ द्वारा संचालित कार्यों को देश तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा / पुरस्कार मिले है। विगत वर्षों में परियोजना अंतर्गत सफलता पूर्वक संचालित कार्य अब स्थायित्व की ओर अग्रसर है जिनमें से महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-
 - (i) लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्यों के अंतर्गत स्थापित माईक्रो-इंटरप्राइजेस का सुदृढीकरण, भण्डारण, विपणन एवं हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा देने आदि का कार्य किया जाता है। इस हेतु 06 एन.डब्ल्यू.एफ.पी. मार्ट एवं 30 संजीवनी स्थापित किये गये है, जो विगत वर्षों से संचालित है एवं इनको नियमित रूप से संचालित किया जाना है।
 - (ii) सभी मार्ट नियमित रूप से संचालित है एवं इन्हें सतत संचालित किया जाना है। परियोजना की अवधि समाप्ति के उपरान्त ये सभी मार्ट छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के अंतर्गत ही संचालित रहेंगे। परियोजना से जुड़े हितग्राहियों को परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभ की निरंतरता बनाये रखने के उद्देश्य से लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य अंतर्गत नये माईक्रो-इंटरप्राइजेस की स्थापना एवं स्थापित माईक्रो-इंटरप्राइजेस की सुदृढीकरण एवं भण्डारण, विपणन, ब्राण्ड प्रमोशन, अनुसंधान विस्तार, हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा तथा लघु वनोपज संरक्षण संबंधित हितग्राही मूलक कार्यों की निरंतरता बनाये रखना अति आवश्यक है।

- ❖ उपरोक्तानुसार यूरोपियन कमीशन के सहायता से तथा बाद में संघ द्वारा संचालित परियोजना सफल रही है एवं अब अपने स्थायित्व की ओर अग्रसर है। अतः परियोजना अवधि समाप्ति के उपरान्त भी “लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना एवं इस अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधन (कर्मचारी) की निरंतरता संघ एवं लघु वनोपज संग्राहकों के हित में आवश्यक है।”
- ❖ छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 13-31/2009 /10-2/बजट दिनांक 23.02.2021 अनुसार -

“मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 13 फरवरी 2021 में आयटम क्रमांक 35.14 में निर्णय लिया गया है कि -

2 (ii) - क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय स्तर पर प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना, संचालन, भण्डारण, प्रसंस्करण, अनुसंधान-विस्तार, विपणन तथा इन प्रयोजनों हेतु अधोसंरचनाओं का निर्माण एवं मानव संसाधन के नियोजन हेतु भी तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय में से 15 प्रतिशत राशि का उपयोग किया जाये। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ द्वारा स्वयं अथवा जिला यूनियन के माध्यम से यह कार्य संपादित किया जाये।”
- ❖ उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में संघ एवं संग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिये छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित अंतर्गत संचालित लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना एवं कार्यरत अमले की निरंतरता आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाये जाने पर स्वीकृत कुल 70 पदों पर आने वाले वेतन व्यय भार की गणना निम्नानुसार है:-

स. क्र.	पदनाम	संविदा वेतन का मेट्रिक्स लेवल	स्वीकृत पद एवं वेतन का विवरण				
			स्वीकृत पद	वर्तमान वेतन (वित्त निर्देश 16/2019)	प्रस्तावित वेतन (वित्त निर्देश 22/2023)	वृद्धि की राशि	मासिक व्ययभार (4*6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रबंधक (प्रबंधन)	13	1	49000	62120	13120	62120
2	प्रबंधक (वित्त)	13	1	49000	62120	13120	62120
3	प्रबंधक (संग्रहण)	13	1	49000	62120	13120	62120
4	प्रबंधक (प्रसंस्करण)	13	1	49000	62120	13120	62120
5	प्रबंधक (विपणन)	13	1	49000	62120	13120	62120
6	सीनियर एकजीक्यूटिव (तकनीकी)	11	14	35750	45320	9570	634480

7	सीनियर एकजीक्यूटिव (मार्केटिंग)	11	11	35750	45320	9570	498520
8	सीनियर एकजीक्यूटिव (वित्त)	11	1	35750	45320	9570	45320
9	सीनियर एकजीक्यूटिव (संग्रहण)	11	1	35750	45320	9570	45320
10	सीनियर एकजीक्यूटिव (प्रसंस्करण)	11	1	35750	45320	9570	45320
11	सीनियर एकजीक्यूटिव (उद्य.विकास)	11	1	35750	45320	9570	45320
12	सहायक प्रोग्रामर	9	1	27740	35165	7425	35165
13	जूनियर एकजीक्यूटिव (तकनीकी)	8	6	25780	32672	6892	196032
14	जूनियर एकजीक्यूटिव (मार्केटिंग)	8	6	25780	32672	6892	196032
15	जूनियर एकजीक्यूटिव (प्रबंधन)	8	1	25780	32672	6892	32672
16	मैनेजर शहद	8	4	25780	32672	6892	130688
17	लेखा सहायक	7	1	20900	26490	5590	26490
18	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	6	17	18420	23350	4930	396950
कुल योग			70			168533	2638909

इस प्रकार कुल 70 संविदा कर्मियों के वेतन पर मासिक व्यय भार राशि रूपये 26,38,909/- तथा वार्षिक वित्तीय व्यय भार 3,16,66,908/- रूपये आवेगा, जो मंत्री परिषद् द्वारा बैठक दिनांक 13 फरवरी 2021 के आयटम क्रमांक 35.14 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में तेन्दूपत्ता व्यापार की आय के 15 प्रतिशत राशि में भारित किया जावेगा। उपरोक्तानुसार संघ अंतर्गत संचालित परियोजना एवं परियोजना अंतर्गत स्वीकृत पदों की अवधि में आगामी पाँच वर्ष की अवधि के वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव का संघ के 94वीं संचालक मण्डल की बैठक में अनुमोदन दिया गया है। तदानुसार प्रस्ताव 24वीं वार्षिक साधारण सभा के समक्ष अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

५२१-०३

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक - 1589

दिनांक - 17/07/2017

दिनांक 17/07/2017


संस्था - छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ
सहकारी संघ मर्यादित रायपुर

विषय - छत्तीसगढ़ राज्य में लघु दनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना के अंतर्गत
संचालक मण्डल में पारित वेतन के निर्धारण के संबंध में।
संख्या - पत्र क्र. ६९१२/२०१७/०७-१/वन, ६९१२ दिनांक २५/०५/२०१७ एवं पत्र
क्र. ६९१२/२०१७/०७-१/वन, ६९१२ दिनांक ११/०६/२०१७

विषयगत सूचना के माध्यम से संस्था को सूचित करने का प्रयास किया गया।

2/ छत्तीसगढ़ राज्य में लघु दनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना के अंतर्गत
कार्यरत सविदा कर्मियों के वेतन सुधार के प्रस्ताव अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य लघु दनोपज
सहकारी संघ मर्यादित रायपुर को राज्य के वार्षिक संचालक मण्डल दिनांक 27/09/2016 में पारित
संकल्प "निर्णय लिया गया कि दिसम्बर 2016 को यूरोपियन कमीशन परियोजना की समाप्ति
पश्चात् भी संघ को प्राप्त होने वाले व्याज की राशि से परियोजना के कार्यों को चालू रखा
जावे एवं वर्तमान में सविदा पर कार्यरत सीनियर एक्सीक्यूटिव, जूनियर एक्सीक्यूटिव तथा अटा
एण्ट्री ऑपरेटरर्स को इसी मद से वेतन दिया जावे" एवं छ.ग. राज्य लघु दनोपज (व्यापार एवं
विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के संचालक मण्डल की 69वीं (उन्नाहतरवीं) गणना दिनांक
20/03/2017 के प्रस्ताव क्र. 69/12 में पारित संकल्प "प्रस्ताव अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लघु
दनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी 07 वर्षीय परियोजना प्रस्ताव एवं लागत राशि रूपय 29.50
करोड़ का अनुमोदन किया गया"।

अतः आपके द्वारा प्रेषित उक्त प्रस्तावों में लिए गए निर्णय को कार्यान्वित करने
की अनुमति इस आधार पर दी जाती है कि परियोजना में कार्यरत सविदा कर्मियों के वेतन
आदि पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति संघ को प्राप्त व्याज राशि से की
जायेगी, इससे शासन को कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं आएगा।



(एम.एम. राजूरकर)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
नया रायपुर, दिनांक 17/07/2017

/1230/2017/10-1/वन

प्रतिलिपि -

- 1) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (33 व.)
- 2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर
की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

-122-34-

एम.एम.
4-22/6
DIRECTOR

-35- 123-

प्रदर्श-04

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
भंडालय

महानदी, भदज, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर

क्रमांक-एफ 13-31/2009/10-2/बजट
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23/02/21

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक
अटल नगर, जिला रायपुर, छ.ग.

2. प्रबंध संचालक,
छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ
वन धन भवन, अटल नगर, जिला रायपुर, छ.ग.

विषय :- तैदूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय में से 15 प्रतिशत राशि का उपयोग बाबत।
संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 16.09.2015 एवं आपका प्रस्ताव क्रमांक-11309 दिनांक 19.11.2020.


--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन करें। संदर्भित प्रस्ताव द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 13 फरवरी, 2021 को मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव के संबंध में मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 13 फरवरी, 2021 में आयटम क्रमांक-35.14 के रूप में सम्मिलित करते हुए निर्णय लिया गया कि विभागीय आदेश दिनांक 16.09.2015 में संशोधन करते हुए निर्णित खंड (2) के स्थान पर निम्नानुसार खंड (2) प्रतिस्थापित किया जाता है :-

2(i) तैदूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय में से 15 प्रतिशत राशि संग्राहक समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के व्यापार के साथ-साथ लाख पालन हेतु भी उपलब्ध कराई जाये। यह राशि समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय-विक्रय, भंडारण, प्रसंस्करण एवं लाख पालन, उत्पादन, प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। समितियों द्वारा यह कार्य छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ के मार्गदर्शन में किया जाए।

2(ii) क्षेत्रीय एवं केंद्रीय स्तर पर प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना, संचालन, भंडारण, प्रसंस्करण, अनुसंधान-विस्तार, विपणन तथा इन प्रयोजनों हेतु अधोसंरचनाओं का निर्माण एवं मानव संसाधन के नियोजन हेतु भी तैदूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय में से 15 प्रतिशत राशि का

AMD(D)/GM/संरक्ष/संरक्ष
AMD(T)



डी. पी. लोन्गी खोन्क

कृष्ण, भदज, प्रसंस्करण, लाख पालन
MSP, श्री. वंज

उपयोग किया जाये। छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा स्वयं अथवा जिला यूनियन के माध्यम से यह कार्य संपादित किया जावे।”

2/ अतः शासन द्वारा लिए गए निर्णय का पालन सुनिश्चित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Rajput
(के. पी. राजपूत)
22.2.21

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ0क्रमांक-एफ 13-31/2009/10-2/बजट
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

5. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

विषय क्रमांक - 10

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित अंतर्गत पदस्थ संविदा कर्मचारियों को शासन के वित्त निर्देश 22/2023 दिनांक 02.08.2023 के अनुसार वेतन दिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

- छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा वित्त निर्देश 16/2019 दिनांक 02.08.2019 में संशोधन किया जाकर वित्त निर्देश 22/2023 दिनांक 02.08.2023 जारी किया गया है। जिसमें प्रत्येक वेतन मैट्रिक्स लेबल मासिक एकमुश्त संविदा वेतन की राशि में वृद्धि की गयी है।
- संघ में पूर्व के वर्षों में सृजित विभिन्न पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों जिन्हें वेतन मैट्रिक्स/लेबल के आधार पर संविदा वेतन दिया जा रहा है, के संविदा वेतन में शासन के वित्त निर्देश 22/2023 दिनांक 02.08.2023 अनुसार वृद्धि किये जाने हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार संघ में शासन द्वारा जारी वेतन मैट्रिक्स लेबल/वेतन पर कार्यरत संविदा कर्मियों का वेतन वित्त निर्देश 22/2023 दिनांक 02.08.2023 के अनुसार बढ़ाये जाने के संबंध में प्रस्ताव पर संचालक मण्डल की 94वीं बैठक में अनुमोदन उपरान्त 24वीं वार्षिक साधारण सभा के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक - 11

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के कर्मचारियों को बोनस प्रदान करने बाबत।

(अ) बोनस

1. भारत शासन के राजपत्र क्र. 50/27.10.2007 द्वारा शासकीय सेवको को 8.33% बोनस वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु सूचना का प्रकाशन किया गया था, जिसके पालन में संचालक मंडल की 30वीं बैठक दिनांक 12.02.2008 के निर्णय अनुसार वर्ष 2006-07 हेतु संघ मुख्यालय/वृत्त कार्यालय/जिला यूनियनों में संघ के मूल सेवायुक्तो, जिनका मूल वेतन 10,000/- रु. तक है, वेतन के 8.33% (अधिकतम 3,500/-रु.) तक बोनस भुगतान किया गया।
2. वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक उपरोक्तानुसार संघ के नियमित कर्मचारियों को बोनस भुगतान किया गया था।
3. वर्ष 2012-13 से कर्मचारियों का वेतन 10,000/- रु. से अधिक होने के कारण बोनस भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. भारत शासन के राजपत्र 06/31.12.2015 द्वारा 10,000/- रु. की सीमा को बढ़ाकर 21,000/- रु. एवं बोनस की राशि अधिकतम 3,500/- रु. को बढ़ाकर 7,000/- रु. कर दिया गया है।
5. संघ के उप-नियम की कंडिका 34(6) में यह प्रावधान है कि "इन उपविधियों में जिन बातों का समावेश नहीं हुआ उन सभी बातों या विषयों में व्याख्या अधिनियमों, नियमों के प्रावधान अनुसार की जायेगी"।
संघ के उपनियम की कंडिका 30 में बोनस संदाय अधिनियम 1965 के अधीन कर्मचारियों को देय बोनस का उल्लेख/प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनियम के प्रावधान ही लागू होते हैं।
6. छत्तीसगढ़ कर्मचारी भर्ती, वर्गीकरण तथा सेवाशर्तों नियमन-1994 के नियमन-1994 के नियम क्रमांक 61 के अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान है:-
"अधिलाभांश (बोनस) संघ के कर्मचारियों को बोनस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार बोनस देय होगा।"
7. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 43(क) - लाभों का विनियोजन - में प्रावधान है कि लाभ अर्जित करने वाली सोसायटी वर्ष के सकल लाभ में से निर्धारित मदों की कटौती करके शुद्ध लाभ की गणना करेगी। इसी शुद्ध लाभ में से बोनस देय होगा।
8. बोनस की गणना हेतु मासिक वेतन से तात्पर्य मूलवेतन/विशेष वेतन/ मंहगाई भत्ता आदि के योग से है। बोनस की अधिकतम सीमा रु. 7000/- (रु. सात हजार) तक होगी। भारत शासन के राजपत्र दिनांक 31.12.2015 में हुए संशोधन अनुसार 21000 रूपये वेतन पाने वाले कर्मचारी ही बोनस के पात्र हैं। इस स्थिति में जबकि सातवे वेतन आयोग के अनुशंसा पर पुनरीक्षित वेतनमान लागू हो चुका है, केवल 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही पात्रता की परिधि में आते हैं। वर्तमान में संघ मुख्यालय/वृत्त कार्यालयों/ जिला यूनियनों में पदस्थ केवल 08 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जो बोनस की पात्रता रखते हैं। इनको बोनस वितरण किये जाने में लगभग राशि रूपये 56,000/- का वार्षिक वित्तीय भार आवेगा।

(ब) एक्सग्रेसिया

9. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ.ग. के पत्र क्र./साख/एक्सग्रेसिया/128/2022/3642 दिनांक 21.10.2022 से सभी संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 43(क)(1)(छह) तथा बोनस एक्ट के प्रावधानों के तहत जिन सेवायुक्तों को बोनस का भुगतान किया जाना अनिवार्य है उन सेवायुक्तों को तो बोनस एक्ट के अनुसार बोनस देना ही होता है, किंतु जिन सेवायुक्तों को बोनस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बोनस देना अनिवार्य नहीं है, उन सेवायुक्तों को बोनस के एवज में एक्सग्रेसिया राशि का भुगतान करने के संबंध में संस्था की आर्थिक स्थिति को देखते हुये ही निर्णय लिया जा सकता है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 43(क) - (लाभों का विनियोजन) - में प्रावधान है कि लाभ अर्जित करने वाली सोसायटी वर्ष के सकल लाभ में से निर्धारित मर्दों की कटौती करके शुद्ध लाभ की गणना करेगी। इसी शुद्ध लाभ में से बोनस देय होगा।
10. पंजीयक सहकारी संस्थाएं के पत्र दिनांक 21.10.2022 के उल्लेख अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के बोनस की पात्रता श्रेणी में न आने वाले कर्मचारियों को यदि एक्सग्रेसिया भुगतान किया जाना है तो इस संबंध में संघ में कुल 213 ऐसे कर्मचारी हैं जो तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत हैं इन्हें भी अधिकतम 7000 की सीमा में ही यदि एक्सग्रेसिया राशि का भुगतान किया जाए तो मात्र रूपये 14.91 लाख का वार्षिक वित्तीय भार आवेगा।
11. बोनस भुगतान करने की पात्रता संघ मुख्यालय/वृत्त कार्यालयों/जिला यूनियनों में पदस्थ संघ सेवायुक्तों को (दैनिक वेतनभोगी/जांबदर/संविदाकर्मियों को छोड़कर) पात्रता होगी।
12. तेन्दूपत्ता व्यापार की दृष्टि से एवं सकल लाभ की दृष्टि से संघ के लेखे में लाभ अंकित है अतः अनु क्रमांक (8) एवं (9) के अनुरूप बोनस/एक्सग्रेसिया की अधिकतम सीमा रु. 7000/- (रु. सात हजार) तक भुगतान की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित है।
13. उपरोक्तानुसार बोनस एवं एक्सग्रेसिया प्रस्ताव पर कर्मचारियों को वर्ष 2021-22 के लेखे के आधार पर संगणित संघ को प्राप्त होने वाले सीड केपिटल के अर्जित ब्याज आधारित लाभ की राशि में से देने के संबंध में प्रस्ताव पर संचालक मण्डल की 94वीं बैठक में अनुमोदन उपरान्त कार्यकारी संचालक सह पंजीयक के आदेश क्रमांक/वनो/संघ/सह/पंजी/94/2023/04 दिनांक 27.09.2023 से स्वीकृति प्रदान की गई है। तदनुसार प्रस्ताव 24वीं वार्षिक साधारण सभा के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।



कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
“वन धन भवन”

सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

E-mail: mfpfed.cg@nic.in ☎ (0771) 2513100 Website: www.cgmfped.org


क्रमांक/वनो/संघ/सह/पंजी/94/2023/04

अटल नगर, दिनांक 27/09/2023

// आदेश //

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो/संघ/स्था.02/2023/13064 दिनांक 27.09.2023 से संघ के संचालक मण्डल की 94वीं बैठक दिनांक 21.09.2023 के प्रस्ताव क्रमांक 94:16 में पारित निर्णय - “बोनस एक्ट के प्रावधान के अनुसार बोनस हेतु पात्र एवं राशि रु.21,000/- तक मासिक वेतन पाने वाले नियमित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन का 8.33 प्रतिशत (अधिकतम राशि रु.7,000/- तक) बोनस तथा जिन सेवायुक्तों को बोनस एक्ट के प्रावधानों अंतर्गत बोनस देना अनिवार्य नहीं है, उन सेवा युक्तों को बोनस के एवज में एक्सग्रेसिया के रूप में अधिकतम राशि रु.7,000/- वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक/ लेखा के आधार पर संगणित, सीड केपिटल से संघ को प्राप्त होने वाले अर्जित ब्याज (लाभ) की राशि में से दिये जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्यकारी संचालक-सह-पंजीयक की स्वीकृति प्राप्त कर ली जावे।” पर नियमानुसार अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया है।

अतएव छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-2/सह/15 दिनांक 20-04-2001 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं अमरनाथ प्रसाद, कार्यकारी संचालक सह पंजीयक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, वन धन भवन, सेक्टर 24, नवा रायपुर, अटल नगर, “बोनस एक्ट के प्रावधान के अनुसार बोनस हेतु पात्र एवं राशि रु.21,000/- तक मासिक वेतन पाने वाले नियमित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन का 8.33 प्रतिशत (अधिकतम राशि रु.7,000/- तक) बोनस तथा जिन सेवायुक्तों को बोनस एक्ट के प्रावधानों अंतर्गत बोनस देना अनिवार्य नहीं है, उन सेवायुक्तों को बोनस के एवज में एक्सग्रेसिया के रूप में अधिकतम राशि रु.7,000/- वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक/लेखा के आधार पर संगणित, सीड केपिटल से संघ को प्राप्त होने वाले अर्जित ब्याज (लाभ) की राशि में से दिये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करता हूँ।


27/09/2023
(अमरनाथ प्रसाद)


कार्यकारी संचालक सह पंजीयक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर

पृ.क्रमांक/वनो/संघ/सह/पंजी/94/2023/04A

अटल नगर, दिनांक 27/09/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर।


27/09/2023
कार्यकारी संचालक सह पंजीयक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
नवा रायपुर में कार्यरत अधिकारी

अ.क्र.	अधिकारियों का नाम	संघ के पदनाम	मूल विभाग का नाम
1	2	3	4
1	श्री अनिल कुमार राय, भारतीय वन सेवा	प्रबंध संचालक (प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
2	श्री बी.आनंद बाबू, भारतीय वन सेवा	अपर प्रबंध संचालक (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
3	श्री अमरनाथ प्रसाद, भारतीय वन सेवा	कार्यकारी संचालक (मुख्य वन संरक्षक)	छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
4	श्री आर.सी.दुग्गा, भारतीय वन सेवा	महाप्रबंधक (उत्पादन/भण्डारण) (वन संरक्षक)	छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
5	सुश्री किरन गुप्ता, राज्य सिविल सेवा	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग
6	श्री जी.आर.देवांगन, राज्य सिविल सेवा	प्रबंधक (वित्त) (लेखाधिकारी)	छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
7	श्री सुबीर कुमार दत्ता	महाप्रबंधक (प्रणाली)	राज्य लघु वनोपज संघ
8	श्री शशांक साहू	प्रबंधक (लेखा)	राज्य लघु वनोपज संघ
9	श्री के.के. धनगर	स्टॉफ आफिसर	राज्य लघु वनोपज संघ
10	कु. काजल साहू	प्रोग्रामर	राज्य लघु वनोपज संघ
11	श्री अक्षय मनु	उप प्रबंधक आंतरिक अंकेक्षण	राज्य लघु वनोपज संघ
